वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2013-14

मानक : पथप्रदर्शक :

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2014 को)
PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2014)

भारतीय मानक ब्यूरो	**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**		
अध्यक्ष	**President**	**प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	**Prof. K.V. Thomas** Minister of State for Consumer Affairs, Food and Publice Distribution (Independent Charge)
अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति	**Chairman,** Executive Committee	**श्री सुनील सोनी** महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	**Shri Sunil Soni** Director General, BIS
भा मा ब्यूरो महानिदेशालय	**BIS DIRECTORATE GENERAL**		
मुख्यालय	**Headquarters**		
महानिदेशक	**Director General**	**श्री सुनील सोनी**	**Shri Sunil Soni**
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	**श्रीमती अलका पंडा**	**Smt. Alka Panda**
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	**श्री अलोक शर्मा**	**Shri Alok Sharma**
वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक	**Scientist G & Deputy Director General**		
परिक्षण और अंशशोधन	Testing and Calibration	श्री डी॰के॰ नैय्यर	Shri D.K. Nayyar
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्री डी॰के॰ नैय्यर	Shri D.K. Nayyar
मानकीकरण	Standardization	श्रीमती परमिन्दर बजाज	Smt. Parminder Bajaj
परियोजना प्रबंधन एवं कार्य	Project Management and Works	श्री पी॰के॰ बत्रा	Shri P. K. Batra
वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक	**Scientist F & Deputy Director General**		
परियोजना, योजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	श्रीमती मधुलिका प्रकाश	Smt. Madhulika Prakash
प्रमाणन	Certification	श्री के॰ अनबारासु	Shri K. Anbarasu
आई-केयर	i-CARE	श्रीमती स्नेह भाटला	Smt. Sneh Bhatla
हॉनर्माकिंग	Hallmarking	श्री ए॰के॰ सेन	Shri A.K. Sen
उप महानिदेशक	**Deputy Director General**		
प्रशासन	Administration	कैप्टन अनुज कुमार	Captain Anuj Kumar
वित्त	Finance	श्री एच॰आर॰ आहुजा	Shri H.R. Ahuja
क्षेत्रीय कार्यालय	**Regional Offices**		
वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक	**Scientist G & Deputy Director General**		
पश्चिम क्षेत्र	Western Region	श्री सी॰के॰ माहेश्वरी	Shri C.K. Maheshwari
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री ई॰ देवेन्दर	Shri E. Devendar
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री ए॰के॰ सैनी	Shri A.K. Saini
वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक	**Scientist F & Deputy Director General**		
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री एस॰के॰ खन्ना	Shri S.K. Khanna
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री डी॰के॰ चौधरी	Shri D. K. Chaudhuri

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
[2013-14]

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
वेबसाइट/Website : www.bis.org.in

विषय सूची
CONTENTS

क्र.सं. S.No.	विषय Subject	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	सिंहावलोकन Overview	1
2.	मानकीकरण Standardization	7
3.	प्रमाणन Certification	31
4.	परीक्षण तथा अंशशोधन Testing and Calibration	39
5.	आई-केयर i-Care	42
6.	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ International Activities	46
7.	प्रशिक्षण सेवायें Training Services	51
8.	सतर्कता गतिविधियाँ Vigilance Activities	53
9.	तकनीकी सूचना सेवाएं Technical Information Services	54
10.	बारहवीं योजना गत परियोजना XIIth Plan Projects	56
11.	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं Information Technology Services	57
12.	परियोजना प्रबंधन तथा कार्य Project Management and Works	59
13.	मानव संसाधन विकास Human Resource Development	61
14.	वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा Finance, Accounts and Audit	63

सिंहावलोकन

भारत में ब्रिटिशकाल के आखिरी वर्षों में जब देश औद्योगिक भौतिक अवसंरचना के विशाल कार्य की चुनौती का सामना कर रहा था, तो इंजीनियर संस्थान (भारत) ने उस संस्थान के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जो राष्ट्रीय मानक निर्धारण का कार्य कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग और आपूर्ति विभाग ने 03 सितम्बर 1946 को एक ज्ञापन जारी करके औपचारिक रूप से एक संगठन की स्थापना की घोषणा की, जिसे भारतीय मानक संस्था कहा गया। भारतीय मानक संस्थान (भा.मा.संस्था) 6 जनवरी, 1947 को अस्तित्व में आई।

22nd meeting of the Bureau of Indian Standards
भारतीय मानक ब्यूरो की 22वीं बैठक

23rd meeting of the Bureau of Indian Standards
भारतीय मानक ब्यूरो की 23वीं बैठक

24th meeting of the Bureau of Indian Standards
भारतीय मानक ब्यूरो की 24वीं बैठक

भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा. ब्यूरो) पूर्व में भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों का अधिग्रहण करके व्यापक कार्य–क्षेत्र तथा अधिक शक्तियों सहित दिनांक 26 नवम्बर 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। यह परिवर्तन सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और चेतना लाने तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का वातावरण बनाने की दृष्टि से किया। ब्यूरो 25 सदस्यों का एक कार्पोरेट निकाय है। ब्यूरो के अध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और उपाध्यक्ष उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, सांसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

OVERVIEW

In the twilight years of British rule in India, when the country was faced with the gigantic task of building up the industrial infrastructure, it was the Institution of Engineers (India), which prepared the first draft of the Constitution of an Institution which could take up the task of formulation of National Standards. This led to the Department of Industries and Supplies issuing a memorandum on 03 September 1946, formally announcing the setting of an organization called the Indian Standards Institution. The Indian Standards Institution (ISI) came into being on 06 January 1947.

Bureau of Indian standards (BIS) came into existence on 01 April 1987, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of national standards. The Bureau is a body corporate consisting of 25 members representing both the central and the state governments, members of parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with the Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

ब्यूरो की 22वीं, 23वीं और 24वीं बैठक क्रमशः 21 मई 2013, 2 जनवरी 2014 और 19 फरवरी 2014 को आयोजित की गईं। नई नीति/निर्देशों के कार्यान्वयन में भा.मा.ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

भा.मा.ब्यूरो की संरचना तीसरे आवरण पृष्ठ पर दी गई है। भा.मा. ब्यूरो कार्यालयों की विभिन्न लोकेशन चौथे आवरण पृष्ठ पर दी गई हैं।

भा.मा.ब्यूरो अधिदेश

भा.मा.ब्यूरो अधिदेश वस्तुओं और सेवाओं की गुणता के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है।

भा.मा.ब्यूरो के उद्देश्य

- मानकीकरण का समंजित विकास, मुहरांकन तथा गुणता–प्रमाणन
- मानकीकरण और गुणता नियंत्रण पर नए सिरे से बल देना
- मानकों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना और उन्हें उत्पादन और आयात की वृद्धि और विकास के साथ एकीकृत करना

संगठनात्मक नेटवर्क

ब्यूरो का मुख्यालय, नई दिल्ली में है और कोलकाता (पूर्वी), चेन्नै (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, कोचि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, परवाणू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट एवं विशाखापटनम् स्थित शाखा कार्यालय हैं, जो अलग अलग 27 स्थानों पर हैं, जिनकी कुल संख्या 32 है। उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत हैं। ये शाखा कार्यालय क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थाओं, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

गतिविधियाँ

भा.मा.ब्यूरो की गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है:

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणन : उत्पाद, हालमार्किंग तथा विभिन्न प्रबंध पद्धतियाँ

ग) परीक्षण और अंशशोधन सेवाएँ

घ) आई–केयर

ङ) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

च) प्रशिक्षण सेवाएँ

छ) सतर्कता

The 22nd, 23rd and 24th meetings of the Bureau were organized on 21 May 2013, 02 January 2014 and 19 February 2014 respectively. The Executive Committee had six meetings during the year to advise BIS in implementation of its new policies/ directives.

The structure of BIS is given on the third cover page. The various locations of BIS offices are provided on the fourth cover page.

BIS MANDATE

The Mandate of BIS is to satisfy the customer needs for quality of goods and services.

OBJECTIVES OF BIS

- Harmonious development of standardization, marking and quality certification
- To provide new thrust to standardization and quality control
- To evolve a national strategy for according recognition to standards and integrating them with growth and development of production and exports

ORGANIZATIONAL NETWORK

BIS has its Headquarters at New Delhi and its 05 Regional Offices (ROs) located at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs), which are 32 in number located at 27 different locations namely Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Durgapur, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jamshedpur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot and Vishakhapatnam. The branch offices serve as an effective link between state governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc., of the region.

ACTIVITIES

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation

b) Certification : Product, Hallmarking and Management Systems

c) Testing and Calibration Services

d) i-Care

e) International Activities

f) Training Services

g) Vigilance

ज) प्रचार

झ) भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ञ) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ

ट) प्रशासन

ठ) परियोजना प्रबंध और कार्य

ड) वित्त एवं लेखा

2013–14 की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

- अवधि के दौरान विभिन्न व्यापक विषयों पर 547 भारतीय मानकों (309 नए और 238 पुनरीक्षित) का निर्धारण किया गया। निर्धारित कुछ भारतीय मानक इस प्रकार हैं :

– खाद्य पदार्थों और पशुचारे आहार में ट्रेसेबिलिटी–प्रणाली डिज़ाइन के सामान्य सिद्धांत और मूलभूत अपेक्षाएँ तथा कार्यान्वयन (आई एस ओ 22005 : 2007)

– खाद्य पदार्थों की स्वच्छता – सामान्य सिद्धांत–रीति संहिता (आई एस 2491 : 2013) – तीसरा पुनरीक्षण

– खाद्यान्न भण्डारण के गोदाम – रीति संहिता (आई एस 16144 : 2014)

– कान के पीछे लगने वाले श्रवण सहायकांग – डिजिटल – विशिष्टि (आई एस 16127 : 2013)

– एमपीईजी के लिए सैटअप बॉक्स – 4 डिजिटल केबल टी वी सेवाएँ – विशिष्टि (आई एस 16128 : 2013)

– वहनीय ठोस बायोमास कुक स्टोव (चूल्हा) – विशिष्टि (आई एस 13152(भाग 1) : 2013) – पहला पुनरीक्षण

– मोटर वाहनों के उपयोग के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) धारक – विशिष्टि (आई एस 14899 : 2014) – पहला पुनरीक्षण

– वॉक इन कोल्ड रूम – विशिष्टि (आई एस 2370 : 2014)

– चिकित्सीय प्रयोगशालाएँ – गुणता और दक्षता की अपेक्षाएँ (आई एस / आई एस ओ 15189 : 2012) – दूसरा पुनरीक्षण

– नैनो टैक्नॉलोजी – नैनो मैटीरियल के वर्गीकरण की प्रविधि (आई एस / आई एस ओ / टी आर 11360 : 2010)

– विद्युतीय संस्थापनों के इनफ्रारेड थर्मोग्राफी निरीक्षण के मार्गदर्शी सिद्धांत (आई एस 16168 : 2014)

– धात्विक सामग्रियों की वेल्डिंग प्रक्रियाओं की विशिष्टि और योग्यता – सामान्य नियम (आई एस 16003 : 2012) / आई एस ओ 15607 : 2003)

– पानी में घुलनशील फिल्में (आई एस 16154 : 2013)

– कृषि वस्त्रादि – सिंचाई प्रयोजनों के लिए उच्च घनत्व वाले पॉलीइथाइलिन (एच डी पी ई) लेमीनेटकृत वुवन ले फ्लेट ट्यूब – विशिष्टि (आई एस 16190 : 2014)

h) Publicity

i) Sales of Indian Standards and Other Publications

j) Information Technology Services

k) Administration

l) Project Management and Works

m) Finance and Accounts

Highlights of BIS Achievements during 2013-14:

- 547 Indian Standards (309 new and 238 revised) covering wide range of subjects were formulated during the year. Some important standards formulated are as follows:

- Traceability in the Feed and Food Chain -- General Principles and Basic Requirements for System Design and Implementation (ISO 22005:2007)

- Food Hygiene - General Principles - Code of Practice (IS 2491:2013 - Third Revision)

- Food Grain Storage Godowns - Code of Practice (IS 16144:2014)

- Behind The Ear (BTE) Hearing Aids - Digital - Specification (IS 16127:2013)

- Set Top Box for mpeg - 4 Digital Cable TV Services-Specification (IS 16128:2013)

- Portable Solid Bio-Mass Cook Stove (Chulha) - Specification (IS 13152 (PT 1):2013 - First Revision)

- Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers for Automotive Use - Specification (IS 14899:2014 - First Revision)

- Walk-in Cold Rooms - Specification (IS 2370:2014)

- Medical Laboratories - Requirements for Quality and Competence (IS/ISO 15189:2012 - Second Revision)

- Nanotechnologies - Methodology for the Classification and Categorization of Nanomaterials (IS/ISO/TR 11360:2010)

- Guidelines for Infrared Thermography Inspection of Electrical Installations (IS 16168:2014)

- Specification and Qualification of Welding Procedure for Metallic Materials-General Rules (IS 16003:2012/ISO 15607:2003)

- Water Soluble Films (IS 16154:2013)

- Agro Textiles - High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube for Irrigation Purpose - Specification (IS 16190:2014)

– पूर्ण हो चुकी सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन (मुख्य और मध्यम)– मार्गदर्शी सिद्धांत(आई एस 16115 : 2013)

– उत्प्लव मार्ग के ऊर्जा क्षयकारक की संरचनात्मक डिजाइन – मानदंड (आई एस 11527 : 2013) पहला पुनरीक्षण

– पावर परियोजनाओं के लिए तलछट हटाने की युक्तियों के द्रवचालित डिजाइनों के मानदंड (आई एस 16173 : 2014)

– विस्फोटन तथा संबद्ध ड्रिलिंग प्रचालन–सुरक्षा संहिता (आई एस 4081 : 2013 दूसरा पुनरीक्षण)

– रेडियो रसायन प्रयोगशाला की सुरक्षा संहिता (आई एस 4906 1968 पहला पुनरीक्षण)

– तापीय विद्युतरोधन सामग्री का भण्डारण और प्रहस्तन रीति संहिता (आई एस 10556 : 1983 पहला पुनरीक्षण)

– पर्यावरण प्रबंध सामग्री फ्लो कॉस्ट एकाउंटिंग – सामान्य फ्रेमवर्क (आई एस/आई एस ओ 14051 : 2011)

– निम्ज्जनीय पम्पसैटों की मोटरें – विशिष्टि (आई एस 9283 : 2013)

– घरेलू रंग–रोगन में सीसे के प्रतिबंध को शामिल करना (आई एस 2932(भाग 1) : 2013)/आई एस 2933(भाग 1) : 2013/आई एस 12744(भाग 1) : 2013/आई एस 2339 : 2013)

➢ 31 मार्च 2014 को लागू लाइसेंसों की कुल संख्या 19199 थी।

➢ 31 मार्च 2014 को कुल 5259 भारतीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किए गए।

➢ ऐसे भारतीय मानक, जिनके संगत आईएसओ/आईईसी मानक विद्यमान हैं, की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगभग 88.5 प्रतिशत भारतीय मानक सुमेलित किए गए हैं।

➢ 15 इलेक्ट्रोनिक तथा आईटी वस्तुओं की अनुरूपता की स्व–घोषणा पंजीकरण की योजना अनिवार्य रूप से लॉच की गई। पहला पंजीकरण 2 जून 2013 को लॉच किया गया था। 31 मार्च 2014 को पूरे विश्वभर में स्थित निर्माताओं को प्रदान किए गए पंजीकरणों की संख्या 742 थी।

➢ अनिवार्य प्रमाण पत्र के अंतर्गत उत्पादों के मामले में लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 13 फरवरी 2014 से 'तत्काल लाइसेंसिंग योजना' के नाम से आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के समय के मानदंड स्पष्ट रूप से अधिकतम 30 दिन के रूप में निर्धारित किए गए (साथ ही परीक्षण का समय भी घटाया गया)। 'तत्काल लाइसेंसिंग योजना' के अंतर्गत आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है।

➢ आवेदन को रिकार्ड करने में होने वाले परिहार्य विलम्ब को कम करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए 1 नवम्बर 2013 से सभी शाखा कार्यालयों में प्रतिबद्ध सुविधा केन्द्र खोले गए।

- Evaluation of Completed Irrigation Projects (Major and Medium) – Guidelines (IS 16115:2013)
- Structural Design of Energy Dissipators for Spillways-Criteria (IS 11527:2013 - First Revision)
- Criteria for Hydraulic Design of Sediment Removal Devices for Power Projects (IS 16173:2014)
- Blasting and Related Drilling Operations – Safety Code (IS 4081:2013 - Second Revision)
- Code of Safety for Radiochemical Laboratory (IS 4906:1968 - First Revision)
- Storage and Handling of Thermal Insulation Materials - Code Of Practice (IS 10556:1983 -First Revision)
- Environmental Management – Material Flow Cost Accounting – General Framework (IS/ISO 14051:2011)
- Motors for Submersible Pumpsets – Specification (IS 9283:2013)
- Incorporation of Lead Restriction Requirement in Household Paints (IS 2932 (Part 1): 2013/IS 2933 (Part 1): 2013/IS 12744 (Part 1): 2013/IS 2339: 2013)

➢ The total number of standards in force as on 31 March 2014 was 19199.

➢ A total of 5259 Indian Standards have been harmonized with the International Standards as on 31 March 2014. Considering the number of Indian Standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 88.5% of Indian standards are harmonized.

➢ Launch of registration scheme for self-declaration of conformity for 15 electronics and IT goods under compulsory regime. First registration was granted on 02 June 2013. The total number of registrations granted to manufacturers located throughout the world was 742, as on 31 March 2014.

➢ A new scheme called 'Tatkal Licensing Scheme' has been introduced w.e.f 13 February 2014 to expedite the processing of grant of licence in case of products under Mandatory Certification. Under this scheme, the time norms for GOL have been clearly specified as 30 days maximum (plus) reduced testing time. The applications recorded under 'Tatkal Licensing Scheme' are accorded priority.

➢ Opening of dedicated facilitation counters w.e.f 01 November 2013 in all branch offices for receiving applications for grant of licence to cut down on avoidable delays in recording of applications.

- छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के स्टेकहोल्डरों की सुविधा के लिए क्रमशः रायपुर और जमशेदपुर में उप–शाखा कार्यालय खोले गए हैं। दुर्गापुर के वर्तमान निरीक्षण कार्यालय को उन्नत करके उप–शाखा कार्यालय बना दिया गया है ताकि इस औद्योगिक समूह क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों को पूरी और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
- वर्ष के दौरान 3580 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। चालू लाइसेंसों (हॉलमार्किंग को छोड़कर) की कुल संख्या 31 मार्च 2014 को 27796 थी।
- वर्ष के दौरान 10 उत्पाद पहली बार उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किए गए। ये उत्पाद हैं अर्थात् आई एस 10701:2012 – संरचना प्लाईवुड, आई एस 15041:2001 – वस्त्रादि–सामान्य सेवाओं के लिए कृत्रिम रेशे से बने सपाट बुने वेबिंग स्लिंग, आई एस 15884:2010 – सक्रिय ऊर्जा हेतु प्रत्यावर्ती धारा वाले प्रत्यक्ष जुड़े स्थैतिक पूर्व भुगतान किए मीटर (श्रेणी 1 एवं 2), आई एस 16008:2012 – कृषि और बागवानी प्रयोजनों हेतु टाइप 1 और टाइप 2 हेतु एग्रो टेक्सटाइल शेड नेट, आई एस 4375:1975 – निटेड सूती स्पोर्ट शर्ट, आई एस 15939:2011 – बाइफेन्थ्रिन डबल्यूपी, आई एस 8042:1989 – सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की पैकिंग, आई एस 6046:1982 – कृषि में प्रयोग हेतु जिप्सम, आई एस 15911:2010 – संरचना इस्पात (साधारण गुणता) और आई एस 14246:2013 – सतत, पहले से रोगन किए जस्तीकृत इस्पात शीट और कॉयल।
- वर्ष के दौरान स्वर्ण हॉलमार्किंग के 1666 लाइसेंस तथा रजत हॉलमार्किंग के 193 लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च 2014 को स्वर्ण और रजत आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए लागू लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 11902 और 841 थी। 31 मार्च 2014 को भामाब्यूरो मान्यताप्राप्त मूल्यांकन एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 285 थी।
- वर्ष के दौरान 49 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 14 पर्यावरण संबंधी प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 08 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 01 खाद्य प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस तथा 14 सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस जारी किए गए। 31 मार्च 2014 तक लागू लाइसेंसों की कुल संख्या 1247 थी।
- आम उपभोक्ता को भा.मा.ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग से बचाने के लिए देशभर में 97 छापे मारे गए। न्यायालय में दायर किए गए 66 मामलों में निर्णय हुआ है जिनमें से 63 मामलों का निर्णय भा.मा.ब्यूरो के पक्ष में हुआ।
- भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित नमूनों की संख्या और जारी की गई परीक्षण रिपोर्टों की संख्या क्रमशः 15990 और 18622 थी। चैन्नई में स्वर्ण रेफरल प्रयोगशाला ने दिसम्बर, 2010 से कार्य करना आरंभ किया है, इसने 2013–14 के दौरान 609 परीक्षण रिपोर्ट जारी की हैं।

- For the convenience of stake holders of Chhattisgarh and Jharkhand states, sub branch offices have been opened at Raipur and Jamshedpur respectively. The existing inspection office at Durgapur has been upgraded to sub branch office to provide complete and better services to stakeholders in that industrial cluster.
- 3580 Product Certification licences have been granted during the year. The total number of operative licences (excluding Hallmarking), as on 31 March 2014 were 27796.
- During the year 10 products were covered for the first time under the product certification scheme. They are namely IS 10701:2012 - Structural Plywood, IS 15041:2001 - Textiles – Flat Woven Webbing Slings made of Man-Made Fibers for General Services, IS 15884:2010 - Alternative Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (class 1 & 2), IS 16008:2012 - Agro Textiles Shade Nets for Agriculture and Horticulture Purposes for Type 1 and Type 2, IS 4375:1975 - Cotton knitted sport shirt, IS 15939:2011 - Bifenthrin WP, IS-8042:1989 Packing of White Portland cement, IS 6046:1982 - Gypsum for Agriculture Use, IS 15911:2010 - Structural Steel (Ordinary Quality) and IS 14246:2013 - Continuously Pre-painted Galvanized Steel Sheets and Coils.
- 1666 Gold hallmarking licences and 193 Silver hallmarking licences have been granted during the year. The number of operative licences for Hallmarking of gold and silver jewellery was 11902 and 841 respectively, as on 31 March 2014. The number of BIS recognized assaying and hallmarking centres was 285, as on 31 March 2014.
- 49 Quality Management System Certification licences, 14 Environmental Management Systems Certification licences, 08 Occupational Health and Safety Management Systems Certification licences, 01 Food Safety Management System Certification licence and 14 Service Quality Management System Certification licences were granted during the year. As on 31 March 2014, the total number of operative licences was 1247.
- During the year, 97 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark. 66 cases filed in court were decided, out of which 63 cases were decided in favour of BIS.
- The number of samples tested and the number of test reports issued by BIS Laboratories were 15990 and 18622 respectively. Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai, started in December 2010, has issued 609 test reports during 2013 - 14.

- 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रबंध पद्धति पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर 45वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के 91 सहभागियों ने भाग लिया।
- नई दिल्ली में 16–26 अक्टूबर 2013 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने आई.ई.सी. की 77वीं जनरल बैठक (आई.ई.सी. जीएम) 2013 का आयोजन किया। आई.ई.सी. जीएम 2013 में 80 विभिन्न देशों के लगभग 800 विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया।
- विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, 2013 को अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मानक दिवस की विषयवस्तु थी 'अन्तर्राष्ट्रीय मानक सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं'।
- भा.मा.ब्यूरो के मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- भा.मा.ब्यूरो के मुख्यालय में और इसके सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में 12–27 सितंबर 2013 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- 31 मार्च 2014 को भा.मा.ब्यूरो के वेतनरोल पर कुल 1480 व्यक्ति थे।
- वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने चहुंमुखी प्रगति जारी रखी। ब्यूरो की कुल आय (निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर) रू. 31443.12 लाख दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष यह आय रू. 28017.48 लाख थी, जिसमें भा.मा.ब्यूरो पंजीकरण योजना से प्राप्त आय भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप 12.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भा.मा.ब्यूरो ने लगातार 25वें वर्ष अपने व्यय और अन्य देयताओं को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर रहना जारी रखा।

महानिदेशक

ई–मेल : dg@bis.org.in
वेबसाइट : www.bis.org.in

- The 10th International Training Programme on Management Systems, the 45th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance and the 04th International Training Programme on Laboratory Quality Management System were organised by NITS during 2013-14, which were attended by 91 participants from various developing countries.
- BIS organized the 77th IEC General Meeting (IEC GM) 2013 during 16 - 26 October 2013 at New Delhi. Around 800 delegates from more than 80 different countries participated in IEC GM 2013.
- World Standards Day was celebrated on 14 October 2013 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme of this year World Standards Day was 'International Standards Ensure Positive Change'.
- Vigilance Awareness Week was observed in BIS at its headquarters and in all the regional and branch offices from 28 October to 02 November 2013.
- Hindi Pakhwara was celebrated in BIS at its headquarters and in all the regional and branch offices from 12 to 27 September 2013, during which different competitions in Hindi were organized.
- As on 31 March 2014, a total of 1480 persons were on roll in BIS.
- Bureau of Indian Standards has maintained all round progress during the year 2013-14. It recorded a total income (excluding interest from investment) of 31443.12 lakhs and a growth of 12.23% (which includes income from the BIS Registration Scheme) over the income during the previous year which was 28017.48 lakhs. For the twenty fifth consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities

Director General

e-mail : dg@bis.org.in
Website : www.bis.org.in

मानकीकरण

मानक निर्धारण

भा.मा.ब्यूरो समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप आवश्यकता के आधार पर भारतीय मानकों का निर्धारण करता है। यह उद्योगों और व्यापार के सभी पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना, सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप बनाता है।

भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए भा.मा.ब्यूरो पृथक्–पृथक् विभाग परिषदों के तहत विषयों के विशिष्ट समूहों संबंधी कार्य के लिए गठित विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों के रूप में तकनीकी समिति–संरचना के माध्यम से कार्य करता है। विषय समितियों, उप–समितियों और पैनलों के साथ–साथ उनकी विभाग परिषदों में भा.मा.ब्यूरो के अधिकारी और संबद्ध विभिन्न संगठनों, जैसे संगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता निकायों, नियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, परीक्षण संगठनों के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

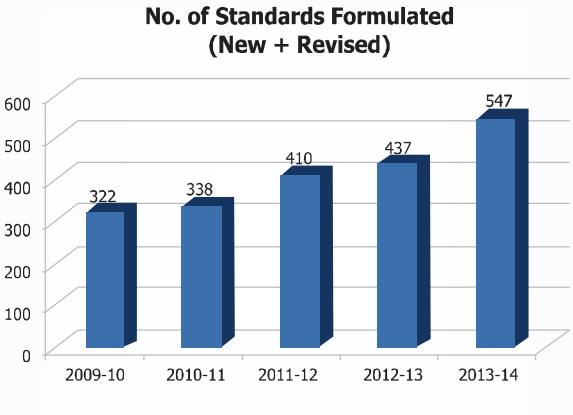

भारतीय मानक(मानकों) के निर्धारण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, उद्योग संघों, पेशेवर निकायों, ब्यूरो सदस्यों तथा इसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है। संबंधित विभाग परिषद् द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने के बाद भारतीय मानक के निर्धारण के लिए संबंधित विषय समिति उस पर मानक बनाती है।

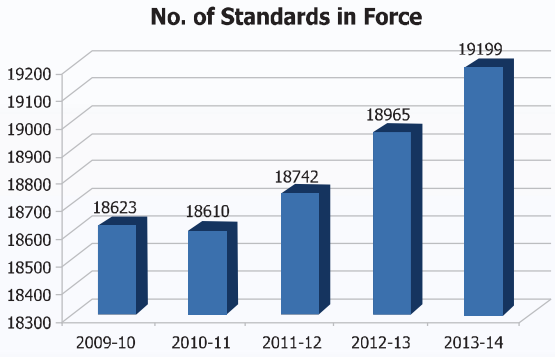

12 विभागीय परिषदों, यथा सिविल इंजीनियरी, रसायन इंजीनियरी, विद्युत–तकनीकी, खाद्य एवं कृषि, इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपस्कर तथा अस्पताल आयोजना, धातुकर्म इंजीनियरी, प्रबंध एवं पद्धति, उत्पादन एवं सामान्य इंजीनियरी, परिवहन इंजीनियरी, वस्त्रादि और जल संसाधन विभागों ने वर्ष के दौरान बैठकें आयोजित कीं। विषय समितियों की 232 बैठकों के साथ–साथ बड़ी संख्या में उपसमितियों और पैनलों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी

STANDARDIZATION

STANDARDS FORMULATION

BIS is formulating need-based Indian standards in line with the National Priorities in a time-bound manner. It also harmonizes National Standards with International Standards in order to facilitate adoption of International Standards by all segments of industry and business.

For formulation of Indian Standards, BIS functions through the Technical Committee structure in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under their respective Division Councils. The sectional committees, subcommittees and panels as well as their division councils include concerned officials of BIS and representatives of various interests such as organized consumers, consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) may be submitted by any Ministry of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees. The proposal is taken up for formulation of standards by an appropriate Sectional Committee with the approval of the concerned Division Council.

Twelve Division Councils, namely, Civil Engineering, Chemical Engineering, Electro Technical, Food and Agriculture, Electronics and Information Technology, Medical Equipment and Hospital Planning, Metallurgical Engineering, Management and Systems, Production and General Engineering, Transport Engineering, Textile and Water Resources Departments met during the year. The meetings of 232 Sectional committees, in addition to large number of

दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया। भा.मा.ब्यूरो की नवीन प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और अप्रचलित मानकों को वापस लेने की नीति है। अप्रैल 2013–मार्च 14 के दौरान भा.मा. ब्यूरो ने 547 (309 नए और 238 पुनरीक्षित) मानक बनाए, जिससे 31 मार्च 2014 तक लागू मानकों की संख्या 19199 हो गई।

मानकों की समीक्षा

जब भी आवश्यक समझा जाए, परन्तु पांच वर्षों में कम से कम एक बार मानकों का पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे अभी भी प्रासंगिक हैं और पुनरीक्षण उनकी पुनर्पुष्टि करने, पुनरीक्षण करने, संशोधन जारी करने, अप्रयुक्त घोषित करने या वापस लेने की उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। गत वर्ष के दौरान 4436 मानकों का पुनरीक्षण किया गया, 4298 मानकों को पुनर्पुष्ट किया और 91 मानकों को वापस लिया गया।

सुमेलन

बाजार के परिदृश्य में, भारत विश्वस्तरीय चुनौती का सामना कर रहा है। बाजार में टिके रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानकों को यथा संभव अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी संगठन (आई ई सी) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के सुमेलन बनाया जाए। इसके साथ–साथ भारत व्यापार में तकनीकी बाधाओं हेतु डब्ल्यू टी ओ समझौते का भी हस्ताक्षरकर्ता है। इस समझौते के अनुसार डब्ल्यू टी ओ समझौता करने वाले सदस्यों के लिए अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समरूप करना आवश्यक है। तथापि, कोई देश स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और धोखाधड़ी के तरीकों की रोकथाम हेतु विशेष अपेक्षाएँ शामिल करने पर विचार शामिल कर सकता है। भा.मा.ब्यूरो मानक निर्धारण हेतु आधार के रूप में उन विषयों पर उपलब्ध होने पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है। गत वर्ष के दौरान 165 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलन किया गया। अब तक 5259 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलन किया जा चुका है, जो भारतीय मानकों के उन मानकों का 88.5 प्रतिशत है, जिनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान नई पहल

- दो मानकों के साथ–साथ चालू रहने की प्रणाली।
- मानकों में मल्टीग्रेड।
- द्विअंक पद्धति (दुअल नम्बरिंग सिस्टम) के अंतर्गत अन्य निकायों द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाना।
- खाद्य एवं कृषि उत्पादों के क्षेत्र में एक एफ एस एस ए आइ., डी एम आई (एगमार्क) और भा.मा.ब्यूरो के बीच मानक निर्धारण को समनुरूप बनाना।
- मानकों को द्रुत, बेहतर और प्रासंगिक बनाने के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत बनाने हेतु प्रक्रियाओं की समीक्षा।

subcommittees and panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and to withdraw obsolete standards. During the period April 2013 - March 2014, 547 (309 new and 238 revised) standards were formulated. The total number of standards in force as on 31 March 2013 was 19199.

Review of Standards

Indian Standards are reviewed as and when considered necessary, but at least once in five years to establish whether these standards are still current and to take appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdrawal. During the year, 4436 standards were reviewed, 4298 standards were reaffirmed and 91 standards have been withdrawn.

Harmonization

In the market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with International Standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) and the International Electro-technical Commission (IEC). Further, India is a signatory to the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered/ incorporated while formulating National Standards. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for standards development. During the year, 165 Indian Standards were harmonized with International Standards. A total of 5259 Indian Standards have so far been harmonized with International Standards, which is 88.5% of Indian Standards where corresponding ISO/ IEC Standards exist.

NEW INITIATIVES DURING 2013-14

- A system for concurrent running of two Indian Standards.
- Multiple Grades in Standards.
- Adoption of Standards developed by other bodies as Indian Standards under dual numbering system.
- Harmonization of standard formulation between FSSAI, DMI (AGMARK) and BIS in the area of food and agricultural products has been initiated.
- Review of procedures to strengthen standards formulation in order to make standards faster, better and relevant.

- भारतीय मानकों के प्रकाशन में तेजी हेतु एक अभियान चलाया गया।

वर्ष 2013–14 के दौरान निर्धारित मानकों की सूची निम्नलिखित है :

आहार एवं खाद्य श्रृंखला अभिज्ञात करना – प्रणाली डिजाइन एवं कार्यान्वयन के सामान्य सिद्धांत एवं आधारभूत अपेक्षाएं (आई एस ओ 22005 : 2007)

इस मानक में आहार एवं खाद्य अभिज्ञात पद्धति के डिजाइन और कार्यान्वयन के सिद्धांत एवं मूलभूत आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसे कोई संगठन आहार एवं खाद्य श्रृंखला में किसी भी चरण में कार्यान्वित कर सकता है। यह इतना अनुकूल है कि कोई आहार एवं खाद्य संगठन ज्ञात उद्देश्यों को हासिल कर सकता है। यह अभिज्ञात पद्धति संगठन को अपने परिभाषित उद्देश्यों का अनुपालन करने में सहायक एक तकनीकी साधन है और यह उत्पाद अथवा उसके संबद्ध घटकों का इतिहास अथवा स्थान ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है।

खाद्य स्वच्छता – सामान्य सिद्धांत – रीति संहिता (आई एस 2491 : 2013 – तृतीय पुनरीक्षण)

यह मानक खाद्य स्वच्छता रीति को सुनिश्चित करने के लिए एक दृढ़ आधार है और जहां कहीं उपयुक्त हो, वहां स्वच्छता रीति की प्रत्येक विशिष्ट संहिता के साथ मिला कर इसका प्रयोग किया जाए। यह मानक आरंभिक उत्पादन से लेकर अंतिम खपत तक खाद्य श्रृंखला का अनुसरण करता है जिसमें प्रत्येक चरण में प्रमुख स्वच्छता नियंत्रकों को दिया गया है। यह मानक, जहां कहीं भी संभव है, वहां खाद्य निरापदता को बढ़ाने के लिए एच ए सी सी पी अथवा एफ.एस.एम.एस आधारित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है।

नारियल दूध पाउडर – विशिष्टि (आई एस 16116 : 2013)

इस मानक में नमी का अंश, ग्रेडिंग, नमूने लेने, परीक्षण पद्धतियां, पैकिंग एवं मुहरांकन जैसी अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्करित नारियल उत्पादों में नारियल दूध पाउडर का महत्वपूर्ण स्थान है। इस उत्पाद के विदेशी एवं देसी व्यापार को विकसित करने की बहुत संभावनाएं हैं। नारियल दूध पाउडर की मांग को बनाए रखने तथा अधिक बढ़ाने के लिए इस उत्पाद की गुणता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस उत्पाद की सही गुणता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है इस मानक विशिष्टि पर आधारित कड़ा गुणता नियंत्रण हो।

अनाज भंडारण गोदाम – रीति संहिता (आई एस 16144 : 2014)

हरित क्रांति के बाद के समय में भारतीय कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय विकास हुआ है। अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ है और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में दालों, तिलहन, और फाइबर के उत्पादन में असाधारण विकास हुआ है। अतएव, देश में कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधाओं को सुदृढ़ करने और भंडारण सुविधाएं पैदा करने की आवश्यकता है। अनाज गोदामों का निर्माण करके इस प्रकार की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। भंडारण की कमी होने के कारण उत्पादन

- A drive was launched to expedite publishing Indian Standards.

Details of important standards formulated during the year 2013-14 are as follows:

Traceability in the Feed and Food Chain -- General Principles and Basic Requirements for System Design and Implementation (ISO 22005:2007)

This standard gives the principles and specifies the basic requirements for the design and implementation of a feed and food traceability system. It can be applied by an organization operating at any step in the feed and food chain. It is intended to be flexible enough to allow feed organizations and food organizations to achieve the identified objectives. The traceability system is a technical tool to assist an organization to conform with its defined objectives, and is applicable when necessary to determine the history or location of a product or its relevant components.

Food Hygiene - General Principles - Code of Practice (IS 2491:2013 - Third Revision)

This standard lays a firm foundation for ensuring food hygiene and should be used in conjunction with each specific code of hygienic practice, wherever appropriate. The standard follows the food chain from primary production through to final consumption, highlighting the key hygiene controls at each stage. It recommends a HACCP or FSMS based approach wherever possible to enhance food safety.

Coconut Milk Powder - Specification (IS 16116:2013)

This standard specifies requirements such as moisture content, grading, sampling, methods of test, packing and marking. Coconut milk powder occupies an important place among the processed coconut products which are exported from India. There is ample scope for the development of external as well as the internal trade for this product. If the demand for coconut milk powder is to be maintained and further developed, it is necessary to ensure the quality of the product. In order to ensure maintenance of proper quality, it is necessary to have strict quality control based on the standard specifications.

Food Grain Storage Godowns - Code of Practice (IS 16144:2014)

In the post-green revolution era, there has been a significant growth in the production and productivity in the Indian agriculture. The country has become self-sufficient in food grains and achieved a remarkable growth in the production of pulses, oil seeds and fibres to meet the requirements of the country. Therefore, the facility for storage of agricultural produce needs to be strengthened in the country and the creation of storage facilities,

के पश्चात् अनाज का एक बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई भंडारण संरचनाओं से ऐसी क्षति को कम किया जा सकता है और इनके होने से कृषकों को गुणता/महंगें निवेश वाली फसलों को पैदा करने का विश्वास भी मिलेगा। इस मानक में भंडारण गोदामों के स्थान, डिजाइन और निर्माण, क्षमता तथा आयाम इत्यादि जैसी अपेक्षाएं दी गई हैं। इस मानक में शामिल भंडारण गोदाम परंपरागत चिनाई वाले ढांचे हैं। यह मानक उन खराब होने वाली वस्तुओं अथवा उत्पादों पर लागू नहीं होता है जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज इत्यादि जैसे नियंत्रित तापमान वाले भंडारणों की आवश्कयता होती है।

कान के पीछे लगने वाले (बी टी ई) श्रवण यंत्र – डिजिटल – विशिष्टि (आई एस 16127 : 2013)

श्रवण यंत्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सुनने में असमर्थ व्यक्ति आवाज को बढ़ाने के लिए आम तौर पर कान में अथवा उसके पीछे लगाता है। कान के सैल कहे जाने वाले कान के भीतरी हिस्से में छोटे संवेदी सैलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बहरेपन की समस्या वाले लोगों की सुनने और बोलने की समझ को बेहतर करना इस यंत्र का प्रमुख कार्य होता है। श्रवण यंत्र जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। इस मानक में बी टी ई श्रवण यंत्रों – डिजिटल की सामान्य और कार्यकारिता संबंधी अपेक्षाएं दी गई हैं।

एम पी ई जी हेतु सेट टॉप बाक्स – 4 डिजिटल केबल टी वी सेवाएं – विशिष्टि (आई एस 16128 : 2013)

सेट टॉप बॉक्स (एस टी बी) अथवा सेट टॉप यूनिट (एस टी यू) एक ऐसा उपकरण है जो टेलीविजन को सिग्नल के बाहरी स्रोत से जोड़ता है और स्रोत सिग्नल को उस प्रारूप में बदलता है जिसे बाद में टेलीविजन स्क्रीन अथवा अन्य किसी उपकरण पर देखा जा सकता है। यह टेलीविजन सेट को डिजिटल टेलीविजन (डी टी वी) प्रसारण को ग्रहण करने और डिकोड करने में सक्षम बनाता है।

इस मानक में ग्राहक द्वारा मल्टीचैनल टेलीविजन कार्यक्रम रिसीव करने वाले डिजिटल सेट टॉप बाक्स की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। यह बॉक्स एम पी ई जी–4 मानक से कार्यक्रमों को संपीडित करके उसको चैनल कोडित तथा डी वी बी–सी मानक से उसे मॉडयूलित करता है और यह कार्यक्रम कोएक्सीयल केबल नेटवर्क से अंशदान देने वाले ग्राहक के घर तक पहुंचते हैं।

डिजिटल टैरीस्ट्रियल एच डी टी वी/एस डी टी वी रिसेप्शन हेतु सेट टॉप बॉक्स – विशिष्टि (आईएस 16129 : 2014)

स्टैंड्र्ड डैफीनेशन (एस डी) और हाई डैफीनेशन (एच डी) टेलीविजन सिग्नल, दोनों के रिसेप्शन के लिए ग्राहक द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले सेट टॉप बाक्स की अपेक्षाएं दी गई हैं। यह सेट टॉप बॉक्स डी वी बी–टी2 डिजिटल टैरीस्ट्रियल टेलीविजन एमीशन स्टैंडर्ड्स के प्रयोग से सिग्नल प्रसारित करता है। यह एसटीबी टैरीस्ट्रियल टीवी एरियल से जुड़ा होगा और एच डी टी वी रिसेप्शन के लिए यह 'एच डी रेडी टी वी/किसी टी वी रिसीवर या टी वी डिस्पले के साथ जुड़ा होना चाहिए।

through construction of food grain godowns is likely to fulfil this requirement. Storage losses constitute a major share of food grain loss in post-production operations. Scientifically designed storage structures, reduce the losses and their existence provide confidence to the farmers for raising crops with quality/costly inputs. This Standard covers the basic requirements such as location, design and construction, capacities and dimensions, etc for food grain storage godowns. The storage godowns covered in this standard are conventional masonry structures. This Code does not apply to storage of perishables or those commodities which require storage under controlled temperature like cold storage etc.

Behind The Ear (BTE) Hearing Aids - Digital - Specification (IS 16127:2013)

Hearing aid is an electronic device usually worn in or behind the ear of a hearing-impaired person for amplifying sound. It is primarily useful in improving the hearing and speech comprehension of people who have hearing loss that results from damage to the small sensory cells in the inner ear, called hair cells, Hearing Aids improve safety and increase quality of life. This standard specifies the general and performance requirements of the BTE hearing aids – digital.

Set Top Box for mpeg - 4 Digital Cable TV Services-Specification (IS 16128:2013)

A set-top box (STB) or set-top unit (STU) is a device that connects to a television set and an external source of signal, turning the source signal into content form that can then be displayed on the television screen or other device. It enables a television set to receive and decode digital television (DTV) broadcasts.

This standard specifies the requirements for a Digital Set Top Box (STB) to be used by subscribers to receive multichannel television programs which are compressed using the MPEG - 4 standard and channel coded and modulated using the DVB-C standard and delivered over a coaxial cable network to subscriber homes.

Set Top Box for Digital Terrestrial HDTV/SDTV Reception - Specification (IS 16129:2014)

This standard specifies the requirements for a set top box (STB), to be used by the subscribers for the reception of both Standard Definition (SD) and High Definition (HD) television (TV) signals, transmitted by using DVB-T2 digital terrestrial television emission standards. The STB input will be connected to a terrestrial TV aerial and for HD TV reception the STB output should be connected to a 'HD Ready' TV/ any TV receiver or TV display.

पोर्टेबल ठोस जैव ईंधन चूल्हा – विशिष्टि (आई एस 13152 (भाग 1) : 2013 – प्रथम पुनरीक्षण)

जैविक ईंधन चूल्हा एक दहन उपकरण है जो जैविक ईंधन का अधिक दक्षता से व कम उत्सर्जन करते हुए दहन करता है और पकाने का स्वच्छ ऊर्जा वाला माध्यम है। यह मानक सर्वप्रथम 1991 में प्रकाशित किया गया था, जिसे बाद में 2013 में संशोधित किया गया। यह संशोधन प्रौद्योगिकीगत विकास और बेहतर घरेलू एवं सामुदायिक जैवईंधन चूल्हों के लिए पोर्टेबल स्वाभाविक प्रारूप और अनिवार्य प्रकार के प्रारूपों के परीक्षण प्रोटोकॉल को संपुटित करने के लिए किया गया। इस मानक में घरेलू एवं सामुदायिक/व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न डिजाइनों तथा ठोस जैवईंधन पोर्टेबल चूल्हों के किस्मों की अपेक्षाएं भी दी गई हैं।

निम्न दाब द्रवीय गैसों के लिए 5 लिटर से अधिक की क्षमता वाले वेल्डित अल्प कार्बन इस्पात सिलिंडर भाग 1 द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) के लिए सिलिंडर – विशिष्टि (आई एस 3196 (भाग 1) : 2013)

यह मानक द्रवीय पेट्रोलियम गैस के भंडारण एवं परिवहन के लिए अभीष्ट 5 लिटर से अधिक और 250 लिटर जल क्षमता तक की अभिहित क्षमता वाले वेल्डित अल्प कार्बन इस्पात सिलिंडरों से संबंधित है। इस मानक में इन सिलिंडरों की सामग्री, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, परीक्षण और मुहरांकन की अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। यह मानक मूल रूप से 1965 में जारी किया गया था और बाद में 1968, 1974, 1982, 1992 और 2006 में इसका पुनरीक्षण किया गया।

गैस वाले तात्क्षणिक वाटर हीटर – रीति संहिता (आई एस 16093 : 2013)

गैस वाले वाटर हीटर के सुरक्षित उपयोग के लिए उनका सही संस्थापन बहुत महत्त्वपूर्ण है। इनके सही तरह से संस्थापित न होने के कारण दम घुट सकता है, आग लग सकती है अथवा विस्फोट के कारण जान–माल का नुकसान हो सकता है। इस मानक में गैस वाले तात्क्षणिक वाटर हीटर के संस्थापन की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। यह मानक वाटर हीटर के संस्थापन के लिए प्रयोग में आने वाली पाइपिंग एवं उपस्करों जैसे संबद्ध संघटकों पर भी लागू होता है।

स्वचल प्रयोग हेतु द्रवीय पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आधान – विशिष्टि (आई एस 14899 : 2014 – प्रथम पुनरीक्षण)

यह मानक अनिवार्यतः स्वचल वाहन सेवा के लिए है और यह वांछनीय है कि अन्य दाब पोतों के लिए वर्तमान में विद्यमान सुरक्षा स्तर भी बनाए रखे जाएं। सिलिंडरों के मालिक और उन्हें भरने वाले यह ध्यान रखें कि निर्दिष्ट सेवा काल के लिए निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार इस मानक के लिए डिजाइन किए गए सिलिंडरों का प्रयोग सुरक्षित तरीके से करें। यह मालिकों और प्रयोक्ताओं का दायित्व है कि वह समय–समय पर यथा संशोधित गैस सिलिंडर नियम 2004 और इन नियमों के अंतर्गत सांविधानिक प्राधिकरण द्वारा यथा लागू नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सिलिंडरों का

Portable Solid Bio-Mass Cook Stove (Chulha) - Specification (IS 13152 (PT 1):2013 - First Revision)

Biomass cook stove is a combustion device which burns biomass fuel more efficiently with reduced emissions and offers cleaner cooking energy solutions. This standard was first published in 1991 and subsequently revised in 2013 to encapsulate the technological advancement and test protocols for the portable natural draft and forced draft types improved domestic and community biomass cook stoves. The standard also covers requirements of different designs and types of solid bio-mass portable cook stove (chulha) for domestic and community/commercial applications.

Welded Low Carbon Steel Cylinders Exceeding 5 Litres Water Capacity for Low Pressure Liquefiable Gases Part 1 Cylinders for Liquefied Petroleum Gases (LPG) - Specification (IS 3196 (Pt 1):2013)

This standard deals with welded low carbon steel cylinders intended for storage and transportation of liquefied petroleum gases of nominal capacity exceeding 05 litres up to and including 250 litres water capacity. This standard lays down the minimum requirements for the materials, design, manufacture, construction, tests and marking on these cylinders. This standard was originally issued in 1965 and subsequently revised in 1968, 1974, 1982, 1992 and 2006.

Installation of Gas Based Instantaneous Water Heater - Code of Practice (IS 16093:2013)

Proper installation is very important for safe uses of gas based water heater. Improper installation may result in asphyxia, fire or explosion causing personal injury or damage to property. This standard lays down the requirements for installation of gas based instantaneous water heaters. This standard also applies to the associated components like piping and equipment used for installation of the water heater.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers for Automotive Use — Specification (IS 14899:2014 - First Revision)

This standard is essentially for automotive vehicle service and it is desirable that the level of safety currently existing for other pressure vessels must also be maintained. Owners and fillers of cylinders should note that cylinder designed to this standard are to operate safely if used in accordance with specified service conditions for a specified finite service life only. It is the responsibility of the owners and users to ensure that cylinders are periodically tested as per norms laid down in Gas Cylinders Rules, 2004, as amended from time to time and as enforced by statutory

समय–समय पर परीक्षण सुनिश्चित करें। इस मानक में वाहन में लगाने एवं उस स्थिति में वाहन पर फिट करने हेतु वाहन प्रणोदक के लिए स्थायी तौर पर स्वचल द्रवीय पेट्रोलियम गैस हेतु सभी वेल्डित इस्पात आधानों के डिजाइन की अपेक्षाएं, निर्माण एवं परीक्षण की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं।

वाक–इन कोल्ड कक्ष –विशिष्टि (आई एस 2370 :2014)

वाक–इन कोल्ड कक्ष औद्योगिक प्रयोजनों के साइज के वे फ्रिज होते है जो बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं को स्थिर तापमान पर रखने के लिए होते हैं। कैबिनेट फ्रिजों के विपरीत इन वाक इन कोल्ड कक्षों और वाक इन फ्रीजर कक्षों के दरवाजे फर्श की सतह तक होते हैं जिससे कि व्यक्ति सामान तक पहुंचने के लिए कक्ष में प्रवेश कर सकता है। इन कक्षों में सामान एक तरफ तथा/अथवा पिछली दीवारों पर रखा जाता है। यह मानक सर्वप्रथम 1963 में प्रकाशित किया गया और बाद में 2014 में संशोधित किया गया।

इस मानक में 5 किलो–लिटर से लेकर 200 किलो–लिटर तक की कुल मात्रा की क्षमता वाली और बिजली से चलने वाली वेपर कम्प्रेशन प्रकार की रेफ्रीजरेटिंग मशीन वाले कोल्ड कक्षों की सामान्य संरचनागत एवं कार्यकारिता अपेक्षाएं दी गई हैं। इसमें पारिभाषिक शब्दावली, कोल्ड रूम एवं यूनिट कूलर के अभिलक्षण, विद्युत उपस्कर तथा वाक–इन कोल्ड कक्षों के परीक्षणों के वर्गीकरण भी निर्दिष्ट किए गए हैं।

इन विट्रो डायग्नोस्टिक परीक्षण पद्धतियां – डायबिटीज मैलीटस नियंत्रण में स्व–परीक्षण के लिए ब्लड–ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग प्रणाली की अपेक्षाएं (आई एस/आई एस ओ 15197:2013–प्रथम पुनरीक्षण)

इस भारतीय मानक में कोशकीय रक्त नमूनों में ग्लूकोज का स्तर मापने वाली इन विट्रो मॉनीटरिंग सिस्टम के विशिष्ट डिजाइन की सत्यापन विधियों और अभीष्ट प्रयोगकर्ता द्वारा कार्यकारिता की मान्यता की अपेक्षाएं दी गई हैं। ये प्रणाली आम आदमी द्वारा डायबिटीज मैलीटस के प्रबंधन हेतु स्वतः मापन के लिए है।

यह अंतर्राष्ट्रीय मानक इस प्रकार की प्रणाली के निर्माताओं तथा उन संगठनों (अर्थात नियामक प्राधिकरण एवं अनुरूपता आंकलन निकाय) के लिए है जिन पर इन प्रणालियों की कार्यकारिता के मूल्यांकन की जिम्मेदारी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक उन ग्लूकोज़ मॉनीटरिंग प्रणालियों के लिए नहीं है जो क्रमसूचक पैमाने (अर्थात दृश्य, अर्ध प्रमात्रात्मक मापन प्रक्रियाएं) पर मापक मान देते प्रदान करते हैं अथवा उन चिकित्सकीय उपकरणों के लिए भी नहीं है जो स्व–मॉनीटरिंग के लिए सतत ब्लड–शुगर मापते हैं। यह मानक इस प्रकार की प्रणालियों की कार्यकारिता का मूल्यांकन करने की कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु गाइड के रूप में उपयोगी हो सकता है। इस मानक में पारिभाषिक शब्द एवं परिभाषाएं, डिजाइन एवं विकास, सुरक्षा और विश्वसनीयता परीक्षण, विश्लेषणात्मक कार्यकारिता मूल्यांकन, विनिर्माता द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रयोक्ता कार्यकारिता का मूल्यांकन दिया गया है।

authorities under these rules. This standard specifies the requirements of design, construction and testing of all welded steel containers for automotive liquefied petroleum gas (LPG) for vehicle propulsion, to be fixed permanently on the vehicle and fitted in that position.

Walk-in Cold Rooms - Specification (IS 2370:2014)

Walk-in cold rooms are industrial sized fridges for storing large volumes of foodstuffs and other perishable supplies at a constant temperature. In contrast to cabinet fridges, walk in cold rooms and walk in freezer rooms have a door which goes down to floor level and allows a person to completely enter the room to reach stock which will typically be stored on shelving on side and/or rear walls. This standard was first published in 1963 and subsequently revised in 2014.

This standard covers the general constructional and performance requirements of walk-in cold rooms within the range of 05 kilo-litres to 200 kilo-litres gross volume capacity and operated by an electrically driven refrigerating machine of the vapor compression type. It also specifies the Terminology, Characteristic of Cold Room and Unit Cooler, Electrical Equipment and Classification of Tests for the Walk-in Cold Rooms.

In Vitro Diagnostic Test Systems - Requirements for Blood-Glucose Monitoring System for Self-Testing in Managing Diabetes Mellitus (IS/ISO 15197:2013 - First Revision)

This Indian Standard specifies requirements for in vitro glucose monitoring systems that measure glucose concentrations in capillary blood samples, for specific design verification procedures and for the validation of performance by the intended users. These systems are intended for self-measurement by lay persons for management of diabetes mellitus.

This International Standard is applicable to manufacturers of such systems and those other organizations (e.g. regulatory authorities and conformity assessment bodies) having the responsibility for assessing the performance of these systems. This International Standard does not apply to glucose monitoring systems that provide measured values on an ordinal scale (e.g. visual, semi quantitative measurement procedures) or medical devices that measure blood-glucose continuously for self-monitoring; it may be useful as a guide for developing procedures to evaluate the performance of such systems. This standard covers terms and definitions, design and development, safety and reliability testing, analytical performance evaluation, information supplied by the manufacturer, user performance evaluation.

मेडिकल प्रयोगशालाएं – गुणता एवं सक्षमता अपेक्षाएं (आई एस/आई एस ओ 15189 : 2012 – द्वितीय पुनरीक्षण)

इस मानक में मेडिकल प्रयोगशालाओं में गुणता और सक्षमता की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। इस भारतीय मानक का उपयोग मेडिकल प्रयोगशालाएं अपनी गुणता प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने तथा अपनी सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कर सकती हैं। इस मानक का उपयोग प्रयोगशाला के ग्राहक, नियामक प्राधिकरण और प्रत्यायन निकाय मेडिकल प्रयोगशाला की अनुरूपता अथवा उसकी सक्षमता की मान्यता के लिए भी कर सकते हैं।

यह मानक मेडिकल प्रयोगशाला की वर्तमान में मान्य शाखाओं में पूर्ण उपयोग के लिए है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी और उपयुक्त हो सकता है जो चिकित्सकीय फिजीयोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग और चिकित्सा भौतिकी जैसी अन्य सेवाओं और शाखाओं में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल प्रयोगशालाओं की सक्षमता को मान्यता देने वाले निकाय अपने क्रियाकलापों के लिए आधार के रूप में इन मानक का उपयोग कर पाएंगें। यदि कोई प्रयोगशाला प्रत्यायन कराना चाहती है तो उसे ऐसे प्रत्यायन निकाय का चयन करना चाहिए जो उपयुक्त भारतीय मानक के अनुसार कार्य करता हो और जो मेडिकल प्रयोगशाला की विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखे।

कोयले से बने स्पन्ज आयरन से चार में चुम्बकीयता (डी आर आई) (आई एस 16182:2014)

इस मानक में कोयले से बने स्पंच आयरन में डी आर आई से चार में चुम्बकीयता ज्ञात करने की पद्धतियां निर्दिष्ट की गई हैं।

संरचनागत प्रयोजनों हेतु इस्पात की नलियां (आई एस 1161 : 2014– पांचवा पुनरीक्षण)

इस मानक में संरचनागत प्रयोजनों हेतु तप्त तैयार जोड़रहित (एच एफ एस), और विद्युत सहायता से वेल्डित अथवा उच्च आवृत्ति की वेल्डित इस्पात की नलियों की अपेक्षाएं दी गई हैं।

सूक्ष्मप्रौद्योगिकी – नैनो सामग्री के वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण की कार्य–प्रणाली (आई एस/आई एस ओ /टी आर 11360 : 2010)

इस तकनीकी रिपोर्ट में 'नैनो–ट्री', कहे जाने वाली वर्गीकरण पद्धति दी गई है जिसके आधार पर विस्तृत रेंज की नैनो सामग्री को वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण में विभिन्न भौतिक, रासायनिक, चुम्बकीय और जैविक गुणधर्म वाली भिन्न आयामों की नैनो वस्तुएं, नैनो संरचनाएं एवं नैनो–यौगिक शामिल हैं।

सूक्ष्मप्रौद्योगिकी – प्रेरकीय संयोजित प्लाज़मा मास स्पेक्ट्रोमीटरी के प्रयोग से कार्बन नैनोट्यूब के नमूनों में तात्त्विक अशुद्धियां ज्ञात करना (आईएस/आईएसओ/टीएस 13278 : 2011)

इस मानक में एकल–भित्ति की कार्बन नैनो नलियों (एसडब्ल्यूसीएनटी) और बहुभित्तीय कार्बन नैनो नलियों

Medical Laboratories - Requirements for Quality and Competence (IS/ISO 15189:2012 - Second Revision)

This Indian Standard specifies requirements for quality and competence in medical laboratories. This Indian Standard can be used by medical laboratories in developing their quality management systems and assessing their own competence. It can also be used for confirming or recognizing the competence of medical laboratories by laboratory customers, regulating authorities and accreditation bodies.

This standard is intended for use throughout the currently recognized disciplines of medical laboratory, those working in other services and disciplines such as clinical physiology, medical imaging and medical physics could also find it useful and appropriate. In addition, bodies engaged in the recognition of the competence of medical laboratories will be able to use this standard as the basis for their activities. If laboratory seeks accreditation, it should select an accrediting body which operates in accordance with appropriate Indian Standard and which takes into account the particular requirement of medical laboratories.

Magnetics in Char from Coal based Sponge Iron (DRI) (IS 16182:2014)

This standard prescribes the methods for determination of magnetics in char from coal based sponge iron (DRI).

Steel Tubes for Structural Purposes (IS 1161:2014 - Fifth Revision)

This standard covers the requirements for hot finished seamless (HFS), and electric assistance welded (ERW) or high frequency induction welded (HFIW) steel tubes for structural purposes.

Nanotechnologies - Methodology for the Classification and Categorization of Nanomaterials (IS/ISO/TR 11360:2010)

This Technical Report describes a classifying system, termed a 'nano-tree', upon whose basis wide ranges of nanomaterials can be categorized, including nano-objects, nanostructures and nano-composites of various dimensionalities of different physical, chemical, magnetic and biological properties. However, the classifying system presented in this Technical Report does not claim to provide full coverage of the whole range of nano materials.

Nanotechnologies - Determination of Elemental Impurities in Samples of Carbon Nanotubes using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (IS/ISO/TS 13278:2011)

This Technical Specification provides methods for the determination of residual elements other than carbon in

(एमडब्ल्यू–सीएनटी) के नमूनों में प्रेरकीय संयोजित प्लाज़मा मास स्पेक्ट्रोमीटरी प्रकाशमिति के प्रयोग से कार्बन को छोड़ कर अवशिष्ट तत्वों को ज्ञात करने की पद्धतियां दी गई हैं। इस तकनीकी विशिष्टि का उद्देश्य एसडब्ल्यूसीएनटी और एमडब्ल्यूसीएनटी के लिए अनुकूल स्थापन और तैयारी की विधियां प्रदत्त करना है जिससे कि आई सी पी–एमएस के प्रयोग से तात्त्विक अशुद्धियों का सही और मात्रात्मक रूप से पता लगाया जा सके।

सूक्ष्मप्रौद्योगिकी – शब्दावली – भाग 3 : कार्बन नैनो–वस्तुएं (आई एस/आई एस ओ/टी एस 80004–3 : 2010)

इस तकनीकी विशिष्टि में सूक्ष्मप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्बन नैनो–वस्तुओं से संबंधित शब्द एवं परिभाषाओं की सूची दी गई है। इसका प्रयोजन उद्योग में संगठनों और लोगों तथा जो उनके संपर्क में आते हैं, के बीच संवाद को सुगम बनाना है।

संरचनागत इस्पात की निमग्न आर्क वेल्डिंग हेतु नग्न ठोस तार इलेक्ट्रोड एवं वायर फ्लक्स संयोजन का वर्गीकरण एवं स्वीकार्यता परीक्षण – विशिष्टि (आई एस 15977 : 2013 (आई एस 7280 : 1974 और आई एस 3613 : 1974 का अतिक्रमण),

इस मानक के दो भाग हैं। भाग 1 में संरचनागत इस्पात की निमग्न आर्क वेल्डिंग हेतु नग्न ठोस तार इलेक्ट्रोड एवं वायर फ्लक्स संयोजन का वर्गीकरण है। खंड 2 में संरचनागत इस्पात की निमग्न आर्क वेल्डिंग हेतु वायर फ्लक्स संयोजन के स्वीकार्यता परीक्षण हैं। इस मानक में ठोस भरित तार, वायर–फ्लक्स संयोजनों का वर्गीकरण तथा विभिन्न संरचनागत इस्पातों (300-450N/mm² पराभव सामर्थ्य और 400–700 N/mm² अंतिम तनन सामर्थ्य) की निमग्न आर्क वेल्डिंग के लिए यथा–वेल्डित स्थितियों में प्रत्येक संयोजन की समस्त वेल्ड के गुणधर्मों की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। एक विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किसी भरित तार को इस मानक के किसी अन्य वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं किया जाए। फ्लक्सों को एक से अधिक वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न तार के संयोजनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

विद्युत संस्थापन के अवरक्त थर्मोग्राफी निरीक्षण के मार्गदर्शी सिद्धांत (आई एस 16168 : 2014)

इस मानक में विद्युत संस्थापनों के गुणतापरक एवं मात्रात्मक निरीक्षण के लिए अवरक्त थर्मोग्राफी अनुप्रयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निरीक्षण की अनुशंसित विधियां दी गई हैं। इसमें प्रयोक्ता एवं थर्मोग्राफर के दायित्वों की सूचियां भी दी गई हैं।

नम चुम्बकीय कणों के परीक्षण की अनुशंसित रीति (आई एस 12147 : 2013 – (प्रथम पुनरीक्षण)

इस मानक में लौहचुम्बकीय सामग्री में सतह और उपसतह विच्छिन्नता का पता लगाने के लिए रंग विषमता (दृश्य) के प्रयोग द्वारा नम चुम्बकीय कणों और वाहक द्रव्य में निलंबित प्रतिदीप्त कणों के परीक्षण की पद्धति दी गई है।

samples of single-wall carbon nano tubes (SWCNTs) and multiwall carbon nano tubes (MWCNTs) using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The purpose of this Technical Specification is to provide optimized digestion and preparation procedures for SWCNT and MWCNT samples in order to enable accurate and quantitative determinations of elemental impurities using ICP-MS.

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3:Carbon Nano-Objects (IS/ISO/TS 80004-3:2010)

This Technical Specification lists the terms and definitions related to carbon nano-objects in the field of nanotechnologies. It is intended to facilitate communications between organizations and individuals in industry and those who interact with them.

Classification and Acceptance Tests for Bare Solid Wire Electrodes and Wire Flux Combination for Submerged Arc Welding of Structural Steel – Specification (IS 15977:2013 (Superseding IS 7280:1974 and IS 3613:1974)

This standard contains two sections. Section 1 deals with the classification of bare solid wire electrodes and wire-flux combination for submerged arc welding of structural steel. Section 2 deals with the acceptance tests for wire-flux combination for submerged arc welding of structural steel. This standard specifies the requirements of solid filler wire, classifications of wire-flux combinations and all-weld metal properties of each combination in as welded conditions for submerged arc welding of various structural steels (300-450 N/mm² yield strength and 400-700 N/mm² ultimate tensile strength). Any filler wire classified under one particular classification shall not be classified under any other classification of this standard. Fluxes may be classified in combination with different wire under more than one classification.

Guidelines for Infrared Thermography Inspection of Electrical Installations (IS 16168:2014)

This standard gives the guidelines on the application of infrared thermography technique for qualitative and quantitative inspection of electrical installations and the recommended procedures for the inspection. It also lists the responsibilities of the end user and the thermographer.

Recommended Practice for Wet Magnetic Particle Examination (IS 12147:2013 - First Revision)

This standard covers the method of wet magnetic particle examination, using colour contrast (visible) as well as fluorescent particles held in suspension in a carrier liquid, for detection of surface as well as subsurface discontinuities in ferro-magnetic materials.

वेल्डिंग एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं संबंधी शॉप प्राइमर हेतु वेल्डिंग परीक्षण – भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं (आई एस 16002 (भाग 1) : 2012 / आई एस ओ 17652–1:2003)

मानक के इस भाग में इस्पात सामग्री की वेल्डनीयता पर शॉप प्राइमर के आंकलन की मानकीकृत स्थितियां निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक का उपयोग कार्य के लिए उपयुक्त वेल्डिंग विधि का प्रयोग करते हुए विभिन्न शॉप प्राइमरों के बीच अथवा विशिष्ट शॉप प्राइमर के प्रयोग से भिन्न वेल्डिंग विधियों के बीच तुलना के लिए भी किया जा सकता है।

वेल्डिंग एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं संबंधी शॉप प्राइमर हेतु वेल्डिंग परीक्षण – भाग 2 शॉप प्राइमर के वेल्डिंग गुणधर्म (आई एस 16002 (भाग 2) : 2012 / आई एस ओ 17652–2 : 2003)

मानक के इस भाग में वेल्डनीयता पर शॉप प्राइमर के प्रभाव का आकलन करने के लिए परीक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं। इस मानक में रेटिंग और वेल्डनीयता परीक्षण के विवरण शामिल हैं।

वेल्डिंग एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं संबंधी शॉप प्राइमर हेतु वेल्डिंग परीक्षण –भाग 3 थर्मल कटिंग (आई एस 16002 (भाग 3) : 2012 / आई एस ओ 17652–3 : 2003)

मानक के इस भाग में थर्मल कटिंग के लिए प्रयोज्य अधिकतम गति पर शॉप प्राइमर का प्रभाव ज्ञात करने की परीक्षण पद्धति निर्दिष्ट की गई है।

वेल्डिंग एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं संबंधी शॉप प्राइमर हेतु वेल्डिंग परीक्षण – भाग 4 धुएं और गैसों का उत्सर्जन (आई एस 16002 (भाग 4) : 2012 / आई एस ओ 17652–4 : 2003)

मानक के इस भाग में वेल्डिंग के दौरान धुएं और गैसों के उत्सर्जन पर प्रभाव के संबंध में शॉप प्राइमर की रेटिंग निर्दिष्ट की गई हैं।

धात्विक सामग्री हेतु वेल्डिंग विधियों की विशिष्टि एवं अर्हता – सामान्य नियम (आई एस 16003:2012 / आई एस ओ 15607 : 2003)

इस मानक में धात्विक सामग्री के लिए वेल्डिंग की विधियों की विशिष्टि और अर्हता के सामान्य नियम परिभाषित किए गए हैं। इस मानक में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए विस्तृत नियमों के संबंध में कई अन्य मानकों का संदर्भ दिया गया है। यह मानक मैन्युअल, यांत्रिक और स्वचालित वेल्डिंग पर लागू होता है। एक या उससे अधिक वेल्डिंग विधि अर्हता रिकॉर्ड के अनुपालन से वेल्डिंग की विधियां अर्हता प्राप्त होती हैं। अर्हता की एक विशेष पद्धति के प्रयोग के लिए सामान्यतः एक अनुप्रयोग मानक की आवश्यकता होती है।

प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (डी आर आई) – धात्विक लोहा ज्ञात करना – ब्रोमाइन–मेथनॉल टिट्रीमीटरिक पद्धति (आई एस / आई एस ओ 5416 : 2006)

इस मानक में अपचयित लोहे अयस्क में धात्विक लौह का द्रव्यमान

Welding-Test for Shop Primers in Relation to Welding and Allied Process - Part 1 General Requirements (IS 16002(Part 1):2012/ISO 17652-1:2003)

This part of standard specifies the standardised conditions for an assessment of shop primers on the weldability of steel materials. The standard can also be used for comparisons between different shop primers using the welding procedure appropriate for the task, or between the different welding procedures using a specific shop primer.

Welding-Test for Shop Primers in Relation to Welding and Allied Process - Part 2 -Welding Properties of Shop Primers (IS 16002(Part 2):2012/ISO 17652-2:2003)

This part of the standard describes tests for assessing the influence of shop primers on the weldability. This standard includes the details of rating and weldability test.

Welding-Test for Shop Primers in Relation to Welding and Allied Process - Part 3-Thermal Cutting (IS 16002(Part 3):2012/ISO 17652-3:2003)

This part of the standard specifies a test method for determination of a shop primer's influence on the maximum speed usable for thermal cutting.

Welding-Test for Shop Primers in Relation to Welding and Allied Process - Part 4- Emission of Fumes and Gases (IS 16002(Part 4):2012/ISO 17652-4:2003)

This part of the standard specifies the rating of shop primers as regards to their influence on emission of fumes and gases during welding.

Specification and Qualification of Welding Procedure for Metallic Materials-General Rules (IS 16003:2012/ISO 15607:2003)

This standard defines general rules for the specification and qualification of welding procedures for metallic materials. This standard also refers to several other standards as regards to detailed rules for specific applications. This standard is applicable to manual, mechanized and automatic welding. Welding procedures are qualified by conforming to one or more welding procedure qualification records (WPQR). The use of a particular method of qualification is often a requirement of an application standard.

Direct Reduced Iron (DRI)- Determination of Metallic Iron - Bromine-Methanol Titrimetric Method (IS/ISO 5416: 2006)

This Standard specifies a titrimetric method for the

अंश ज्ञात करने की टिट्रीमीटरिक पद्धति दी गई है। यह पद्धति डीआरआई में 15% से 95% के बीच धात्विक लौह का द्रव्यमान अंश ज्ञात करने के लिए हैं।

प्रत्यक्ष अपचयित लोहा – तप्त ब्रिक्रेट लोहे (एच बी आई) का प्रत्यक्ष घनत्व और जल अवशोषण ज्ञात करना (आई एस/आई एस ओ 15968 : 2000)

इस मानक में तप्त ब्रिकेट लोहे का प्रत्यक्ष घनत्व और जल अवशोषण ज्ञात करने की पद्धति निर्दिष्ट की गई है।

जल विलेय फिल्म (आई एस 16154 : 2013)

जल विलेय फिल्म विलयशील पॉलीमर से निर्मित होती है जो दिखने में सामान्य प्लास्टिक फिल्म की तरह होती है। इसमें कक्ष तापमान पर जल में घुलने की अनूठी विशेषता होती है। जल (ठंडा, गुनगुना एवं गर्म) में इसकी घुलनशीलता के आधार पर इसे तीन किस्मों में वर्गीकृत किया गया है। जल विलेय फिल्म बहु उपयोगी है। इसका उपयोग कृषि में प्रयुक्त रसायन एवं कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, डाईस्टफ, डिटर्जेन्ट, जल सीवर संयोजी पदार्थों, खनिज संयोजी पदार्थों, कंक्रीट संयोजी पदार्थों, फोटोग्राफी एवं बागबानी के रसायनों की पैकिंग के साथ–साथ सब्जियों के बीज, पौधों के बीज, कपड़ों, खाद्य पदार्थों एवं अस्पतालों में लांड्री के थैलों को पैक करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग वस्त्रादि अथवा एम्ब्रोयडरी करने के लिए आउटलेट तथा जल अंतरित मुद्रण और संचकन उन्मोचन के लिए भी किया जा सकता है, चूंकि यह पूरी तरह जल अपघटनीय और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।

खाद्य सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स और पेय जल के सम्पर्क में आने वाली प्लास्टिक में प्रयोग हेतु वर्णक एवं रंजकों की सूची (आई एस 9833:2014. पहला पुनरीक्षण)

इस मानक में उन रंजकों एवं वर्णकों की सूची का उल्लेख किया गया है जो खाद्य सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स और पेय जल के सम्पर्क में आने वाली प्लास्टिक में प्रयोग हेतु सुरक्षित माने जाते हैं। वर्णकों और रंजकों की सूची कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, यूरोपियन डाइरेक्टर्स, इत्यादि, इसके अविषालु तत्त्वों और सामग्री के निर्धारण हेतु परीक्षण विधियां शामिल की गई है।

मोटर वाहन हेतु गैसीलीन–विशिष्टि (आई एस 2796:2014. पांचवा पुनरीक्षण)

इस मानक में सीसा रहित मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन के दो ग्रेडों के नमूने लेने एवं परीक्षण की विधियां तथा अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन के ये दोनों ग्रेड वाहनों के आटोमोबाइल स्पार्क प्रज्ज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में उपर्युक्त इंधन के रूप में प्रयोग हेतु बी एस III तथा बी एस IV उत्सर्जन नार्म्स के अनुसार बी एस III तथा बी एस IV श्रेणी का अनुपालन करने वाले हैं। वर्ष 2003 में मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन में 5% एथोनॉल के मिश्रण को अनुमति दी गई थी। वर्ष 2014 में इन मानक का पांचवां पुनरीक्षण मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन में 10% एथेनॉल का मिश्रण करने को शामिल करने के लिए किया गया था, जो वर्ष 2013 में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (पैट्रों एवं प्रा. गैस मंत्रालय) द्वारा जारी अधिसूचना बी एस IV के समनुरूप है। इस पुनरीक्षण में खुदरा आउटलैटों पर मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन पर लैबलिंग

determination of the mass fraction of metallic iron in reduced iron ores. This method is applicable to mass fractions of metallic iron between 15% and 95% in DRI.

Direct Reduced Iron - Determination of Apparent Density and Water Absorption of Hot Briquetted Iron (HBI) (IS/ISO 15968: 2000)

This Standard specifies a method for the determination of the apparent density and water absorption of Hot Briquetted Iron (HBI).

Water Soluble Films (IS 16154:2013)

A water soluble film (WSF) is made from water soluble polymers, having the appearance of a common plastic film. It has unique characteristic of completely dissolving in water at room temperature. Based on solubility in water (cold, warm and hot), the water soluble film has been classified into three types. Water soluble film finds multiple uses in packing agriculture chemicals and pesticides, chemical fertilizers, dyestuffs, detergents, water-sewer additives, mineral additives, concrete additives, chemicals for photography and gardening etc, but also for the packing of vegetable seeds, plant seeds, clothing, food and laundry bags in hospitals. In addition, it can be used for textile or embroidery underlay and water-transferred printing and mold release process as it is completely bio degradable and safe for environment.

List of Pigments and Colorants for Use in Plastics in Contact With Foodstuffs, Pharmaceuticals and Drinking Water (IS 9833:2014 - First Revision)

This standard lists the permitted pigments and colorants for use in plastics that may be regarded as safe for use in contact with food, pharmaceuticals and drinking water. The list of colors and pigments are harmonized with International Regulation like Code of Federal Regulations, European Directors etc. It also covers the test methods for the determination of toxic elements and materials.

Motor Gasoline - Specification (IS 2796:2014 - Fifth Revision)

This standard prescribes the requirements and methods of sampling and test for two grades of unleaded motor gasoline under each of BS III and BS IV categories complying with BS III and BS IV emission norms suitable for use as a fuel in the automobile spark-ignition internal combustion engines of vehicles. As per the notification issued by Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoP and NG) in 2003, 05% blending of ethanol in motor gasoline was included in 2003.The fifth revision was done in 2014 to incorporate the requirements of 10% blending of ethanol in motor gasoline, BS IV in line with Gazette Notification of MoP and NG in 2013. In this revision, labeling at Retail outlets have been included to help customer to identify

करना शामिल किया गया है जिससे मोटर वाहनों हेतु गैसोलीन के, एथेनॉल मिश्रण ईंधन सहित, बी एस III और IV कि ग्रेडों की पहचान करने में ग्राहकों की सहायता की जा सके।

कृषि हेतु वस्त्रादि – सिंचाई प्रयोजनों हेतु उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एच डी पी ई) की परत चढ़ी, बुनी हुई ले फ्लैट ट्यूब– विशिष्टि (आई एस 16190:2014)

इस मानक में सिंचाई प्रयोजनों हेतु उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) की परत चढ़ी, बुनी हुई ले–फ्लैट ट्यूब की संरचनात्मक और अन्य अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। ये ले–फ्लैट ट्यूबें कृषि हेतु पम्प सैटों की डिलीवरी लाइनों पर प्रयोग की जाती हैं जो वातावरण और धूप के संपर्क आ सकती हैं इस मानक में 50 मिमी से 200 मिमी साइज की ले–फ्लैट ट्यूब शामिल की गई हैं।

वस्त्रादि–फलों और सब्जियों के पैकेजिंग एवं भंडारण हेतु उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एच डी पी ई/पॉलीप्रॉपिलीन (पी पी) के लेनो बुने बोरे– विशिष्टि (आई एस 16187:2014)

इस मानक में फलों और सब्जियों के पैकेजिंग एवं भंडारण हेतु उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई, पॉलीप्रॉपिलीन (पी पी) के लेनो बुने बोरे की अपेक्षाओं को निर्दिष्ट किया गया है। लेनो बोरों के बनाने में प्रयुक्त फैब्रिक को वृत्ताकार या फ्लैट करघे (लूम) पर बुना जाए। इस मानक को फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त पैकेजिंग और भंडारण में लेनो बुने बोरे के प्रयोगकर्ता और व्यापारियों की सहायता से तैयार किया गया है।

पूरी की गई सिंचाई परियोजनाओं (बृहत एवं मध्यम) का मूल्यांकन–मार्गदर्शी सिद्धांत (आई एस 16115:2013)

इस मानक में पूरी की गईं सिंचाई परियोजनाओं (बृहत एवं मध्यम) का कार्यकारिता मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्दिष्ट किए गए हैं। इसमें सिंचाई घटक पर विशेष बल दिया गया है। मूल्यांकन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि परियोजना ने निर्धारित लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया है और यदि ऐसा नहीं हो पाया है तो लक्ष्य किए लाभों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण/कठिनाइयां थीं। लाभों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ परियोजना बनाने और कार्यान्वयन में कमियों पर ध्यान केन्द्रित में यह एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः यह मानक परियोजना बनाने की तकनीकों के उन्नयन करने में और परियोजना की कार्यकारिता को ऑप्टीमाइज करने में सहायता करेगा। प्रणाली की दक्षता और डिलीवरी तथा समस्याओं की स्थिति का मूल्यांकन करके प्लानरों को प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण हेतु उपयुक्त रणनीति बनाने में सहायता करेगा।

स्पिलवेज हेतु ऊर्जा डेसीपेटर्स की संरचनात्मक डिजाइन – मानदंड (आई एस 11527:2013) – पहला पुनरीक्षण

इस मानक में स्पिलवेज के नीचे हाइड्रोलिक जम्प टाइप स्टिलिंग बेसिन और बकेट टाइप ऊर्जा डेसीपेटर्स और चट्टान पर बने आउटलैट निर्माण कार्य के विभिन्न घटकों की संरचनात्मक डिजाइन के मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इन मानक में इस क्षेत्र में पालन की जा रही अद्यतन रीतियों को शामिल किया गया है। इस मानक में किए परिवर्तनों में फ्लोर स्लैब स्थिरण (एनकोरेज) स्पिलवेज बकेट हेतु स्थिरण (एनकोरेज) और बकेट टीथ हेतु प्रबलन का डिजाइन मुख्य परिवर्तन हैं।

various grades of BS-III and BS-IV motor gasoline, including the ethanol blended fuels.

Agro Textiles - High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube for Irrigation Purpose – Specification (IS 16190:2014)

This standard prescribes the constructional and other requirements for high density polyethylene (HDPE) laminated wovenlay flat tube for irrigation purpose. These lay flat tubes are used at the delivery lines of the agriculture pump sets, which may be exposed to atmosphere and sunlight. The lay flat tubes of size 50 mm to 200 mm have been included in this standard.

Textiles - High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Leno Woven Sacks for Packaging and Storage of Fruits and Vegetables – Specification (IS 16187:2014)

This standard prescribes the requirements of high density polyethylene (HDPE)/polypropylene (PP) leno woven sacks for packaging and storage of fruits and vegetables. The fabric used in the manufacture of leno sacks shall be woven on circular or flat looms. This standard has been prepared to help the users and traders of leno woven bags in proper packaging and storage of fruits and vegetables.

Evaluation of Completed Irrigation Projects (Major and Medium) – Guidelines (IS 16115:2013)

This standard provides guidance for carrying out the performance evaluation of completed irrigation projects (major and medium) with special emphasis on the irrigation component. The main objective of the evaluation study is to find out how far the project has achieved the planned goals, and if not, what are the reasons/ bottlenecks in not achieving the targeted benefits. This is a vital tool to focus apart from the benefits, the deficiencies in project planning and implementation. Thus, it will help in improving the techniques of project formulation and also optimize the performance of the projects. Assessing the status of the system efficiency and deliveries and the problems enables planners to formulate a suitable strategy for extension, renovation or modernization of the systems.

Structural Design of Energy Dissipators for Spillways- Criteria (IS 11527:2013 - First Revision)

This standard lays down criteria for structural design of various components of hydraulic jump type stilling basins and bucket type energy dissipaters below spillways and outlet works founded on rock. This revision incorporates the latest practices being followed in the field, the major changes being in respect of design of floor slab anchorages, anchorage for spillway bucket and design of reinforcement for bucket teeth.

विद्युत परियोजनाओं हेतु तलछट हटाने की युक्तियों की द्रवीय (हाइड्रोलिक) डिजाइन के मानदंड (आई एस 16173:2014)

अधिकांश नदियों के बहाव से उतरने वाली नदियों पहाड़ी धाराओं द्वारा वाहित निलंबित पदार्थ, विशेष रूप से उच्च गाद अंश और तलछट पर के उपस्करों में तेजी से टूट-फूट होती है। इससे इन बिजलीघरों की दक्षता अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। बिजलीघर का जीवन काल कम हो जाता है। अतः बिजलीघरों के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए तलछट हटाने की युक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस मानक में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तलछट हटाने की युक्तियों के द्रवीय (हाइड्रोलिक) डिजाइन को शामिल किया गया है। इस मानक में निम्नलिखित पांच प्रकार के तलछट हटाने की युक्तियां यथा सैटलिंग-कम-हॉपर टाइप, स्कैल पर इजेक्टर टाइप, वोरटैक्स टाइप, डायफ्राम टाइप और सैटलिंग बेसिन-कम-फ्लेशिंग टेंक टाइप, को शामिल किया गया है।

मोटर वाहन–ब्रेकिंग के संदर्भ में M,N,T श्रेणियों के वाहनों के अनुमोदन से संबद्ध एक समान प्रावधान (आई एस 11852:2013 दूसरा पुनरीक्षण)

यह मानक आई एस 14272:2011मोटर वाहन टाइप पारिभाषिक शब्दावली (पहला पुनरीक्षण) में परिभाषित M,N,T श्रेणियों के पावर चालित एकल वाहनों और एकल ट्रेलर के ब्रेकिंग के लिए लागू होता है। यह सबसे पहले वर्ष 1997 में प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2001 में नौ भागों में पुनरीक्षित किया गया था। यू एन ई सी ई विनियमों के समानुरूप करने के लिए, इस मानक को दोबारा पुनरीक्षण किया गया है और इसके भाग 1 से भाग 9 का विलय करने का निर्णय लिया गया है।

टेपर पाइप चूड़ियों (आर–श्रेणी) विशिष्टि (आई एस 16176:2014) हेतु

इस मानक में रैचेट पाइप थ्रेडर की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। यह थ्रेडर प्लंबिंग औजार के रूप में आई एस 554 के अनुसार पाइपों पर बाहरी पाइप चूड़ियां (आर–श्रेणी) काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मानक में मुख्य रूप में संरचनात्मक विशेषताएं, साइज, आकार और आयाम सामग्री की अपेक्षाएं, फिनिश कारीगरी, नमूने लेना, परीक्षण और पैकिंग की अपेक्षाएं शामिल की गई हैं।

मशीनी औजार –दो पीस वाले जॉ सहित स्वतः केन्द्रण चक के आयाम और ज्यामितीय परीक्षण टंग और ग्रूव टाइप जॉ सहित हस्त चालित चक (आई एस 15248 (भाग 1):2014 –पहला पुनरीक्षण)

यह मानक दो पीस वाले जॉ (टंग तथा ग्रूव सहित) अन्तर चक द्वारा हस्त चालित के साइज निर्दिष्ट करता है और ऐसे चकों के ज्यामितीय परीक्षण का विवरण आई एस ओ 230–1 के संदर्भ द्वारा देता है। यह उन छूटों को भी निर्दिष्ट करता है जो इन परीक्षणों पर लागू होती हैं।

Criteria for Hydraulic Design of Sediment Removal Devices for Power Projects (IS 16173:2014)

In most of the run-of-the rivers, suspended load specially high silt content and sediments transported by mountainous streams causes rapid wear and tear of equipments at hydro power stations. This indirectly alters the efficiency of a power station and decreases the life of power plant. Sediment removal devices thus become important for efficient running of the power stations. The standard covers the hydraulic design of sediment removal devices for hydropower projects. The standard namely covers following five types of sediment removal devices namely, Settling basin-cum- hopper type, scalper ejector type, Vortex type, Diaphragm type and Settling-cum-flushing tank type.

Automotive Vehicles - Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles of Categories M, N and T with Regard to Braking IS 11852:2013 - Second Revision)

This standard applies to the braking of power-driven vehicles individually and to trailers individually of categories M, N and T as defined in IS 14272 : 2011 Automotive vehicles - Types - Terminology (first revision). This standard was first published in 1997 and was first revised in 2001 in nine parts. In order to align the standard with latest UNECE Regulations, the standard has been revised again and it has been decided to amalgamate Part 1 to Part 9.

Specification for Ratchet Pipe Threader for Taper Pipe Threads (R-Series) (IS 16176:2014)

This standard specifies the requirements of ratchet pipe threader used as plumbing tool to cut shape external pipe threads (R-series) on pipes according to IS 554.The standard mainly covers constructional features; sizes, shapes and dimensions; material requirements; workmanship on finish; sampling, testing and packing requirements.

Machine Tools - Dimensions and Geometric Tests for Self Centering Chucks with Two-Piece Jaws — Part 1 Manually Operated Chucks with Tongue and Groove Type Jaws (IS 15248 (Part 1):2014 - First Revision)

This standard specifies the sizes for inter changeability of self-centring, manually operated chucks with two-piece jaws (tongue and groove type) and describes, by reference to ISO 230-1, the geometric tests for such chucks. It also specifies the tolerances which apply to these tests.

इस मानक के प्रत्येक भाग में हस्त/पावर चालित चार टाइप अर्थात् ए, बी, सी और डी की अन्तः परिवर्तनीयता के लिए केवल एक परिशुद्धता वर्ग और साइज शामिल है। ज्यामितीय परीक्षण का उद्देश्य परीक्षणों की चित्रांकित प्रस्तुति और लागू छूट तथा परीक्षण के लिए प्ररूपी मापन उपकरण ही है। इस मानक में शामिल ज्यामितीय परीक्षण केवल चक की घूर्णन परिशुद्धता के निरीक्षण वर्क–पीस को सीधा करने और केन्द्रण के लिए हैं। ये परीक्षण, अन्य डाइनामिक गुणताओं, जैसे घूर्णन के दौरान संतुलन की कमी, ग्रिपिंग पॉवर के संतुलन अथवा मापन पर लागू नहीं होते।

मशीनी औजार–दो पीस वाले जॉ सहित स्वतः केन्द्रण चक के आयाम और ज्यामितीय परीक्षण भाग 2 टंग और ग्रूव टाइप जबड़ा सहित पॉवर चालित चक (आई एस 15248 भाग – 2) : 2014 पहला पुनरीक्षण)

यह मानक दो पीस वाले जॉ (टंग तथा ग्रूव सहित) अन्तर चक द्वारा पावर चालित के साइज निर्दिष्ट करता है और ऐसे चकों के ज्यामितीय परीक्षण का विवरण आईएसओ 230–1 में संदर्भ द्वारा देता है। यह उन छूटों को भी निर्दिष्ट करता है जो इन परीक्षणों पर लागू होती हैं।

मशीनी औजार –दो पीस वाले जॉ सहित स्वतः केन्द्रण चक के आयाम और ज्यामितीय परीक्षण भाग 3 सेरेटिड जॉ सहित चालित पॉवर चक (आई एस 15248 (भाग 3) : 2014)

यह मानक अन्तः परिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए पॉवर जॉ के बेस जॉ पर शीर्ष जॉ आरोपित करने के लिए 90° तथा 60° सेरेषन के लिए अनुप्रयोज्य 90° तथा 60° सेरेशन तथा जॉ काबले निर्दिष्ट करता है। यह मानक आई एस ओ 230–1 के संदर्भ में दो या दो से अधिक पीस वाले जॉ (सेरेटेड टाइप) सहित स्व–केन्द्रण पावर चालित चक के ज्यामितीय परीक्षण और जहां लागू हों, संगत छूटें भी निर्दिष्ट करता है।

निर्माण परियोजना प्रबंध के मार्गदर्शी सिद्धांत : भाग 5 स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध (आई एस 15883 (भाग 5) : 2013

प्रभावी निर्माण परियोजना प्रबंध के लिए आई एस 15883 ' निर्माण परियोजना प्रबंध के मार्गदर्शी सिद्धांत' के पार्ट के रूप में मानकों को श्रृंखला विकसित की जा रही है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पर यह मानक (भाग 5) सुरक्षित पद्धति से और कर्मचारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना परियोजना को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इस मानक में प्रबंध पद्धति अपेक्षाओं के बारे में निर्माण परियोजना प्रबंध तथा सूचना के भाग के रूप में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध संबंधी पहलू शामिल करना वांछित है। यह मानक परियोजना स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आयोजना, कार्यान्वयन प्रचालन तथा मापन और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कार्यकारिता की मानीटरी पर मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करता है।

Each part of this standard covers only one accuracy class and sizes for inter changeability of four types namely A, B, C and D of manually/ power operated chucks. Object of geometrical tests, pictorial representation of tests, and tolerance applicable and typical measuring instrument for the tests. Geometric tests covered in this standard are only for the inspection of rotational accuracy of the chuck, the straightening and centering of work piece. These tests do not apply to other dynamic qualities, such as the measurement of lack of balance during rotation, balancing or the measurement of gripping power.

Dimensions and Geometric Tests for Self Centring Chucks with Two-Piece Jaws - Part 2: Power Operated Chucks with Tongue and Groove Type Jaws (IS 15248 (Part 2):2014 - First Revision)

This standard specifies the sizes for inter changeability of self-centring, power-operated chucks with two-piece jaws (tongue and groove type) and describes, by reference to ISO 230-1, the geometric tests for such chucks. It also specifies the tolerances which apply to these tests.

Machine Tools - Dimensions and Geometric Tests for Self Centring Chucks with Two-Piece Jaws Part 3: Power Operated Chucks with Serrated Jaws (IS 15248 (Part 3):2014)

This standard specifies 90° and 60° serrations and jaw nuts applicable to 90° and 60° serrations for mounting the top jaws on the base jaws of power chucks, in order to ensure inter changeability. It also describes, with reference to ISO 230-1, the geometric tests for self-centring, power-operated chucks with two or more two-piece jaws (serrated type), and the corresponding tolerances which apply.

Guidelines for Construction Project Management: Part 5 Health and Safety Management (IS 15883 (Part 5):2013)

To provide necessary guidance on effective construction project management, a series of standards are being developed as part of IS 15883 'Guidelines for construction project management'. This standard (Part 5) on health and safety management has been formulated with the aim to provide guidelines for completing the project in a safe manner and without harm to safety and health of the employees and others associated. This standard intends to cover aspects on health and safety management as part of construction project management and information regarding the management system requirements. It gives guidelines on project health and safety planning, implementation, operation and measurement, and monitoring of health and safety performance.

इस्पात की नलिकाकार पाड़ – रीति संहिता : भाग 2 पाड़ के सुरक्षा प्रावधान (आई एस 4014 (भाग 2: 2013–प्रथम पुनरीक्षण)

यह मानक दो भागों में प्रकाशित है, भाग 1 में परिभाषाएं और सामग्री है। भाग 2 आम तौर पर निर्माण, रख–रखाव, मरम्मत और गिराने के काम में प्रयुक्त होने वाले ऐसे नलिकाकार पाड़ (scaffolding) के निर्माण एव उपयोग के सुरक्षा प्रावधानों के लिए अभीष्ट है जिसका प्रयोग व्यक्ति कार्य करने के लिए करता है अथवा जिसके द्वारा सामग्री को कार्य–स्थल तक लाया व ले जाया जाता है।

भारी निर्माण कार्य वाले स्थलों पर पाड़ के महत्त्व को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस्पात के बने नलिकाकार पाड़ व्यापक तौर पर प्रयुक्त होने वाले पाड़ हैं जिन्हें तेजी से असेम्बल किया जा सकता है और सुगमता से उनका परिवहन एवं रख–रखाव किया जा सकता है। इसे शीघ्रता से वियोजित करने के साथ पुनःउपयोग में लाया जा सकता है और लम्बे सेवाकाल के लिए इस पर निर्भर किया जा सकता है।

विस्फोटन और संबद्ध वेधन कार्य – सुरक्षा संहिता (आई एस 4081 : 2013 – द्वितीय पुनरीक्षण)

विस्फोटन और वेधन (ड्रिलिंग) एक विशेषज्ञता वाला कार्य है जिसमें बहुत जोखिम होता है। इस कार्य में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अतएव यह आवश्यक है कि इस कार्य को करने वाले लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए विस्फोटन और वेधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यो के कुछ निश्चित सुरक्षा उपाय निर्धारित हों ताकि दुर्घटनाओं और चोट लगने के जोखिम को कम से कम किया जा सके।

पाइलिंग एवं अन्य गहरी नींव के कार्य – सुरक्षा संहिता (आई एस 5121 : 2013 – प्रथम पुनरीक्षण)

पाइल बांधना एवं कूप गलाना एक विशेषज्ञता वाला कार्य है जिसमें बहुत जोखिम होता है। इस कार्य में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक चरण के कार्य के लिए कुछ निश्चित सुरक्षा नियम निर्धारित हों और कार्य दल का प्रत्येक सदस्य काम करते समय इनका सतर्कता से पालन करे। ऐसा करना न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि उसके साथ काम करने वाले और देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अतएव, पाइल बांधने एवं कूप गलाने सहित गहरी नींव तैयार करने की सुरक्षा अपेक्षाएं निर्दिष्ट करने के लिए यह मानक निर्धारित किया गया है।

तप्त बिटुमिन सामग्री के प्रयोग से निर्माण – सुरक्षा संहिता (आई एस 5916 : 2013 – प्रथम पुनरीक्षण)

सिविल इंजीनियरिंग के कई कार्यो में तप्त बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह विशेषज्ञता वाला और जोखिम पूर्ण प्रकृति का कार्य है जिसमें कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं में श्रमिक जल सकते हैं, धूलभरी हवा में सांस लेने से फेफड़ों को क्षति हो सकती है या सामग्री और उपस्करों में आग लग सकती है। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक चरण के कार्य के लिए कुछ निश्चित सुरक्षा नियम निर्धारित हों और कार्य दल का प्रत्येक सदस्य काम करते समय इनका सतर्कता से पालन करे। ऐसा

Steel Tubular Scaffolding - Code of Practice: Part 2 Safety Provisions for Scaffolding (IS 4014 (Part 2):2013 - First Revision)

This standard is published in two parts, Part 1 being on definitions and materials. This Part 2 is intended to cover safety provisions for the construction and use of scaffolds of tubular scaffolding normally used in construction, maintenance, repair and demolition work, which enables persons to obtain access, to perform work, or which enables materials to be taken to any place at which such work is performed.

With the heavy construction programme envisaged, the importance of the use of scaffolding cannot be over-emphasized. Steel tubular scaffolding is one of the widely used scaffoldings which can be assembled quickly, and transported and handled easily. It can be dismantled rapidly and re-used and relied upon for long service and life.

Blasting and Related Drilling Operations – Safety Code (IS 4081:2013 - Second Revision)

Blasting and drilling is a specialized job involving a lot of hazards which often lead to accidents and is therefore necessary that certain safety precautions are laid down for various operations involved in the process of blasting and drilling for the guidance of those who are engaged in this work with a view to minimizing the risk of accidents and injuries.

Piling and Other Deep Foundations – Safety Code (IS 5121:2013 - First Revision)

Piles driving and well sinking are specialized jobs involving a lot of hazards which sometimes lead to accidents. It is necessary that certain safety rules are laid down for every phase of work involved and that these are meticulously followed by each member of the crew working on the jobs, not only for his own safety but also for the safety of his fellow workers and onlookers. This standard has, therefore, been formulated to lay down safety requirements for pile driving and for preparing deep foundations including well sinking.

Constructions Involving Use of Hot Bituminous Materials – Safety Code (IS 5916:2013 - First Revision)

Hot bituminous materials are used in various operations connected with civil engineering jobs. The work involved is of specialized and hazardous nature which, sometimes, leads to accidents. These accidents may cause burns to workman, injury to lungs due to breathing of dust laden air, or fire to materials and equipment. It is, therefore, necessary that certain rules are laid down for every phase of work involved and that these are meticulously followed by each member of the crew working on the job, not only

करना न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके साथ काम करने वाले और देखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अतएव, तप्त बिटुमिन सामग्री के प्रयोग वाले निर्माण कार्यों की सुरक्षा अपेक्षाएं निर्दिष्ट करने के लिए यह मानक निर्धारित किया गया है।

रेडियो रासायनिक प्रयोगशाला के लिए सुरक्षा संहिता (आई एस 4906 : 1968 – प्रथम पुनरीक्षण)

दवाइयों, कृषि और उद्योगों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बहुधा रेडियो समस्थानिकों का नियोजन किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम को छोड़ कर सभी मामलों में मात्राक्रम में वायु और जल में रेडियो–न्यूक्लाइडों का अधिकतम अनुमत सांद्रण, असक्रिय रासायनिक समस्थानिकों के अधिकतम अनुमत सांद्रण से कम हो। इसके साथ रेडियो विशालुता के अभिलक्षण और परंपरागत पद्धतियों से इनकी पहचान करने की कठिनाइयां भी हैं, जिसके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि रेडियोरासायनिक प्रयोगशालाओं के डिजाइन और योजना तथा रेडियोधर्मी सामग्री के रख–रखाव, भंडारण और निपटान में अधिक सतर्कता बरती जाए। यदि इसके लिए निर्दिष्ट सभी सुरक्षा निर्देशों का अधिकतम पालन किया जाए तो विकिरण के कारण होने वाली संभावित क्षति को कम किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब रेडियोधर्मी सामग्री, कार्य में जोखिम की प्रकृति, सुरक्षा निर्देशों के महत्त्व के प्रयोजन और सुरक्षा उपस्करों के कार्यों एवं उपयोग को पूरी तरह समझा जाए। रासायनिक दुर्घटनाओं, जो रेडियोरासायनिक प्रयोगशाला में भी घट सकती है, अथवा विकिरण के कारण भी हो सकती हैं, को रोकने के लिए इनके लिए इस मानक के साथ भारतीय मानक 4209 : 2013 रासायनिक प्रयोगशालाओं हेतु सुरक्षा संहिता का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

ऊष्मारोधी सामग्री का भंडारण एवं प्रहस्तन – रीति संहिता (आई एस 10556 : 1983 – प्रथम पुनरीक्षण)

ऊष्मारोधी सामग्री के उपयुक्त भंडारण एवं प्रहस्तन आवश्यक है क्योंकि प्रतिकूल पद्धति के कारण इनके गुणधर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मानक ऊष्मारोधन के विभिन्न वर्गों से संबद्ध जेनेरिक अपेक्षाओं के लिए बनाया गया है। ऊष्मारोधी सामग्री के सुरक्षित प्रहस्तन की जानकारी में ऊष्मारोधी सामग्री के प्रहस्तन के सुरक्षा पक्षों की जानकारी, जैसे श्रमिकों और कार्य स्थल परिवेश की सुरक्षा शामिल नहीं है क्योंकि इसके विनियम श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जहां इस प्रकार के विनियम निर्दिष्ट किए गए हैं वहां नियामक एजेंसी द्वारा जारी सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पर्यावरण प्रबंधन – मैटीरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग – सामान्य आधार (आई एस/आई एस ओ 14051 : 2011)

मैटीरियल फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रबंधन का एक साधन है जिससे संगठन संभावित पर्यावरण और रीतियों के प्रयोग से अपने माल एवं ऊर्जा के वित्तीय परिणामों को बेहतर ढंग से समझने के साथ ही

for his own safety but also for the safety of his fellow workers and on-lookers. This standard has, therefore, been formulated to lay down safety requirements for constructions involving the use of hot bituminous materials.

Code of Safety for Radiochemical Laboratory (IS 4906:1968 - First Revision)

Radioisotopes are increasingly employed in medicines, agriculture and industry and in research laboratories. The maximum permissible concentrations of radio-nuclides in air and water are in almost all cases, excepting natural uranium, of orders of magnitude lower than the maximum allowable concentrations of non-active chemical isotopes. This, coupled with the characteristic radio toxicity and difficulties of detection by conventional methods, makes it necessary that elaborate precautions are taken in the design and layout of radiochemical laboratories and in the handling, storage and disposal of radioactive materials. The potential injuries due to radiation may be reduced to a minimum if all the safety instructions prescribed for the purpose are followed to the fullest extent. This is only possible if the characteristic of the radioactive material, nature of the hazards involved, purpose underlying the safety instruction and the function and uses of protective equipment are fully understood. For prevention of chemical accidents, which may also occur in a radiochemical laboratory or which may lead to exposure due to radiation, Indian Standard Code of Safety for Chemical Laboratories, IS: 4209:2013 may be consulted in conjunction with this standard.

Storage and Handling of Thermal Insulation Materials - Code Of Practice (IS 10556:1983 -First Revision)

Proper storage and handling of thermal insulation materials is essential as their insulating properties could be severely affected by non-optimum practice. This standard has been prepared to provide generic requirements relevant to different families of Insulating materials. Information on safe handling of thermal insulation materials excludes information on safety aspects of handling thermal insulation materials, such as safety of workers and work space environment, the regulations which are being formulated by the Ministry of Labour. Where such safety regulations have been specified, it should be ensured that safety standards issued by the regulatory agency are adhered to.

Environmental Management – Material Flow Cost Accounting – General Framework (IS/ISO 14051:2011)

Material Flow Cost Accounting (MFCA) is a management tool that can assist organizations to better understand the potential environmental and financial consequences of

उन रीतियों में बदलाव के माध्यम से पर्यावरणीय एवं वित्तीय सुधार करने के लिए अवसर पैदा कर सकता है। इस मानक में सामान्य शब्दावली; उद्देश्य एवं सिद्धांत; मूलभूत कारक; कार्यान्वयन के उपाय दिए गए हैं जिनके प्रयोग से संगठन के मैटीरियल फ्लो का आकलन किया जा सकता है।

घरेलू पेन्ट में सीसा प्रतिबंध की अपेक्षाओं का समावेशन (आई एस 2932 (भाग 1) : 2013/आई एस 2933 (भाग 1) 2013/आई एस 12744 (भाग 1) : 2013/आई एस 2339 : 2013)

ये मानक सीमित सीसे वाले पेन्ट को ध्यान में रखते हुए संशोधित किए गए हैं। विभिन्न देशों में लागू विनियम की वैश्विक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सीसे के निम्नतम स्तर को इस मानक में सम्मिलित किया गया है। इन मानकों में सीसे की अधिकतम अनुमत सीमा 90पी पी एम निर्दिष्ट की गई है। इससे ग्राहकों को घरेलू और सज्जात्मक उपयोग का पेन्ट मिलेगा जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, इस पेन्ट के उपयोग को सभी ग्राहकों के उपयोग के लिए सुगम बनाने की दृष्टि से उत्पाद के प्रमुख घटकों के साथ पेन्ट के कंटेनर पर मुहरांकन भाग में एक चेतावनी भी शामिल की गई है।

कॉस्टिक सोडा – विशिष्टि (आई एस 252 : 2013)

उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकीगत विकास को देखते हुए 2013 में कॉस्टिक सोडे के मानक को संशोधित किया गया। इससे पहले उद्योग पारा सैल प्रक्रिया से कॉस्टिक सोडे का उत्पादन कर रहे थे जिसके कारण उत्पाद और निःस्राव में पारा आता था। जबकि अब उद्योग पारा रहित प्रक्रिया अर्थात् मेम्बरेन सैल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संशोधित मानक में एक नई अपेक्षा के रूप में पारे की अपेक्षा भी सम्मिलित की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने गैर–शुल्क उपाय के रूप में इस मानक को अनिवार्य करने का आग्रह किया है। इससे भारत में निम्न ग्रेड की सामग्री की डम्पिंग को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जिससे पर्यावरण के साथ–साथ उद्योगों और ग्राहकों के हितों की भी रक्षा होगी।

प्रतिदीप्त लैम्पों में सीसे के स्तर के मापन के लिए नमूना तैयार करना (आई एस 16166 : 2014)

इस मानक का प्रयोग प्रतिदीप्त लैम्पों में सीसे के स्तर को मापने के लिए नमूना तैयार करने के लिए किया जाता है। पारे का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होने के कारण सीएसएल में पारे के स्तर को सीमित किया गया जिसके लिए आई एस 15111 (भाग 1) में संशोधन कर जारी किया गया है। इस मानक में 0.1मिग्रा अथवा उससे अधिक पारायुक्त नए नलिकाकार प्रतिदीप्त लैम्प (एकल कैप, दोहरे कैप, स्वयं धारा–स्थिरक और बैकलाइट के लिए सी सी एफ एल सहित) में पारा ज्ञात करने के लिए नमूने तैयार करना निर्दिष्ट किया गया है। इस मानक में निर्दिष्ट पद्धति का वांछित वियोजन 05% के अनुक्रम में हैं। प्रयुक्त लैम्प में सीसे के स्तर का मापन इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि लैम्प जलने के दौरान

their material and energy use practices, and seek opportunities to achieve both environmental and financial improvements via changes in those practices. This Indian Standard provides common terminologies; objective and principles; fundamental elements; implementation steps using which an organizations material flow can be assessed.

Incorporation of Lead Restriction Requirement in Household Paints (IS 2932 (Part 1): 2013/IS 2933 (Part 1): 2013/IS 12744 (Part 1): 2013/IS 2339: 2013)

These standards were revised aiming at formulation of lead restricted paints. Keeping in view of the global concept of regulation applicable in different countries, the lowest level of lead restriction has been incorporated in this standard. The maximum permissible limits of lead in these standards have been prescribed as 90 ppm. This would enable consumers to procure paints for household and decorative application which would be safe for health, safety and environmental safety. Moreover, to facilitate all consumers about the uses of the paints, a cautionary note has been added in the marking clause on the container of the paint along with the lead content in the products.

Caustic Soda - Specification (IS 252: 2013)

Caustic Soda standard was revised in 2013 keeping in view the technological development that has taken place in the manufacturing process. Earlier the industries were manufacturing caustic soda by mercury cell process which lead to mercury in the product and effluent. Whereas, now the industries have shifted to the mercury free process i.e. membrane cell technology. In view of this, mercury requirement has also been incorporated as a new requirement in the revised standard. Ministry of Chemical and Fertilizers have requested to make the standard mandatory as a step towards non-tariff measure. This will help to control the dumping of low grade material in India, protect the environment and the interest of industries and consumers.

Sample Preparation for Measurement of Mercury Level in Fluorescent Lamps (IS 16166:2014)

This standard is to be used for the sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps. Since mercury poses a major health risk, a limit to the mercury level in CFL's is brought out by issuing an amendment to IS 15111 (Part 1). This Indian Standard specifies sample preparation methods for determining mercury levels in new tubular fluorescent lamps (including single capped, double capped, self ballasted and CCFL for backlighting) containing 0.1 mg mercury or more. The intended resolution of the methods described in this standard is of the order of 05%. Mercury level measurement of spent lamps is excluded, as during lamp operation, mercury

पारा धीरे–धीरे कांच में विसरित होता है और कांच के तत्त्वों के साथ क्रिया करता है। इस मानक की परीक्षण पद्धति डिस्चार्ज ट्यूब की कांच की भित्ति में विसरित हो चुके अथवा उसके साथ क्रिया कर चुके अथवा अन्यथा अप्रत्यावर्तित ढंग से मिल चुके पारे की पुनर्प्राप्ति के लिए नहीं है।

बत्ती उपकरण भाग 5 विशेष अपेक्षाएं खंड 7 प्रकाशीय श्रृंखला (आई एस 10322 (भाग 5/खंड 7) : 2013)

इस मानक में प्रकाशीय श्रृंखला की अपेक्षाएं दी गई हैं। इसमें केवल सुरक्षा अपेक्षाएं शामिल हैं। इस मानक में 250वो. से कम की आपूर्ति वोल्टेज पर भीतर अथवा बाहर प्रयुक्त होने वाले सीरीज़ अथवा समांतर अथवा सीरीज़ के संयोजन/समांतर कनेक्ट किए गए बल्बों अथवा एल ई डी लैम्पों के साथ फिट होने वाली प्रकाशीय श्रृंखला की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं। यह मानक आईएस 10322 (भाग 1) : 2010 'बत्ती उपकरण : भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं एवं परीक्षण' के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस मानक के खंड आई एस 10322 (भाग 1) : 'सामान्य अपेक्षाएं' के खण्डों के अनुरूप हैं।

निमज्जनीय पम्पसेटों के लिए मोटर – विशिष्टि (आई एस 9283 : 2013)

इस मानक में उन निमज्जनीय पम्प सेटों के लिए निमज्जनीय मोटरों की तकनीकी अपेक्षाएं दी गई हैं जो सामान्यतः बोर होल (बोर वैल अथवा ट्यूबवैल) और कृषि, जल आपूर्ति इत्यादि में प्रयोग के लिए स्वच्छ, ठंडे और ताजे जल के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस मानक को आई एस 8034 : 1989 'निमज्जनीय पम्प सेट – विशिष्टि' और आई एस 14220 : 1994 'ओपन वैल निमज्जनीय पम्पसेट– विशिष्टि' के साथ पढ़ा जाए क्योंकि निमज्जनीय मोटर और निमज्जनीय पम्प के साथ ही पूरा सेट बनता है। पम्प सेट की संतोषजनक और दक्षतापूर्ण कार्य के लिए मोटर और पम्प का साइज़, रेटिंग और आउटपुट इत्यादि के लिए उनके चयन में समन्वय होना आवश्यक है।

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन हेतु संगोष्ठियां

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए भा.मा.ब्यूरो उन पहचान किए गए क्षेत्रों में संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करता है जिनमें निर्माता, प्रयोक्ता, विकास एवं अनुसंधान संगठन, सरकारी संस्थान और अन्य भागीदारी करते हैं। वर्ष के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने विभिन्न संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित कीं और सम्मेलनों में भाग लिया ताकि मानकों की उपलब्धता के बारे में प्रसार किया जा सके और सुधार/अद्यतन करने के लिए फीडबैक लिया जा सके तथा उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां उद्योगों को मानकीकरण की आवश्यकता है।

'राष्ट्रीय भवन कोड : प्रावधान एवं नवीनतम विकास' पर अखिल भारतीय कार्यशाला
All India Workshop on National Building Code: Provisions and Latest Developments

gradually diffuses into the glass wall and reacts with the glass materials. The test method of this standard does not recover mercury that is diffused into or reacted with or otherwise incorporated irreversibly with the glass wall of discharge tubes.

Luminaries Part 5 Particular Requirements Section 7 Lighting Chains (IS 10322 (Part 5/ Sec 7):2013)

This standard covers the requirements of lighting chains. It covers only the safety requirements. It specifies requirements for lighting chains fitted with series or parallel or a combination of series/parallel-connected incandescent lamps or LED lamps for use either indoors or outdoors on supply voltages not exceeding 250 V. This standard is to be read in conjunction with IS 10322 (Part 1):2010 'Luminaires: Part 1 General Requirements and Tests'. The clauses of this standard correspond to those of IS 10322 (Part 1): 'General requirements'.

Motors for Submersible Pumpsets – Specification (IS 9283:2013)

This standard specifies technical requirements of submersible motors for submersible pump sets commonly used in bore holes (bore-wells or tube wells) and those used in open wells for handling clear, cold and fresh water for application in agriculture, water supply, etc. This standard shall be read in conjunction with IS 8034: 1989 'Submersible pump sets - Specification' and IS 14220:1994 'Open well submersible pump sets - Specification' as the submersible motor and the submersible pump together form a complete set. Co-ordination in the selection of motor and pump with respect to their size, rating and output, etc., is necessary for satisfactory and efficient operation of the pump set.

Seminars for Implementation of Indian Standards

To intensify the implementation of Indian standards BIS organizes seminars/ conferences/ workshops in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R and D organizations, Government institutions and others participate. During the year, BIS organized various Seminars/ Workshops and participated in Conferences with a view to disseminate information about the availability of standards and to get feedback for further improvement/ updating as well as to find out fields where standardization is needed by the industry.

इस अवधि के दौरान आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं

1. **भारत का राष्ट्रीय भवन कोड 2005: प्रावधान एवं नवीनतम विकास' पर कार्यशाला:** भा.मा.ब्यूरो और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत), यूपी स्टेट सेन्टर, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से 12–13 मई 2013 को लखनऊ में 'भारत का राष्ट्रीय भवन कोड 2005' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

2. **'खेल के सामान – मानकीकरण, प्रमाणन, प्रयोगशालाओं' पर कार्यशाला**

   भा.मा.ब्यूरो द्वारा प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डवलपमेंट सेन्टर (पी पी डी सी) एण्ड एम एस एम ई के साथ संयुक्त रूप से 11 नवम्बर 2013 को जालंधर, पंजाब में 'खेल का सामान – मानकीकरण, प्रमाणन प्रयोगशालाओं' पर एक परिचर्चात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान मानक (भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय), प्रमाणन और प्रयोगशालाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

3. **'प्रकाश एवं राष्ट्रीय प्रकाश कोड' पर संगोष्ठी**

   भा.मा.ब्यूरो ने इंडियन सोसायटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स (आई एस एल ई), मध्य प्रदेश स्टेट सेन्टर, इंदौर के साथ मिल कर 17 दिसम्बर 2013 को इंदौर में 'प्रकाश एवं राष्ट्रीय प्रकाश कोड' पर संगोष्ठी का आयोजन किया।

   संगोष्ठी में प्रतिभागियों को भा.मा.ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के मानकों यथा, उत्पाद मानक, परीक्षण पद्धति, पारिभाषिक शब्दावली मानक, आयाम मानक, चिन्ह मानकों और रीति संहिताओं की जानकारी दी गई। उन्हें यह बताया गया कि एन एल सी भा.मा.ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रीति संहिता है जिसे प्रयोक्ताओं, परामर्शदाताओं, डिजाइनरों, नीति निर्माताओं को जोड़ने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य नियामक ढांचा प्रदान करना है जिससे कि ऊर्जा दक्ष डिजाइन, प्रकाश की क्षति को रोकना और प्रकाश प्रदूषण को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। इस संगोष्ठी में विभिन्न श्रेणी के स्टेकहोल्डरों जैसे, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनरों, सलाहकारों, आई एस एल ई के सदस्यों, विभिन्न सरकारी विभागों के इंजीनियरों तथा उद्योगों, व्यापारियों, छात्रों इत्यादि ने भाग लिया।

प्रकाश एवं राष्ट्रीय प्रकाश कोड पर संगोष्ठी
Seminar on Lighting and National Lighting Code

Important events organized during this period are as under:

1. **Workshop on 'National Building Code of India 2005: Provisions and latest developments'**

   A workshop on 'National Building Code of India 2005:Provisions and latest developments' was organized at Lucknow during 12-13 May 2013 jointly by BIS and the Institution of Engineers (India), U.P. State Centre, Lucknow.

2. **Workshop on 'Sports Goods - Standardization, Certification, Laboratories'**

   An interactive workshop on 'Sports Goods - Standardization, Certification and Laboratories' was jointly organized by BIS with Process and Product Development Centre (PPDC) and MSME on 11 November 2013 at Jalandhar, Punjab. During the workshop issues related to standards (Indian and International), Certification and Laboratories were discussed.

3. **Seminar on 'Lighting and National Lighting Code'**

   BIS in association with Indian Society of Lighting Engineers (ISLE), Madhya Pradesh State Centre, Indore organized a daylong seminar on 'Lighting and National Lighting Code' on 17 December 2013 at Indore.

   During the seminar different types of standards developed by BIS namely Product Standards, Methods of Test, Terminology Standards, Dimension Standards, Symbol Standards and Codes of Practice were informed to participants. It was explained that NLC was a Code of Practice developed by BIS with a view to integrate users, consultants, designers, policy formulators which aims to provide regulatory framework ensuring energy efficient designs, prevention of Light waste and minimize Light Pollution. The Seminar attracted the participation of more than 100 delegates/professionals from a wide spectrum of stakeholders such as architects, Interior designers, consultants, academicians, members of ISLE, engineers from various government departments and industries, traders, students, etc.

4. **'राष्ट्रीय प्रकाश संहिता' पर संगोष्ठी**

07 फरवरी 2014 को कोलकाता में 'राष्ट्रीय प्रकाश संहिता' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उद्योगों में उत्कृष्ट प्रकाश रीतियों तथा संबद्ध भारतीय मानकों को लोकप्रिय बनाना था। इस संगोष्ठी का एक और उद्देश्य राष्ट्रीय प्रकाश संहिता के अगले पुनरीक्षण में शामिल किए जाने वाले परिवर्तनों और सुधारों के लिए स्टेकहोल्डरों से फीडबैक लेना भी था।

5. **'फुटवियर क्षेत्र में रसायन अनुपालन का पंजीयन, मूल्यांकन, प्राधिकार और प्रतिबंध (आर ई ए सी एच) एवं उसके पक्ष' पर संगोष्ठी**

भा.मा.ब्यूरो द्वारा 16 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में 'फुटवियर क्षेत्र में आर ई ए सी एच अनुपालन एवं उसके पक्ष' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आर ई ए सी एच के पक्ष और फुटवियर क्षेत्र में निर्यात एवं आयात पर उसके प्रभावों पर उद्योगों को जागरूक किया गया।

6. **'हाइड्रोमीटरी' पर संगोष्ठी**

भा.मा.ब्यूरो ने 13–14 फरवरी 2014 को पुणे मे 'हाइड्रोमीटरी' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में लगभग 45 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान मानकों में संशोधन एवं नए मानक बनाने के कई सुझाव संगोष्ठी में प्राप्त हुए।

7. **'साईकिल एवं उसके पुर्जो का मानकीकरण' पर संगोष्ठी**

21 फरवरी 2014 को लुधियाना, पंजाब में 'साइकिल एवं उसके पुर्जो का मानकीकरण' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उद्योग (साईकिल, पुर्जे, लाइसेंसधारक एवं विशेषज्ञ) से जुड़े 50 लोगों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में आई एस 10613 : 2004 / आई एस ओ 6742–2: 1985 के अनुसार साइकिल की सुरक्षा अपेक्षाओं एवं उस पर चमकने वाले उपकरण लगाने के सरकार के विचार पर पहल के बारे में चर्चा की गई।

8. **'तकनीकी वस्त्रादि में मानक' स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण में मानकों की भूमिका' पर दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी**

भा.मा.ब्यूरो ने फिक्की और वस्त्रादि मंत्रालय के सहयोग से 25 फरवरी 2014 को मुंबई

तकनीकी वस्त्रादि में मानकों पर दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी
2nd National Seminar on Standards in Technical Textiles

4. **Seminar on 'National Lighting Code'**

A seminar on 'National Lighting Code' was organized at Kolkata on 07 February 2014. Around 100 participants attended the programme. The main objective of the seminar was to popularize the best lighting practices and relevant Indian Standards among the lighting practitioners and industries. The seminar was also intended to obtain the feedback of stakeholders on changes to be incorporated and improvements to be made during the next revision of the National Lighting Code.

5. **Seminar on 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) Compliance and its aspect on Footwear Sector'**

The seminar on 'REACH Compliance and its aspect on Footwear sector' was organized by BIS on 16 January 2014 at New Delhi. Footwear industries were sensitized on the REACH aspect and its impacts on import and export in Footwear Sector.

6. **Seminar on 'Hydrometry'**

The seminar on 'Hydrometry' was organized by BIS on 13-14 February 2014 at Pune. Around 45 participants attended the programme. A number of suggestions for formulation of new standards and amendments to existing standards were received.

7. **Seminar on 'Standardization on Bicycle and its Components'**

A seminar on 'Standardization on Bicycle and its Components' was held on 21 February 2014 at Ludhiana, Punjab in which about 50 participants from industry (Bicycle and components, Licensees and experts) participated. During the seminar, discussion was held regarding the Govt. move to consider safety requirements of Bicycle and Retro-reflective devices and tapes as per IS 10613:2004/ISO 6742-2:1985. All the industrial representatives available in the seminar welcomed the move.

8. **2nd National Seminar on 'Standards in Technical Textiles - Role of Standardi-zation in Health, Safety and Environment'**

The seminar was organized by BIS on 25 February 2014 at Mumbai in association

में संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में तकनीकी वस्त्रादि मंत्रालय, व्यापार, नियामक निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सरकार के 100 प्रतिनिधियों और महत्त्वपूर्ण प्रयोक्ताओं ने भाग लिया।

9. इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी–मानकीकरण' पर संगोष्ठी

इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए भा.मा.ब्यूरो द्वारा 06 मार्च 2014 को ए आर ए आई, पुणे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्योगों के साथ इस परिचर्चात्मक संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में बने मानकों के बारे में उद्योगों को जागरूक करना, भारतीय मानकों को कार्यान्वयित करना; मापन उपस्करों के लिए भा.मा.ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह लेने के लिए उद्योगों को अवगत कराना; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्य के बारे में उद्योगों को जागरूक करना, मानकीकरण के नए क्षेत्रों के लिए सुझाव लेना और उद्योगों से फीडबैक लेना था, ताकि भा.मा.ब्यूरो अपनी सेवाओं को बेहतर कर सके।

10. 'खाद्य निरापदता' पर कार्यशाला

भा.मा.ब्यूरो ने 12 मार्च 2014 को नई दिल्ली में 'खाद्य निरापदता' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यशाला खाद्य निरापदता पर भारतीय मानकों के प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए भा.मा.ब्यूरो के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय की लाइसेंसधारकों के साथ समीक्षा बैठक के साथ आयोजित की गई।

11. 'विश्वसनीयता तकनीक–मानकीकरण और अनुप्रयोग' पर संगोष्ठी

भा.मा.ब्यूरो ने 19 मार्च, 2014 को 'विश्वसनीयता तकनीक–मानकीकरण और अनुप्रयोग' पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन चेन्नै में किया। उद्घाटन सत्र के अलावा इसमें दो तकनीकी सत्र भी थे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य इलैक्ट्रोनिक और विद्युत संघटकों और उपस्करों की विश्वसनीयता और निर्भरता के मानकीकरण के बारे में सूचना वितरित करना था। इस संगोष्ठी में परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान और इलैक्ट्रोनिक संगठकों जैसे क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों ने विश्वसनीयता के विभिन्न पहलुओं के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। संगोष्ठी के वक्ता और सहभागी विभिन्न सरकारी विभागों, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा उद्योग से संबंधित थे।

12. 'चिकित्सकीय युक्तियों पर मानक' संगोष्ठी

भा.मा.ब्यूरो द्वारा नई दिल्ली में 20 मार्च, 2014 को 'चिकित्सकीय युक्तियों पर मानक' संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में प्रौद्योगिकी, सामाजिक महत्त्व और कार्यान्वयन के संदर्भ में मानक निर्धारण के लाभ पर विचार–विमर्श किया गया।

with FICCI and Ministry of Textiles. Around 100 delegates from technical textiles Industry, trade, regulatory bodies, testing laboratories, Government and important users attended the seminar.

9. Seminar on 'Engineering Metrology – Standardization'

In order to promote the Indian Standards formulated in the field of Engineering Metrology, a seminar was organized by BIS on 06 March 2014 at ARAI, Pune. Main aim of this interactive seminar with the industry was to create awareness among the industry about the standards formulated in the field of engineering metrology; Implementation of Indian standards published; to approach the industry for getting BIS certification mark license for the measuring equipment; to create the awareness among the industry about the work done at International level; to suggest new areas for standardization and to get feedback from the industry so that BIS can improve in its services.

10. Workshop on 'Food Safety'

A workshop on 'Food Safety' was organized by BIS on 12 March 2014 at New Delhi. Around 50 participants attended the programme. The workshop was held in conjunction with the licensees review meet of Central Regional Office of BIS to promote the certification of the Indian Standards on food safety.

11. Seminar on 'Reliability Techniques - Standardization and Applications'

BIS has organized a one day Seminar on 'Reliability Techniques - Standardization and Applications', on 19 March 2014 at Chennai. Besides the inaugural session, there were two technical sessions. The objective of this seminar was to disseminate information relating to standardization of reliability and dependability of electronic and electrical components and equipment. An attempt was made to spread awareness about various applications of different aspects of reliability by eminent experts such as in atomic research, space science and electronic components. Speakers and participants belonged to govt. departments, scientific and research organizations, academic institutions and industry.

12. Seminar on 'Standards on Medical Devices'

A seminar on 'Standards on Medical Devices' was organized by BIS on 20 March 2014 at New Delhi. Around 50 participants attended the programme. The benefits of standards formulation with respect to technology, social importance and implementation were discussed.

13. 'संमिश्र (कम्पोजिट) में मानकीकरण–वर्तमान स्थिति और आगे का मार्ग' पर कार्यशाला

यह संगोष्ठी 27 मार्च, 2014 को अहमदाबाद में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 35 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों को भा.मा.ब्यूरो की मानकीकरण प्रक्रिया और नई पहलों तथा संमिश्रों के क्षेत्र में किए गए कार्य के बारे में सूचित किया गया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि संमिश्र एक व्यापक संभावनाओं वाला विषय है और यह अंतिम उपयोग से अधिक रेशों, रेजिन की गुणता और उनके पारस्परिक सम्पर्क पर अधिक निर्भर है, अतः इस पर एक पृथक् विषय समिति बनाई जाए। औद्योगिक संघ भी अतिशीघ्र इस विषय पर पृथक् समिति बनाने की आवश्यकता पर भा.मा.ब्यूरो को व्हाइट पेपर देने जा रहा है। नए विषयों के बारे में सदस्यों की राय थी कि उपभोक्ता की सुरक्षा से संबंधित विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। इसलिए केबल ग्रेटिंग, केबल ट्रे, एफ आर पी एक्सटेंशन लेडर, जी आर पी एपोक्सी पाइप तथा फिटिंगों इत्यादि नए विषय प्रस्तावित किए गए।

प्रचार

भा.मा.ब्यूरो की प्रचार गतिविधियों का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और उद्योगों के मध्य भा.मा.ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए नकली मुहरांकन जैसी अनैतिक व्यापारिक रीतियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया। जिन आम प्रचार माध्यमों का उपयोग किया गया है, वे प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो, ऑउटडोर पब्लिसिटी, मैट्रो, रेल संपर्क 139, सिनेमा स्लाइड इत्यादि हैं।

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा पर सर्वाधिक बल देने के लिए और भा.मा.ब्यूरो को नागरिक/लोगों के लिए अनुकूल संगठन बनाने का प्रयास करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता के लिए आई–केयर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भामाब्यूरो द्वारा हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषणों सहित भा.मा.ब्यूरो द्वारा प्रमाणित आई एस आई मुहरांकित चीजें खरीदने हेतु आम उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से जोर–शोर से प्रचार अभियान चलाया गया। उन्हें भा.मा.ब्यूरो प्रमाणित सामानों से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु भा.मा.ब्यूरो द्वारा बनाई पद्धति के संबंध में भी शिक्षित किया गया।

भा.मा.ब्यूरो ने लोकप्रिय उपभोक्ता और औद्योगिक मेलों में भाग लिया, जिनमें भा.मा.ब्यूरो की गतिविधियों के साथ–साथ गुणता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सूचना वितरित करने के लिए बनायी गयी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इन कार्यक्रमों के दौरान लघु संवर्द्धनात्मक फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। भा.मा.ब्यूरो के स्टॉल पर भा.मा.ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के ब्लो–अप प्रदर्शित किए गए और ब्रोशर/फोल्डर जैसी प्रचार सामग्री आगंतुकों को उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रचार के विशिष्ट विवरण नीचे दिए गए हैं: हॉलमार्किंग पर दो टीवी स्पॉट डी डी नेशनल और 58 केबल और सैटेलाइट चैनलों पर कुल आठ सप्ताह तक प्रसारित किए गए। हॉलमार्क के चार विज्ञापन अखिल भारतीय स्तर पर चार महीनों की अवधि के लिए 86 विभिन्न समाचार पत्रों में अलग–अलग फेजों में

13. Workshop on 'Standardization in Composites - Present status and way forward'

The seminar was organized on 27 March 2014 at Ahmedabad. Around 35 participants attended the programme. The stakeholders were informed about BIS standardization procedure and new initiatives and the work done in the field of composites. The house insisted that composites being a versatile subject and more depend on the quality of fiber, resin and their interaction together rather than the end usage, hence it should be made a separate sectional committee. The Industry Association will also be writing a white paper on the need of separate committee to BIS very soon. On new subjects, the house opined the subject related to safety of consumer should be taken on priority. Therefore new subjects of cable grating, cable trays, FRP extension ladders, GRP epoxy pipes and fittings etc were proposed.

PUBLICITY

The publicity activity of BIS is aimed at creating awareness of various BIS activities among the Industry and consumers. The penal provisions for unscrupulous practices like spurious marking were also publicized to deter violators. The publicity was given through print and electronic media as well as other media like Outdoor Publicity, Metro Rail, Rail Sampark 139, Cinema Slides, etc.

To give utmost thrust for safeguarding consumer interest and in an effort to make BIS a citizen/ people friendly organization, an i-Care programme has been launched for consumer protection and consumer awareness. An aggressive publicity campaign was taken up with an aim to persuade consumers to buy ISI Marked goods including BIS Hallmarked Gold Jewellery and they were made aware of the mechanism for redressal of complaints relating to BIS certified goods.

BIS participated in popular consumer and industrial trade fairs where screening of films was made to disseminate information on the activities of BIS as well as to focus on quality. Short promotional films were screened during these events. Blow-ups on various activities of BIS were displayed at BIS stall and publicity material like brochures, folders, leaflets were also made available to the visitors.

The specific details on publicity for the year 2013-14 are as follows:

Two TV Spots on Hallmarking were telecast for a total of 8 weeks on DD National and 58 cable and satellite channels. Four Hallmark advertisements were released on an all

प्रकाशित किए गए। हॉलमार्क पर भा.मा.ब्यूरो के महानिदेशक का साक्षात्कार सी एन बी सी आवाज पर 20 फरवरी, 2014 को प्रसारित किया गया। दूसरा साक्षात्कार आकाशवाणी पर 31 मार्च, 2014 को उनके 'विविधा' नामक कार्यक्रम में प्रसारित किया गया।

आई एस आई मुहर पर दो रेडियो स्पॉट हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 24 एफ एम स्टेशनों पर आकाशवाणी के माध्यम से विविध भारती के 37 स्टेशनों पर 45 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित किए गए।

आई एस आई मुहर लगे उत्पादों पर दो विज्ञापन, अखिल भारतीय स्तर पर 33 दिनों की अवधि के लिए फेजों में 25 अलग–अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए।

आई एस आई मुहर पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए 139 रेल सम्पर्क पर जिंगल एक मास तक प्रसारित की गई।

महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रचार

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार वितरण समारोह का विज्ञापन 53 समाचार पत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 26 अप्रैल, 2013 को प्रकाशित किया गया।

विश्व मानक दिवस पर 14 अक्तूबर, 2013 को 38 समाचार पत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किया गया। इसके अलावा विश्व मानक दिवस अर्थात् 14 अक्तूबर, 2013 को भा.मा.ब्यूरो के महानिदेशक का साक्षात्कार डीडी–1 के 'गुड इवनिंग इंडिया' नामक कार्यक्रम में और आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया।

आई ई सी जनरल मीटिंग 2013 के उद्घाटन का विज्ञापन 21 अक्तूबर, 2013 को 16 समाचार पत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किया गया।

मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के 24 बिक्री केंद्रों के माध्यम से भारतीय मानक और विशेष प्रकाशनों की बिक्री करता है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। भा.मा.ब्यूरो भारत में भी विदेशी मानकों (आई एस ओ, आई ई सी, बी एस आई लंदन, डी आई एन जर्मनी, जे आई एस जापान) की बिक्री करता है। भा.मा.ब्यूरो ने ई–पोर्टल द्वारा भारतीय मानकों की बिक्री आरंभ की थी। मानकों को भा.मा.ब्यूरो के ई–पोर्टल से सॉफ्ट कॉपी के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा ई–पोर्टल द्वारा हार्ड कॉपी के लिए भी क्रयादेश दिया जा सकता है। दोनों ही मामलों में क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड द्वारा पोर्टल पर भुगतान किया जा सकता है। भा.मा.ब्यूरो ने उन ग्राहकों के लिए भी भुगतान की प्रणाली आरंभ की है जिनकी ई–खरीद रू. 50,000 से अधिक की हो। ऐसे ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। भा.मा.ब्यूरो के खाते में सीधे हस्तांतरण द्वारा भी ग्राहक मानकों हेतु भुगतान कर सकते हैं।

भारतीय मानक पूरे सेट के रूप में अथवा सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, टैक्सटाइल इत्यादि जैसे 14 क्षेत्रों के अलग–अलग विशेष सेटों के रूप में डी वी डी पर भी लीजिंग के लिए उपलब्ध है।

ग्राहकों की सुविधा के लिए भा.मा.ब्यूरो के ई–पोर्टल www.standardsbis.in से जुड़ा एक टच स्क्रीन कियोस्क मुख्यालय के बिक्री विभाग में लगाया गया है। ग्राहक इस पर अपनी आवश्यकता के मानक, मानकों का मूल्य, विषयक्षेत्र, संशोधन इत्यादि देख सकते हैं। इसी प्रकार की सुविधा भा.मा.ब्यूरो के क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के सभी बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

India basis for a period of 04 months in phases in 86 different newspapers. An interview of DG, BIS on Hallmark was telecast on CNBC Awaz on 20 February 2014. Another interview on All India Radio was broadcast on 31 March 2014 in their Programme 'Vividha'.

Two radio spots on ISI Mark were broadcast for a period of 45 days in Hindi and regional languages on 24 FM channels and 37 Vividh Bharati Stations through All India Radio. Two advertisements on ISI marked products were released on an all India basis for a period of 33 days in phases in 25 different newspapers.

Jingle on ISI Mark was run on 139 Rail Sampark for one month regarding consumer awareness.

Publicity on important events

Rajiv Gandhi National Quality Award Presentation Ceremony advertisement was released on 26 April 2013 on an all-India basis in 53 newspapers.

An advertisement on World Standards Day Celebrations was released on an all-India basis on 14 October 2013 in 38 newspapers. Besides on the occasion of World Standards Day, i.e., on 14 October 2013 interviews of DG, BIS were broadcast on DD-I in the programme 'Good Evening India' and on All India Radio.

Inauguration of IEC General Meeting 2013 advertisement was released on an all-India basis on 21 October 2013 in 16 newspapers.

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

The Bureau sells Indian Standards and Special publications through 24 different sales outlets located at the Headquarters (HQs), Regional offices and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. BIS also sells foreign standards (ISO, IEC, BSI London, DIN Germany, JIS Japan) in India. BIS had started sale of Indian Standards through the e-portal. Standards can be downloaded in the form of soft copy (or) an order for hard copy can also be placed through the e-portal. Online payment can be made over the portal through credit/debit card. BIS had also introduced a system of payment through DD/ pay order for customers whose e-purchase is more than 50,000. Customers can also make payment for standards through trunk transfer in BIS bank account directly.

The Indian Standards are also available as a complete set in DVD or 14 different department/ sector specific sets like Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Textiles, etc., on lease. For the ease of customers, a touch screen kiosk, connected to BIS e-portal (www.standardsbis.in), has been installed at Sales Department, HQs. The customer can search the standard of their requirement, see the price of standards, scope, amendments, etc. Possibility is also being explored to provide similar facilities at all sales outlets at Regional and Branch Offices of BIS.

हिंदी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा संबंधी सभी अनुदेशों का पालन किया। तदनुरूप, हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए :

क. **हिंदी कार्यान्वयन** : भा.मा.ब्यूरो के सभी विभागों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ जारी की गईं। मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें समय से आयोजित की गईं। चार तिमाहियों की हिंदी की प्रगति रिपोर्ट समय पर मंत्रालय को भेजी गई। अवधि के दौरान ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 25 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 516 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

ख. **निरीक्षण** : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने ब्यूरो के फरीदाबाद, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, परवाणू, कानपुर, लखनऊ और कोयम्बटूर शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने ब्यूरो के अहमदाबाद और कानपुर शाखा कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। समिति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

ग. **हिंदी पखवाड़ा** : मुख्यालय में 12 सितम्बर 2013 से 27 सितम्बर 2013 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी संबंधी 7 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 44 पुरस्कार दिए गए।

घ. **प्रोत्साहन योजनाएँ** : ब्यूरो ने हिंदी टिप्पण एवं आलेखन की नकद पुरस्कार योजना, हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना आदि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखा।

हिन्दी पखवाड़ा 2013 समापन समारोह
Hindi Pakhwara 2013 – Closing ceremony

ङ. **हिंदी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेना** : 04 सितम्बर 2013 और 18 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में ब्यूरो के महानिदेशक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और इसके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई। समय–समय पर कंप्यूटरों में अद्यतन द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों का अनुपालन किया गया।

च. **मानक एवं सामान्य अनुवाद** : मानकों के अनुवाद में तेजी लाने के लिए ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उपाय किए। अनुवाद पैनल में और अधिक अनुवादकों को शामिल किया गया और उन्हें अनुवाद के लिए मानक भेजे गए। इस अवधि के दौरान

HINDI ACTIVITIES

Bureau of Indian Standards is following all the directions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs regarding official language. Accordingly, following work related to progressive use of Hindi has been done during the year.

a. **Hindi Implementation –** Annual Programme of Official Language Department was circulated to all the departments of BIS. Official Language Committee of HQ conducted all its four quarterly meetings on time. Quarterly reports of Hindi were timely sent to the Ministry. During the period, 25 Hindi workshops were organized in which 516 officers and employees were trained.

b. **Inspection -** During the year, the Second Sub Committee of Committee of Parliament on Official Language inspected the branch offices of Faridabad, Parwanoo, Kanpur, Lucknow, Coimbatore Branch Office and Central Region Office. Besides, the Drafting and Evidence Committee of Committee of Parliament on Official Language also inspected the Ahemdabad and Kanpur branch offices. The Committee expressed satisfaction towards the progressive use of Hindi in BIS.

c. **Hindi Pakhwara -** Hindi Fortnight was celebrated from 12 to 27 September 2013 at HQs in which seven different Hindi competitions were organized. 44 prizes were awarded to the successful participants in these competitions.

d. Incentive Schemes - Bureau also continued to carry out all incentive schemes of the Government of India such as Cash Incentive Scheme of Hindi Noting and Drafting, Hindi Incentive Allowance Scheme, Rajbhasha Shield Scheme etc.

e. Participation in Hindi Advisory and Town Official Language Committee (Central) - The Director General and Senior Officers of BIS took part in Hindi Advisory Committee meetings held at New Delhi on 04 September 2013 and 18 February 2014 and follow up actions were taken on the decisions taken in the meeting. The latest facilities for bilingual works were provided in all the computers from time to time. In order to meet the targets, all the points of Annual Programme were implemented.

f. **Standard and General Translation -** In order to accelerate translation works of Indian Standards, BIS took a number of steps to increase number of translators in the panel and standards were sent to them for translation accordingly. During the approximately 340 pages of 37 standards were

37 मानकों के लगभग 340 पृष्ठों का अनुवाद किया गया तथा 425 मानकों के शीर्षकों को द्विभाषी बनाया गया। मानकों के अनुवाद कार्यों के अतिरिक्त ब्यूरो ने अपने विभिन्न विभागों से प्राप्त अनेक प्रोफार्मों, वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग सामग्री, विश्व मानक दिवस सामग्री, राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार, निविदा सूचनाएं, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसद की स्थायी समिति की सामग्री, राजपत्र अधिसूचना, प्रशिक्षण सामग्री आदि के लगभग 850 पृष्ठों के अनुवाद का कार्य किया।

छ. **हिंदी पुस्तकों की खरीद** : हिंदी पुस्तक चयन समिति की बैठक आयोजित की गई तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं।

विदेशी भाषाएं एवं प्रकाशन

भा.मा.ब्यूरो का यह विभाग भारतीय मानकों का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन करता है तथा राजपत्र में प्रकाशित मानकों की अधिसूचना प्रकाशित करता है।

यह विभाग निम्नलिखित शीर्षकों युक्त कैटलॉग हर वर्ष प्रकाशित करता है :

क) 31 दिसम्बर तक अद्यतन किए गए भा.मा.ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक (तत्संबंधी वर्ष के),

ख) भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक,

ग) हिंदी में भारतीय मानक (अनुवाद)

घ) विशेष प्रकाशन, एवं

ङ) सभी प्रकाशनों से संगत कैटलॉग

भा.मा.ब्यूरो विभिन्न तकनीकी विभागों से प्राप्त भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों के पुनर्पुष्ट /वापिस लिए जाने/अधिसूचना होने संबंधी प्राप्त जानकारी से मानकों/अन्य प्रकाशनों की प्रगति की विषय–सूची प्रकाशित करता है। तकनीकी विभागों से प्राप्त सभी नए/पुनरीक्षित भारतीय मानकों/प्रकाशनों के साथ संशोधनों की सॉफ्ट प्रति के पीडीएफ प्रारूप का भी रखरखाव करता है। इस जानकारी का इस्तेमाल वेबसाइट www.standardsbis.in पर भारतीय मानकों की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

भा.मा.ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट हैं और तकनीकी पुस्तकों के लेखकों द्वारा भारतीय मानकों से सार प्राप्त करने के अनुरोध विभाग को भेज दिए जाते हैं। तकनीकी प्रकाशन और आई एस ओ : जी ई एन 19:1999 'आई एस ओ 'गाइडलाइन्स फॉर ग्रान्टिंग कॉपीराइट एक्सप्लॉइटेशन राइट्स टू थर्ड पार्टीज फॉर आई एस ओ स्टैण्डर्डस् इन बुक्स' मानकों हेतु तृतीय पक्षों को कॉपीराइट उपयोग अधिकार प्रदान करने के दिशा–निर्देश' से अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर तकनीकी सत्यापन का आकलन करने के बाद विभाग कॉपीराइट शुल्क के भुगतान के लिए आवेदक को अनुमति प्रदान करता है।

विभिन्न भारतीय (हिंदी को छोड़कर) और विदेशी भाषा से अंग्रेजी और अंग्रेजी से विदेशी भाषा में तकनीकी दस्तावेजों, मानकों और अन्य सामग्री का अनुवाद उपलब्ध कराया गया। विभिन्न समितियों और उद्योग जगत से नियमित रूप से इसके अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। विभाग उन देशों से संवाद को भी सुगम बनाता है जहाँ जर्मन और फ्रेंच भाषा बोली जाती है।

translated and titles of 425 standards were made bilingual. Besides standards translation, BIS also translated approximately 850 pages of different types of materials such as Proformas, Annual Report, material on Hallmarking, World Standards Day, Tender Notices, Parliament Questions, RGNQA, Parliamentary Standing Committee, Gazette Notifications, Training etc.

g. **Purchase of Hindi Books** - A meeting of Hindi Books Selection Committee was held through which a target of 50% expenditure on purchasing Hindi books was achieved.

FOREIGN LANGUAGES AND PUBLICATIONS

BIS, through its publication department handles the electronic publishing of Indian Standards and the notification of published standards in the gazette.

BIS publishes a catalogue annually containing the following information:

a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31 December (of the concerned year),

b) International Standards adopted as Indian Standards,

c) Indian Standards in Hindi (translation),

d) Special Publications and

e) Index corresponding to all publications

BIS also publishes the incremental index file for Indian Standards/Other Publications from the information provided by the printing department and various technical departments on new, revised standards and reaffirmation/withdrawal of Indian Standards. Soft copy (in pdf format) of all new/revised Indian Standards/ publications as well as amendments provided by technical departments was also maintained in the department, which was utilized for updating the electronic sale of Indian Standards at www.standardsbis.in.

BIS has the copyright to all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are received by the department from authors of technical books. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO: GEN 19:1999 `Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', permission was granted to the applicant on payment of the copyright charges. Translation services are also provided for translation of technical documents, standards and other material from various Indian (other than Hindi) and foreign languages into English and vice-versa, as and when requests were received from technical committees and industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा.मा.ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है जो कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उत्पाद पर मानक मुहर (आई एस आई के रूप में लोकप्रिय) का लगा होना यह दर्शाता है कि उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है। भा.मा. ब्यूरो किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता का होना सुनिश्चित करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप बने उत्पाद की सतत रूप से जाँच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से भी नमूने लिए जाते हैं और स्वतंत्र प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक से उनकी अनुरूपता की जांच सुनिश्चित कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकृति की है, परंतु जनहित में बहुत से उत्पादों को भा.मा.ब्यूरो अधिनियम के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे खाद्य निरापदता तथा मानक अधिनियम, आवश्यक सामग्री अधिनियम, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, शिशुओं हेतु दुग्ध विकल्पी, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार अधिनियम, आदि के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कुछ वस्तुओं, जैसे एल.पी.जी. सिलिंडर, दूध पाऊडर संघनित दूध, नवजात शिशुओं के लिए धान्य आधारित आहार, मलाई रहित दूध पाऊडर, नवजात शिशुओं के लिए दूध विकल्पी सामग्री, हैक्सेन खाद्य ग्रेड, डॉक्टरी थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल, प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी और निमज्ज्य वाटर हीटर, केबल, स्विच, बल्ब तथा सी.एफ. एल, सर्किट ब्रेकर, ऊर्जा मीटर हेतु सुरक्षा अपेक्षाएं, शुष्क बैटरियां, इस्पात पाइप, तेल दाब स्टोव, एक्सरे उपकरण, दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतलें, सीमेंट, इस्पात एवं इस्पात के उत्पाद, सामान्य प्रयोजन के डीज़ल इंजन, मोटर वाहनों के लिए हवा भरे टायर एवं टयूब, केंद्रीकृत कास्ट डक्टाइल आयरन प्रैशर पाइप, प्रैशर पाइपों के लिए डक्टाइल आयरन फिटिंगें, सामान्य प्रयोजनों के लिए समगति कम्प्रेशन इग्नीशन (डीजल) इंजन, बिजली के ट्रांसफार्मर, इत्यादि।

वर्ष 2013–14 में भा.मा.ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान कुल 3580 नए लाइसेंस दिए गए। जिनमें पहली बार योजना में शामिल किए गए 10 उत्पाद भी शामिल हैं। ये उत्पाद हैं: आई.एस. 10701:2012 – संरचना प्लाईवुड, आई.एस. 15041:2001 – वस्त्रादि–सामान्य सेवाओं के लिए कृत्रिम रेशे से बने सपाट बुने वेबिंग स्लिंग, आई.एस. 15884:2010 – सक्रिय ऊर्जा हेतु प्रत्यावर्ती धारा वाले प्रत्यक्ष जुड़े स्थैतिक पूर्व भुगतान किए मीटर (श्रेणी 1 और 2), आई.एस. 16008:2012 – कृषि और बागवानी प्रयोजनों हेतु टाइप 1 और टाइप 2 हेतु एग्रो टेक्सटाइल शेड नेट, आई.एस. 4375:1975 – निटेड सूती स्पोर्ट शर्ट, आई.एस. 15939:2011 – बाइफेन्थ्रिन डबल्यू.पी, आई.एस. 15911:2010 – संरचना इस्पात (साधारण

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification scheme, which is governed by The Bureau of Indian Standards Act, 1986 and rules and regulations framed there under. Presence of BIS standard mark (popularly known as ISI mark) on a product indicates conformity to the relevant Indian standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The certification scheme is basically voluntary in nature, but for a number of products, in public interest, it has been made mandatory by the Central Government under various statutes such as The Food Safety and Standards Act, The Essential Commodities Act, The Indian Explosive Act, The Atomic Energy Regulation Board, The Environment Protection Act, The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act, besides The Bureau of Indian Standards Act. Some of the items under mandatory certification are LPG Cylinders, Milk Powder, Condensed Milk, Cereal Food for Infant, Skimmed Milk Powder, Infant Milk Substitute, Hexane Food Grade, Clinical Thermometers, Packaged Drinking Water, Natural Mineral Water, Safety requirements for Electric Iron and Immersion Water Heater, Cables, Switches, Electric Lamps and CFLs, Circuit Breakers, Energy Meters, Dry Batteries, Steel Tubes, Oil Pressure Stoves, X-Ray Equipment, Plastic Feeding Bottles, Cement, Steel and Steel Products, Diesel Engine for General Purpose, Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles, Centrally Cast Ductile Iron Pressure Pipes, Ductile Iron Fittings for Pressure Pipes, Constant Speed Compression Ignition (diesel) Engines for General Purposes, Electrical Transformers, etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2013-14. During the year, 3580 new licences were granted, which include 10 products covered for the first time under the scheme. These products are IS 10701:2012 - Structural plywood; IS 15041:2001 - Textiles - Flat Woven Webbing Slings made of Man-Made Fibers for General Services; IS 15884:2010 - Alternative Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (class 1 and 2); IS 16008:2012 - Agro textiles Shade Nets for Agriculture And Horticulture Purposes for Type 1 and Type 2; IS 4375:1975 - Cotton knitted sport shirt; IS 15939:2011 - Bifenthrin WP; IS 15911:2010 - Structural Steel (Ordinary Quality); IS

गुणता), आई.एस. 14246:2013 – सतत, पहले से रोगन किए जस्तीकृत इस्पात शीट और कॉयल, आई.एस. 8042:1989 – सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की पैकिंग और आई.एस. 6046:1982 – कृषि में प्रयोग हेतु जिप्सम।

भा.मा.ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत शामिल कुल भारतीय मानकों की संख्या 908 है। 31 मार्च 2014 को लागू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 27796 हो गई है।

आकृति 1 भा.मा.ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए (हॉलमार्किंग को छोड़कर)

No. of Licences Granted in Product Certification (excluding hallmarking)

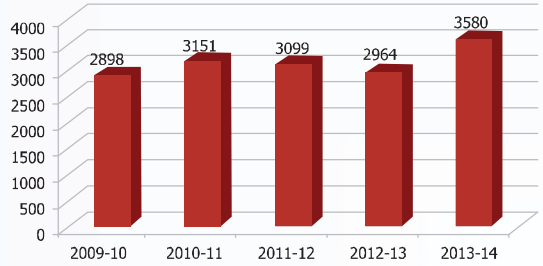

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रचालित लाइसेंसों / आवेदकों का आँकलन

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए वर्ष के दौरान कुल 18614 निरीक्षण, 11213 लॉट निरीक्षण किए गए और स्वतंत्र परीक्षण के लिए (बाजार से खरीदे नमूनों सहित) 22541 नमूने लिए गए।

प्रमाणन प्रचालन की समीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 07 समीक्षा बैठकें तथा 12 बैठकें लाइसेंसधारियों के साथ आयोजित की गईं, जो पैकेजबन्द पेयजल, टायर एवं ट्यूब, खाद्य रंग और कैरामल, बिजली के उपस्कर, सीमेंट, पी.वी.सी. उत्पाद, रबड़ एवं रबड़ उत्पाद, प्लास्टिक एवं संबद्ध उत्पाद, जूट और जूट उत्पाद, एल.पी.जी. सिलिन्डर, वाल्व एवं रेगुलेटर के विषय में थी।

वर्ष 2013–14 के दौरान नई योजना का शुभारंभ

एक नई 'तत्काल लाइसेंस योजना' का शुभारंभ किया गया जो केवल अनिवार्य प्रमाणन योजना के अन्तर्गत उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए है, जिससे शीघ्र लाइसेंस प्रदान किये जा सकें।

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भा.मा.ब्यूरो वर्ष 1999 से आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए एक योजना विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रचालित कर रहा है। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मानक मुहर अपने उत्पादों पर लगाने के लिए भा.मा.ब्यूरो

14246:2013 - Continuously Pre-Painted Galvanized Steel Sheets and Coils; IS 8042:1989 - Packing of White Portland cement and IS 6046:1982 - Gypsum for Agricultural Use.

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 908. The total number of operative licences as on 31 March 2014 was 27796.

आकृति 2 उत्पाद प्रमाणन में प्रचालित लाइसेंसों की संख्या (हॉलमार्किंग को छोड़कर)

No. of Operative Licences in Product Certification (excluding hallmarking)

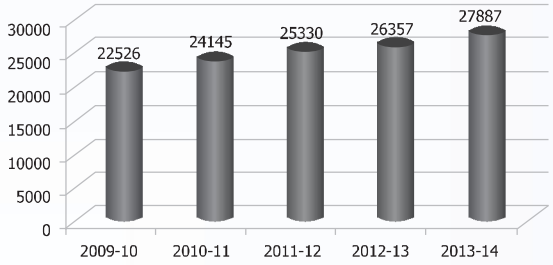

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, during the year, a total number of 18614 inspections and 11213 lot inspections were organized and 22541 samples (including samples procured from market) were drawn for independent testing.

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. During the year, 07 review meetings and 12 licensees meets were organized covering the areas of Packaged Drinking Water; Tyres and Tubes; Food colour and Caramel, Electrical Appliances; Cement; PVC Products; Rubber and Rubber Products; Plastic and related products; Jute and Jute Products; LPG Cylinders, Valves and Regulators.

NEW INITIATIVE DURING 2013-14

A new 'Tatkal Licensing Scheme' was launched, applicable only for applicants of licence for products under mandatory certification to expedite grant of license.

Certification of Imported Products

BIS has been operating separate scheme from 1999 for certification of imported goods - for foreign manufacturers. Under this Scheme, foreign manufacturers applying for BIS Standard Mark can seek certification from BIS on the product being imported into the country such as Cement,

में प्रमाणन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उत्पाद देश में आयात किए जा रहे हैं वे सीमेंट, एच.डी.पी.ई पाइप, नवजात शिशुओं हेतु खाद्य सामग्री फॉर्मूला, प्लास्टिक की फीडिंग बोतलें, स्विचगीयर, प्लग एवं सॉकेट, अतिलघु सर्किट ब्रेकर, अवशिष्ट धारा परिपथ ब्रेकर, पी.वी.सी. रोधित केबल, बिजली इस्तरियों से सुरक्षा के लिए एक्स.एल.पी. रोधित केबल, शुष्क सेल बैटरियां, इस्पात और इस्पात उत्पाद, सीवन रहित गैस सिलिन्डर, कॉम्पपैक्ट प्रतिदीप्ति लैम्प, प्राशन हेतु दुग्ध धान्य आधारित खाद्य सामग्री, गैस आयतन मीटर, वाट घंटा मीटर, लकड़ी के उत्पाद आदि हैं। इन उत्पादों को पाकिस्तान, चीन, बांग्ला देश, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, आइसलैंड, चेक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया, यू.एस.ए, ब्राजील, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यू.ए.ई, नेपाल, भूटान, हंगरी, इन्डोनेशिया, फिलिपीन्स, दक्षिण कोरिया, टर्की, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से आयात किया जा रहा है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान विदेशी उत्पादक प्रमाणन योजना के अन्तर्गत 147 लाइसेंस स्वीकृत किए गए, जिससे 60 भारतीय मानकों के लिए इन लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 379 हो गई।

अनुरूपता की स्व–घोषणा हेतु पंजीकरण योजना

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 15 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी की वस्तुएं सामान, (जैसे एल.ई.डी./एल.सी.डी. टी.वी., लैपटॉप, प्रिन्टर, सैटटॉप बाक्स, माइक्रोवेव ओवन, नोट बुक/टेबलेट, प्रोजेक्टर, सर्वर, स्टोरेज आदि) के लिए भा.मा.ब्यूरो ने अनुरूपता की स्व–घोषणा हेतु अनिवार्य पंजीकरण योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है। विनिर्माता द्वारा स्व–घोषणा हेतु पंजीकरण अनुरूपता मूल्यांकन की एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। यह लाइसेंसिंग की वर्तमान पद्धति के अतिरिक्त है। इस नई पंजीकरण पद्धति में विनिर्माता स्वयं यह घोषणा करता है कि उसका उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है। अतः विनिर्माता स्वयं उत्पाद की गुणता का आश्वासन देता है। पंजीकरण हेतु आवेदक को ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला से अपने उत्पाद का परीक्षण कराना होता है। इसके बाद पंजीकरण हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ वह परीक्षण रिपोर्ट भा.मा.ब्यूरो में जमा करनी होती है। पहला पंजीकरण 02 जून 2013 को स्वीकृत किया गया। इस योजना के शुभारंभ के बाद से ब्यूरो ने अब तक (31 मार्च 2014 तक) विनिर्माताओं को 742 पंजीकरण स्वीकृत किए गए। उपर्युक्त उत्पादों के ये विनिर्माता विश्वभर में अलग–अलग स्थानों पर स्थित हैं।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

(i) स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग

भा.मा.ब्यूरो में स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग 1 अप्रैल, 2000 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के लिए उपभोक्ताओं को थर्ड पार्टी आश्वासन प्रदान करना था। चांदी के आभूषणों/वस्तुओं की हॉलमार्किंग योजना अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ज्वैलर को अपने स्वर्ण आभूषण हॉलमार्क कराने के लिए भा.मा.ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। भा.मा.ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं

HDPE Pipes, Infant formula, Plastic Feeding Bottles, Switchgear, Plug and sockets, Miniature circuit breakers, Residual Current Circuit Breakers, PVC Insulated Cables, XLP Insulated Cables Safety of Electric Irons, Dry Cell batteries, Steel and Steel products, Seamless Gas Cylinders, Compact Fluorescent Lamps, Milk cereal based weaning food, Gas Volume Meters, Watt-hour meter, Wood products, Tyres and tubes from countries like, Pakistan, China, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, Vietnam, Srilanka, Germany, Poland, Romania, Spain, Portugal, Switzerland, Iceland, Czech Republic, France, Belgium, Italy, Egypt, United Kingdom, Slovakia, USA, Brazil, Ukraine, Kazakhstan, UAE, Nepal, Bhutan, Hungary, Indonesia, Philippines, South Korea, Turkey, Taiwan, South Africa, etc. During the period April 2013 - March 2014, 147 licenses were issued under the Foreign Manufacturers Certification Scheme, taking the total number of operative licenses to 379 against 60 Indian Standards.

Registration Scheme for Self Declaration of conformity

BIS has recently introduced Registration Scheme for 15 Electronics and Information Technology Goods (like LED/LCD TVs, Laptops, Printers, Set Top Box, Microwave Oven, Notebook/Tablets, Projectors, Servers, Storage, etc), notified by the Department of Electronics and Information Technology, Govt. of India, under the Compulsory Registration Scheme for Self declaration of conformity. Registration for self-declaration by the manufacturer is a simplified process of conformity assessment, which has been introduced, and is in addition to the existing system of licencing. In this new Registration System, a manufacturer himself makes a declaration that his product conforms to the Indian Standard. Therefore, the manufacturer himself is providing an assurance on the quality of his product. For Registration, an applicant has to get the sample of their product tested from any laboratory recognized by the Bureau. The applicant has to submit the test report(s) along with Application to BIS for registration. The first Registration was granted by BIS on 02 June 2013. Since its launch BIS has granted (upto 31 March 2014) 742 registrations to manufacturers located throughout the world for the above mentioned products.

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

(i) Hallmarking of Jewellery

Hallmarking of Gold Jewellery was started by BIS in April 2000 to provide third party assurance to consumers on the purity of gold jewellery or its fineness. The scheme for Hallmarking of Silver Jewellery/ artefacts was launched in October 2005. Under the Scheme a jeweller has to obtain

हॉलमार्किंग (ए और एच) केन्द्रों पर आभूषणों/वस्तुओं की शुद्धता की जांच की जाती है। इन केन्द्रों पर स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों/वस्तुओं के मूल्यांकन तथा हॉलमार्किंग के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के बाद भा.मा.ब्यूरो द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है।

अप्रैल 2013 – मार्च 2014 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग योजना ने और भी प्रगति की है। 31 मार्च 2013 को स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग के लाइसेंसों की संख्या बढ़ कर 11902 हो गई जबकि मार्च 2013 को इनकी संख्या 10586 थी। अप्रैल 2013 – मार्च 2014 अवधि के दौरान स्वर्णाभूषणों/शिल्पों की 260.50 लाख स्वर्ण आभूषणों/वस्तुओं पर हॉलमार्किंग की गई। इस दौरान भा.मा.ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 31 मार्च 2013 को 285 हो गई।

हॉलमार्किंग के चालू लाइसेंसों की संख्या
No. of Operative Licences in Hallmarking

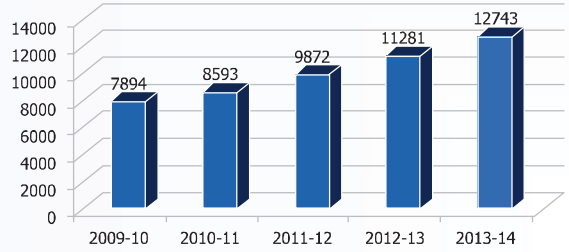

चांदी के आभूषणों/वस्तुओं की हॉलमार्किंग हेतु लाइसेंसों की संख्या अप्रैल 2013 – मार्च 2014 के दौरान 696 से बढ़कर 841 हो गई। अप्रैल 2013 – मार्च 2014 के दौरान हॉलमार्किंग गतिविधि से हुई आय लगभग रू. 1396 लाख थी।

(ii) केन्द्र सरकार की सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना हेतु स्कीम का कार्यान्वयनः केन्द्र सरकार की सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने हेतु सहायता के लिए केन्द्र सरकार योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2013 – मार्च 2014 के दौरान 07 केन्द्रों को केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान की गई, जिससे केन्द्रीय सहायता प्राप्त ऐसे ए एंड एच केन्द्रों की संख्या 46 हो गई।

(iii) हॉलमार्किंग का प्रचार

क) स्वर्ण/चाँदी के आभूषणों/वस्तुओं की हॉलमार्किंग को उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा देने हेतु, भा.मा.ब्यूरो ने देश भर में अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ज्वैलरों/उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। 1 अप्रैल, 2013 से 1 मार्च, 2014 के दौरान ऐसे 33 ज्वैलर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मुम्बई में आयोजित हालमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम
Hallmarking Awareness Program organised at Mumbai

license from BIS to get his jewellery hallmarked. Assaying and Hallmarking (A and H) Centres where the purity of jewellery articles is assessed are recognized by BIS after ensuring that the Centres have required infrastructure for assaying and hallmarking of gold and silver jewellery articles.

The scheme for Hallmarking has further grown during the period April 2013 - March 2014. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 10586 as on March 2013 to 11902 as on March 2014. 260.50 lakh articles of gold jewellery/ artefacts have been hallmarked during April 2013 - March 2014. The number of BIS recognized assaying and hallmarking centres was 285.

मान्यता प्राप्त मूल्यांकन और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या
No. of Assaying & Hallmarking Centres Recongnised

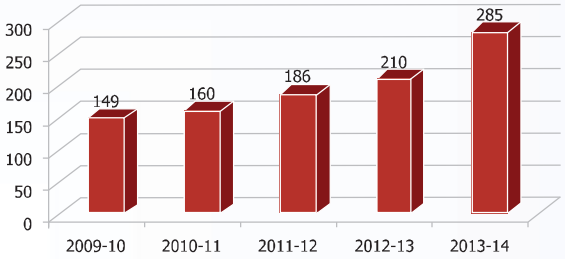

The number of operative licences for Hallmarking of silver jewellery/ artefacts has increased from 699 to 841 during the period April 2013 - March 2014. Income from Hallmarking activity from April 2013 - March 2014 was around Rs. 1396 lakhs.

(ii) Implementation of the Scheme for setting up of gold hallmarking/ assaying centres in India with central assistance: Under the Government Scheme for Central Assistance for creating infrastructure, 07 A and H centres have been provided central assistance during April 2013 – March 2014, making the total number of such centrally assisted A and H centres to 46.

(iii) Publicity on Hallmarking

(a) To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, awareness programmes for jewellers/ consumers are organized by BIS through its various Regional and Branch offices across the country. 33 Jewellers awareness programmes have been organized during April 2013 - March 2014.

ख) अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान उपभोक्ताओं/ज्वैलरों में स्वर्ण / चाँदी के आभूषण पर हॉलमार्किंग से लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के विभिन्न समाचारपत्रों में 160 विज्ञापन जारी किए।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

प्रबंध पद्धतियों के संगत अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भा.मा.ब्यूरो ने निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा :

क) आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यू.एम.एस.) प्रमाणन योजना

भा.मा.ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यू.एम.एस.सी.एस.) सितम्बर 1991 में आरंभ की गई थी। यह योजना आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17021 'अनुरूपता मूल्यांकन – प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाओं' के अनुसार प्रचालित की जाती हैं।

वर्ष 2013–2014 के दौरान 49 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2014 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 951 हो गई। इनमें रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट, निर्माण, डेयरी संयंत्र, शिक्षा, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएं, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल, वस्त्रादि और सेवा क्षेत्र जैसे वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।

ख) आई.एस./आई.एस.ओ. 14001:2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन (ई.एम.एस.) पद्धति योजना

भा.मा.ब्यूरो ने आई.एस./आई.एस.ओ. 14001 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ई.एम.एस.) प्रारंभ की है। यह भी आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17021 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रचालित है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान 14 नए ई.एम.एस. लाइसेंस प्रदान किए गए जिससे 31 मार्च 2014 को प्रचालन लाइसेंसों की संख्या 186 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली घर, वैगन वर्कशाप, फार्मस्यूटिकल, मशीनरी, खनन, लोक प्रशासन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इत्यादि तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।

ग) आई.एस./आई.एस.ओ. 18001:2007 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओ.एच.एस.एम एस.) प्रमाणन योजना

भा.मा.ब्यूरो ने आई.एस. 18001 : 2007 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (ओ.एच.एस.एम.एस.) जनवरी 2003 में आरंभ की थी। इससे कोई संगठन अपनी गतिविधियों से प्रभावित

(b) During the period from April 2013 - March 2014, 160 advertisements have been released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers about the benefits of hallmarked Gold Jewellery.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Management Systems Certification services as per the corresponding standards:

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001:2008

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991. The Scheme is being operated in accordance with standard ISO/IEC 17021 'Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems'.

During the period April 2013 - March 2014, 49 Quality Management System Certification licences were granted making the total of operative licenses to 951 as on 31 March 2014 covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, education, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, and service sector such as financial sector, health sector, insurance, information technology, telecommunications, transport etc.

b) Environmental Management System (EMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001:2004

The Environmental Management System (EMS) Certification Scheme was launched by BIS as per IS/ISO 14001. It is also operated as per the International criteria laid down in ISO/IEC 17021. During the period April 2013 - March 2014, 14 new EMS licenses have been granted making the total of operative licenses to 186 as on 31 March 2014. These licenses cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power, wagon workshops, pharmaceuticals, machinery, mining, public administration (Pollution Control Board) etc.

c) Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007

BIS launched Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001:2007, which essentially enables an organization to define, plan and manage policies and

होने वाले उसके कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण खतरों और जोखिमों से जुड़ी विधायी अपेक्षाओं एवं जानकारी को ध्यान में रखते हुए नीति और उद्देश्य तय कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंधन कर सकता है जिन खतरों और जोखिमों को संगठन नियंत्रित कर सकता हो और जिनका प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान 08 ओ.एच.एस.एम.एस. लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2014 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 78 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजली संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएं तथा कर्मचारी विकास केन्द्र, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, विद्युत एवं दूरसंचार केबल, पेट्रोलियम रिफाईनरी, कीट नाशक, औद्योगिक और विस्फोटक रसायन, रेलवे आदि शामिल हैं।

घ) खाद्य जनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी.) योजना (एच.ए.सी.सी.पी. स्टैंड एलोन)

भा.मा.ब्यूरो आई.एस. 15000 के अनुसार स्टैंड एलोन एच.ए.सी.सी.पी. प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2014 को 2 एच.ए.सी.सी.पी. स्टैंड एलोन लाइसेंस प्रचालन में थे।

ङ) आई.एस./आई.एस.ओ. 22000:2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफ.एस.एम.एस.) प्रमाणन योजना

भा.मा.ब्यूरो ने आई.एस./आई.एस.ओ. 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (एफ.एस.एम.एस.) प्रारंभ की थी। इस पद्धति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि खाद्य श्रृंखला में आने वाले सभी प्रकार के संगठन खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान 9 लाइसेंस प्रदान किये गये।

च) आई.एस. 15700:2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एस.क्यू.एम.एस.) प्रमाणन योजना

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एस.क्यू.एम.एस.) योजना अप्रैल 2007 में आरंभ की गई थी। यह आई.एस. 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धतियां – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' पर आधारित है। यह मानक एक्रास द काउंटर गुणता सेवा की सुपुर्दगी पर बल देता है। जो संगठन इस मानक को कार्यान्वित कर रहे हैं उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। भा.मा.ब्यूरो ने आई.एस. 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध पद्धति – जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएँ' के कार्यान्वयन को वरीयता क्षेत्र के तौर पर रखा है। अप्रैल 2013 – मार्च 2014 के दौरान 14 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए। 31 मार्च 2014 को कुल 23 लाइसेंस प्रचालन में थे

छ) आई.एस. 50001:2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबन्ध पद्धति (ई.एन.एम.एस.) प्रमाणन योजना :

आई.एस./आई.एस.ओ. 50001:2011 के अनुसार ऊर्जा प्रबन्ध

objectives, taking into account the legislative requirements and the information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the period April 2013 - March 2014, 08 OHSMS licenses have been granted making the total operative licenses to 78 as on 31 March 2014. The licenses cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centres, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railways etc.

d) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme (HACCP Stand Alone)

BIS also offers a standalone HACCP Certification Scheme as per IS 15000. As on 31 March 2014, 02 HACCP stand-alone licences were in operation.

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000:2005

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000:2005. This system is designed to allow all types of organization within the food chain to implement a food safety management system. As on 31 March 2014, 09 FSMS licences were in operation.

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700:2005

The Service Quality Management System (SQMS) Certification was launched by BIS in April 2007, based on the Indian Standard IS 15700:2005, 'Quality Management Systems – Requirements for service quality by public service organizations'. This standard focuses on delivery of quality service across the counter. Further, the organizations implementing this standard can be certified by BIS.During the period April 2013 - March 2014, 14 new licenses have been granted making a total of operative licenses to 23, as on 31 March 2014.

g) Energy Management System (EnMS) Certification Scheme as per IS 50001:2011

Energy Management Systems Certification Scheme as

पद्धति (ई.एन.एम.एस.) प्रमाणन योजना प्रारंभ की गई और लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह सूचना सभी को दी गई।

ज) एन.ए.बी.सी.बी. द्वारा क्यू एम. एस. और ई.एम.एस. को प्रत्यायन

प्रमाणन निकायों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.सी.बी.), क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुणता प्रबंध पद्धति तथा पर्यावरण प्रबंध पद्धति के लिए भा.मा.ब्यूरो को दिसंबर 2013 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की

झ) प्रबंध पद्धति प्रमाणन का संवर्धन :

एस.क्यू.एम.एस. (जो आर. एफ.डी. की एक अपेक्षा है) हेतु भा.मा.ब्यूरो की प्रमाणन योजनाओं के बारे में एक अभियान चलाकर सभी सरकारी संगठनों को सूचित किया। एस.क्यू.एम.एस कार्यान्वयन के बारे में आई. एस 15700 पर भा.मा.ब्यूरो की टीम ने व्याख्यान दिये हैं और कार्मिक, जनशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, नई, दिल्ली के साथ बैठकें आयोजित की गईं। आई. एस./आई.एस.ओ. 9001 के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सदन और मिजोरम सदन में सरकारी संगठनों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफ.एस.एम.एस.) प्रमाणन के संवर्धन हेतु खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योगों के लिए चंडीगढ़, नई दिल्ली, कोलकाता और कोच्चि में 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन में स्वीकृत लाइसेंसों की संख्या

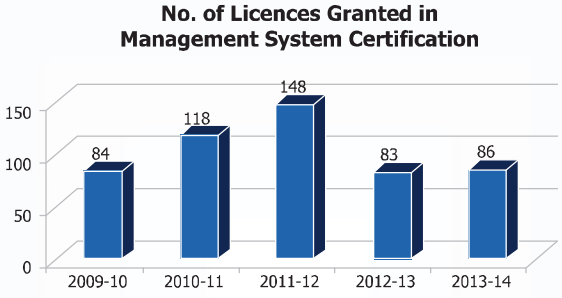

प्रबंध प्रमाणन पद्धति में चालू लाइसेंसों की संख्या

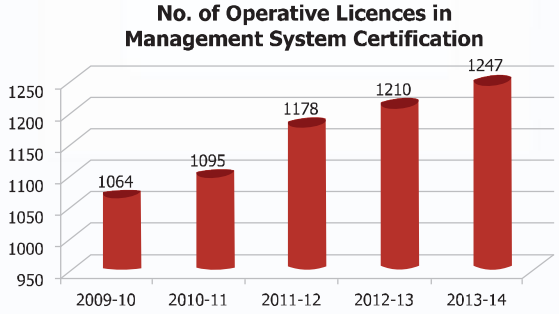

ण) ऑडीटरों की बैठक

अप्रैल 2013 – मार्च 2014 के दौरान 5 ऑडीटर बैठकें आयोजित की गईं। मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक क्षेत्र में एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में पद्धति प्रमाणन का ऑडिट करने वाले पंजीकृत भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों और बाहर के ऑडीटरों ने भाग लिया।

per IS/ISO 50001 was launched and information on this was disseminated during the licensees' review meets.

h) Accreditation of QMS and EMS by NABCB

BIS has been granted accreditation by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Quality Council of India for its Quality Management systems and Environmental Management Systems in December 2013 for a period of three years.

i) Promotion of Management Systems Certification:

All government organizations were informed regarding the certification services of BIS for SQMS (which was an RFD requirement) through a special drive undertaken for the purpose. BIS team had delivered lectures on IS 15700 for implementation of SQMS certification and also had conducted meetings with the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Deptt. of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi. For implementation of IS/ISO 9001 in government organizations, awareness programme were conducted in Maharashtra Sadan and Mizoram Sadan. As a part of promotion of Food Safety Management System (FMS) Certification among the food industry, four awareness programmes on FSMS were carried out at Chandigarh, New Delhi, Kolkata and Kochi.

j) Auditors' Meet

During the period April 2013 - March 2014, 05 Auditors' Meets were organized, one each by the Central Regional Office, Eastern Regional Office, Northern Regional Office, Southern Regional Office and Western Regional Office which were attended by external auditors and BIS officers, registered for carrying out system certification audit.

कोलकता में आयोजित प्रबंध पद्धति लाइसेंसधारियों की पुनरीक्षण बैठक
Management System Licensees Review Meeting organised at Kolkata

ट) लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक

लाइसेंसधारियों में जागरूकता पैदा करने एवं भा.मा.ब्यूरो के लाइसेंसधारियों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए भा.मा.ब्यूरो द्वारा अपने लाइसेंसधारियों के साथ 5 बैठकें आयोजित की गईं। ये समीक्षा बैठकें मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक क्षेत्र में एक आयोजित की गई।

ठ) लीड ऑडिटर कोर्स में भा.मा.ब्यूरो अधिकारियों को प्रशिक्षण

गत वर्ष के दौरान भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न लीड ऑडिटर कोर्स में प्रशिक्षण दिया गया :

लीड ऑडिटर कोर्स	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
ई.एम.एस.	03
ई.एन.एम.एस.	01
एफ.एस.एम.एस.	01

ड) भा.मा.ब्यूरो प्रबंध पद्धति के लिए ऑडिटिंग कार्मिक

अवधि के दौरान 10 ऑडिटिंग कार्मिकों (बाहरी ऑडीटरों) को विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं क्यू.एम.एस./ई.एम.एस./ओ.एच.एस.एम.एस./एच.ए.सी.सी.पी./एफ.एस.एम.एस.) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया । 31 मार्च 2014 तक प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत नीचे दी गई संख्या में बाहरी ऑडीटरों/विशेषज्ञों को पंजीकृत किया गया :

गतिविधि	उपसंविदाकार–ऑडीटर
क्यू.एम.एस.	104
ई.एम.एस.	51
ओ.एच.एस.एम.एस.	29
एफ.एस.एम.एस.	08
एच.ए.सी.सी.पी.	08
एस.क्यू.एम.एस.	05

k) Licensees' Review Meet

For the purpose of creating awareness and to receive first hand feedback about our services from the licensees, 05 Management Systems Licensees Review Meetings were organized, one each by the Central Regional Office, Eastern Regional Office, Northern Regional Office, Southern Regional Office and Western Regional Office.

l) Training of BIS officers in Lead Auditor Course

During the year, no. of BIS officers trained in various Lead Auditor Courses is given below:

Lead Auditor Course	No. of Officers trained
EMS	03
EnMS	01
FSMS	01

Auditing Personnel for BIS Management Systems

During this period, 10 auditing personnel (external auditors) have been registered under various Management Systems Certification Schemes (QMS/EMS/OHSMS/HACCP/FSMS). As on 31 March 2014, the number of external auditors/experts registered with BIS for Management Systems Certification Scheme are given below:

Activity	Subcontractor Auditor
QMS	104
EMS	51
OHSMS	29
FSMS	08
HACCP	08
SQMS	05

परीक्षण और अंशशोधन

उत्पाद मुहर योजना को प्रोत्साहित करने और योजना से आने वाले नमूनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भा.मा.ब्यूरो ने देश में आठ प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसकी शुरूआत 1962 में साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ की गई। इसके बाद मोहाली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और पटना, बंगलौर तथा गुवाहाटी में तीन शाखा कार्यालय में प्रयोगशालाएं खोली गईं। भा.मा.ब्यूरो की इन प्रयोगशालाओं में रसायन, सूक्ष्मजैविकी, विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के उत्पादों के परीक्षण की सुविधाएं हैं। चेन्नई और साहिबाबाद प्रयोगशालाओं में विद्युत क्षेत्र के उत्पादों के इन–हाउस अंशशोधन की सुविधा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भा.मा.ब्यूरो की प्रयोगशालाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के साथ गति बनी रहे, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली और साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 के अनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं अंशशोधन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा प्रत्यायित किया गया है।

भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में 1233 भारतीय मानकों की पूर्ण और 709 भारतीय मानकों की आंशिक परीक्षण सुविधाएं हैं। वर्ष के दौरान भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने उत्पाद प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उत्पादों के लिए 18622 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान चेन्नई में गोल्ड रेफरल एसेयिंग प्रयोगशाला ने 609 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं।

भा.मा.ब्यूरो द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या

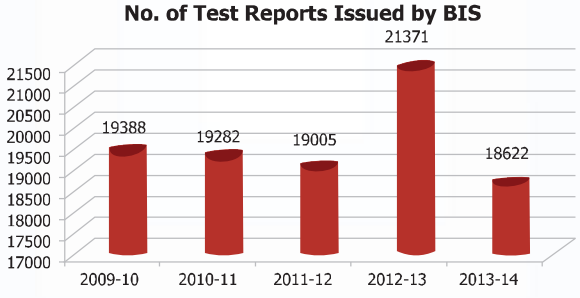

परीक्षण सुविधाओं का सृजन/उन्नयन

यह सतत प्रयास किया जाता है कि उत्पाद परीक्षण में भा.मा.ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में सुविधाएं अद्यतन हों। तदनुसार, प्रयोगशालाओं में आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। नवीनतम प्रौद्योगिकीगत विकास के साथ बने रहने के लिए भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान कम्प्रेशन परीक्षण मशीन, हॉट डिफॉरमेशन टेस्ट अपारेटस, सीमेंट के परीक्षण के लिए वाइब्रेटिंग मशीन, ह्यमिडिटी चैम्बर, विकेट सॉफ्टनिंग उपकरण, कार्बन–सल्फर एनलाइज़र, यू वी स्पेक्ट्रोमीटर ओपेसिटी टेस्टर, मेम्बरन फिल्टरेशन असेम्बली, रेश, सेन्ट्रीफ्यूज, उच्च वोल्टेज के परीक्षण उपस्कर, इत्यादि प्राप्त किए।

गुणता आश्वासन कार्यकलाप

भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन, परीक्षण का नियमित अंग है जिसके द्वारा गुणता युक्त परीक्षण सुनिश्चित किया

TESTING AND CALIBRATION

In order to support the activities of the product certification marks scheme, BIS has established eight laboratories in the country to cater to the testing need of samples generated from the scheme, beginning with the establishment of Central Laboratory at Sahibabad in 1962. Subsequently, four Regional Laboratories at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bangalore and Guwahati were established. The BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, microbiological, electrical and mechanical discipline. In-house calibration facilities in the field of electrical discipline are operational at Central Laboratory, Sahibabad.

In order to ensure that BIS laboratories are abreast with the latest developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

BIS labs have complete test facilities for 1233 Indian Standards and partial test facilities for 709 Indian Standards. During the year, BIS laboratories issued 18622 test reports for various products covered under Certification. In addition, the Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has issued 609 test reports during the year.

Creation/ up-gradation of testing facilities

Efforts are being made continuously to make BIS labs 'state of the art' in testing of products. Accordingly, modernisation and up-gradation in the labs is a continuous process. During the period April 2013 to March 2014, BIS labs have procured Compression Testing Machine, Hot Deformation Test Apparatus, Vibrating Machine for cement testing, Humidity Chamber, Vicat Softening Apparatus, Carbon-Sulphur Analyzer, UV Spectrophotometer, Opacity Tester, Membrane Filtration Assembly, Resh. Centrifuge, High Voltage Test Apparatus, etc., in order to be in step with the latest technological advancements.

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is a regular part of testing in BIS Labs by way of which the quality of testing is assured. During the

जाता है। अवधि के दौरान भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में गुणता आश्वासन क्रियाकलापों के अंतर्गत 695 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें दक्षता परीक्षण/अन्तर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान लिए गए नमूनों का परीक्षण भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण

क) भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में कार्यरत श्रमशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। अवधि के दौरान भा.मा.ब्यूरो के 13 अधिकारियों को एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग तथा एसेयिंग एवं ऑलमार्क के ऑडिट में प्रशिक्षित कराया गया। इसके अतिरिक्त 07 अधिकारियों को आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 प्रयोगशाला प्रबंधन पद्धति में प्रशिक्षित कराया गया।

ख) भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने 03 फरवरी से 21 फरवरी 2014 तक प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देने के लिए संकाय सदस्य उपलब्ध कराये तथा विकासशील देशों के तीन प्रतिनिधि मंडलों को केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं विभिन्न बाहरी प्रयोगशालाओं में इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के दौरे की व्यवस्था की।

ग) अवधि के दौरान भा.मा.ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने सीमेंट, केबल और पैकेजबंद पेयजल के परीक्षण क्षेत्र में उद्योगों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रयोगशाला मान्यता योजना

उत्पाद प्रमाणन योजना से निकलने वाले नमूनों के परीक्षण का कार्यभार भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक होने के कारण भा.मा.ब्यूरो ने बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एल आर एस) प्रारंभ की है। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग वहां भी किया जाता है जहां भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में आर्थिक कारणों से परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यावहारिक न हो, भा.मा.ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने इकठ्ठे हो जाएं या उपस्कर अस्थायी तौर पर काम न कर रहे हों इत्यादि। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मानक आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 : 2005 पर आधारित है और प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन हेतु अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुरूप हैं। भा.मा.ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी प्रयोगशालाएं निम्नलिखित पूर्व अर्हताएं पूरा करती हों :

- प्रयोगशाला संबद्ध क्षेत्र में एन ए बी एल द्वारा प्रत्यायित हों
- प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधाएं हों
- प्रयोगशाला भारतीय मानक के अनुसार उत्पादों के परीक्षण में सक्षम हों

period, 695 Samples were tested under Quality Assurance activities in BIS Labs. This includes the samples tested during participation in proficiency testing/ inter-lab comparison program.

Training

a) The manpower working in labs are being trained on a regular basis to abreast them of the latest developments in the international arena. A total of 13 officials from BIS labs were trained in the assaying and hallmarking and audits of assaying and hallmarking centres during the year. In addition, 07 officials were trained for IS/ISO/IEC 17025 Laboratory Quality Management System.

b) BIS Labs provided faculty for delivering lectures during the 4th International program on Laboratory Quality Management Systems held from 03 to 21 February 2014 and also facilitated the visit of International participants in three delegations from the developing countries to Central Lab and various recognized outside labs.

c) During the year, BIS Central lab also organized three training programmes for the industry in the area of testing of cement, cables and packaged drinking water.

Lab Recognition Scheme

As the volume of workload for testing of samples generated from product certification scheme is much larger than the available capacity in BIS labs, BIS has established Laboratory Recognition Scheme (LRS) for recognition of outside laboratories (OSLs). The services of such laboratories are utilized in case of availability of large number of samples over and above the capacity of BIS labs or the equipment temporarily being out of order. The services of such laboratories are also used when development of testing facilities in BIS labs is not economically viable. The scheme is based on International Standard IS/ISO/IEC 17025:2005, which is also in line with the criteria adopted by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) for accreditation of laboratories. OSLs recognized by BIS are required to fulfil following prerequisites:

- The lab shall be accredited by NABL in the respective field
- The lab shall have complete testing facilities as per relevant Indian Standard
- The lab shall have the competence to test the products as per Indian Standard

31 मार्च 2014 को 147 भा.मा.ब्यूरो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं थीं जिसमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठनों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाएं (सरकारी प्रयोगशालाएं – 62 और निजी प्रयोगशालाएं – 85) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भा.मा.ब्यूरो द्वारा जब और ऐसी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष प्रकृति की 24 सरकारी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग भी किया जाता है। अवधि के दौरान 12 नई बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई। विभिन्न कारणों से 5 प्रयोगशालाओं की मान्यता समाप्त की गई। भा.मा.ब्यूरो की आरंभ की गई पंजीकरण योजना की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 के अंतर्गत आने वाले आई टी उत्पादों (आई एस 13252)/एवी उत्पादों (आई एस 616)/माइक्रोवेव ओवन (आई एस 302–2–25)/इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों (आईएस 302–2–26) के परीक्षण के लिए 11 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई।

As on 31 March 2014, there were 147 BIS recognized labs which include reputed R and D organizations, technical institutions, Govt. labs and Private sector labs (Government labs – 62 and Private labs - 85). Besides this, services of 24 Government laboratories of specialized nature are also being utilized for different products by BIS as and when required. During the period, 12 new outside labs were recognized and 05 labs were de-recognized.To support the newly launched BIS Registration Scheme, 11 outside labs have been recognized for testing of IT products (IS 13252)/ AV products (IS 616)/microwave ovens (IS 302-2-25)/ electronic clocks (IS 302-2-26) covered under Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012.

आई-केयर

आई–केयर कार्यक्रम

उपभोक्ता गतिविधियों को अधिक केंद्रित तरीके से निपटाने एवं ज्यादा प्रभाव पैदा करने के लिए ब्यूरो मुख्यालय के उपभोक्ता मामले विभाग, प्रवर्तन विभाग, जन संपर्क विभाग एवं बिक्री विभाग से जनता एवं उपभोक्ताओं को सीधे संपर्क कराने के लिए इन्हें एक विभाग अर्थात् आई–केयर के साथ रखा गया है। यह विभाग राजीव गांधी गुणता पुरस्कार एवं विश्व मानक दिवस जैसी गतिविधियों को भी निपटाता है।

आई–केयर नीति

भा.मा.ब्यूरो अपने सभी स्टेकहोल्डरों को मानकीकरण एवं प्रमाणन के लाभ उपलब्ध कराने जिसमें उद्योग जगत, उपभोक्ता, राज्य सरकारें, अन्य सरकारी विभाग, शैक्षिक संस्थान इत्यादि शामिल हैं तथा समयबद्धता से भा.मा.ब्यूरो के उपभोक्ताओं को सेवाएं एवं संतुष्टि देने का प्रयास करता है।

मानक संवर्धन

राज्य स्तरीय समितियाँ एवं निविदा पूछताछ

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और क्रय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग और परस्पर संवाद के प्रयास किए गए। इसके साथ–साथ अखबारों में निविदाओं की जांच–पड़ताल नियमित रूप से की गई। संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे निविदाओं में आई एस आई मुहर लगे उत्पाद मांगे या आई एस आई विशिष्टियों का उल्लेख करें।

विश्व मानक दिवस

भा.मा.ब्यूरो ने 'अंतर्राष्ट्रीय मानक सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं', विषय पर 14 अक्टूबर 2013 को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया। मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) उप भोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं अध्यक्ष भा.मा.ब्यूरो द्वारा किया गया। इस विषय पर चार विशिष्ट व्याख्याताओं ने अपने तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। तकनीकी संगोष्ठियाँ भा.मा.ब्यूरो के देशभर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों में भी आयोजित की गईं।

विश्व मानक दिवस 2013
World Standards Day 2013

i-Care

i-Care PROGRAMME

To deal with consumer the related activities in a more focused manner and for creating greater impact, departments of BIS having direct interface with the public and consumers namely, Consumer Affairs Department, Enforcement Department, Public relations Department and Sales department at BIS Head Quarters have been placed under a single department, viz., I-Care. This department also handles Rajiv Gandhi National Quality Award and other important events like, World Standards Day.

i-Care POLICY

BIS endeavours to provide the benefits of standardization and certification to all stakeholders which include the Industry, Consumers, State Govts., other Govt. Departments, Educational Institutions etc. and to provide BIS services in time bound manner and to the satisfaction of BIS customers

STANDARDS PROMOTION

State Level Committees and Tender Enquires

Efforts were made to have close collaboration and interaction with Government Departments and purchase agencies through State Level Committees in order to implement and promote Indian Standards. Further, scrutiny of tenders in news papers was done regularly and organizations were requested to opt for ISI marked products or to refer Indian Standard Specifications in the tender.

World Standards Day

BIS celebrated the World Standards Day on 14 October 2013 on the theme 'International Standards Ensure Positive Change'. The Seminar organised on the occasion at HQs was inaugurated by the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Consumer Affairs, Food and Public Distribution and President, BIS. Four eminent speakers presented their technical papers on the theme. Technical seminars were organized by BIS all over the country through its ROs/BOs.

उपभोक्ता संबंधी गतिविधियां

जागरूकता कार्यक्रम

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन एवं गुणता चेतना की अवधारणा को बढ़ाने के लिए, जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित किए गए। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ऐसे 115 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उद्योग हेतु जागरूकता कार्यक्रम

लघु स्तरीय उद्योगों में मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं अन्य भा.मा.ब्यूरो गतिविधियों की अवधारणा प्रचारित करने के लिए अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के बीच उद्योग जागरूकता के लिए 28 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में व्याख्यान एवं चर्चाएं शामिल थीं। विशेष औद्योगिक सैक्टरों से संबद्ध मानकों पर औद्योगिक क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रकाश भी डाला गया।

मानक कार्यक्रमों के शैक्षिक उपयोग

भा.मा.ब्यूरो मानकीकरण की अवधारणा एवं इसके लाभों को युवाओं के दिलो दिमाग में बैठाने के लिए छात्रों, विद्यालय एवं कालेजों इत्यादि की फैकल्टी के लिए मानक कार्यक्रमों के शैक्षिक उपयोग (ई यू एस) के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मानकीकरण के सिद्धांतों एवं रीतियों से तकनीकी संस्थानों के छात्रों को परिचित कराने की आवश्यकता एवं देश के औद्योगिक विकास में मानकीकरण की महत्ता की जरूरत महसूस की जा रही है। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने ई यू एस के 25 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों (सी ए पी, ई यू एस एवं आई ए पी) की कुल संख्या
Total No. of Awareness Programs organised (CAP, EUS & IAP)

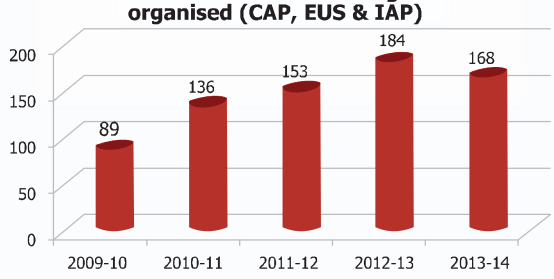

सार्वजनिक शिकायतें

भा.मा.ब्यूरो में प्रमाणित उत्पादों संबंधी उपभोक्ता शिकायतों का निपटान किया गया और प्रगति की समीक्षा की गई एवं प्रत्येक माह मॉनीटरिंग की गई। तय सीमा के भीतर शिकायतों को निपटाने के प्रयास किए गए।

सिटिजन चार्टर

सिटिजन चार्टर कार्यान्वित किया गया और प्रबंध नियंत्रण रिपोर्टों के माध्यम से प्रत्येक माह समय सीमा की मॉनीटरिंग की जा रही है

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भा.मा.ब्यूरो मानक मुहर (आई एस आई मुहर) गुणता की मुहर है। धोखेबाज विनिर्माता भा.मा.ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना अर्थात्

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

AWARENESS PROGRAMMES

Consumer Awareness Programmes

For promoting the concept of standardization, certification and quality consciousness among consumers, awareness programmes were organized on a regular basis through various ROs/BOs, sometimes in association with Consumer Organizations. During the period April 2013 to March 2014, 115 such programmes were organized by ROs/BOs throughout the country.

Industry Awareness Programmes

To propagate the concept of standardization, product certification, management systems certification and other BIS activities amongst small scale industries, 28 Industry Awareness Programmes were conducted during the period April 2013 to March 2014. The programme consisted of lectures and discussions. Standards relating to specific industrial sectors were also highlighted depending on concentration of industries in the area.

Educational Utilization of Standards Programmes

BIS is organizing Educational Utilization of Standards Programmes (EUS) for students and faculties of schools, colleges etc., to inculcate the young minds with the concepts and benefits of standardization. The need for familiarizing the students of technical institutions with the principles and practices of standardization is being increasingly felt due to the importance of standardization in industrial development of the country. During the period April 2013 to March 2014, BIS has organized 25 EUS Programmes.

Public Grievances

Consumer complaints relating to BIS certified products were taken up for Redressal and the progress was reviewed and monitored every month. Efforts were made to redress the grievances within the stipulated time frame.

Citizen Charter

Citizen's Charter has been implemented and time lines are being monitored every month through Management Control Reports.

ENFORCEMENT ACTIVITY

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a quality mark. There are unscrupulous manufacturers, who deceive consumers

आई एस आई मुहर का दुरूपयोग करके घटिया स्तर के उत्पादों पर आई एस आई मुहर लगाकर एवं उनकी मार्किटिंग करके उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं।

आई एस आई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएं भा.मा.ब्यूरो के लिए प्रमुख चिंता का विषय हैं। प्रवर्तन गतिविधियों को बल देने एवं बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक शाखा कार्यालय में नोडल प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

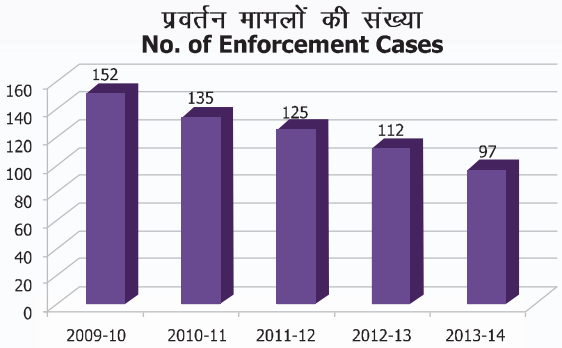

वर्ष 2013 से 2014 के दौरान आई एस आई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देशभर में 97 छापे मारे गए। इन छापों में विभिन्न नकली उत्पाद, जैसे पैकेजबंद पेयजल, पी वी सी विद्युतरोधी केबल, प्रेशर कुकर, यू पी वी सी पाइप, क्लिनिकल थर्मामीटर, ब्लीचिंग पाउडर, सबमर्सिबल पम्प सेट, इलैक्ट्रिक आयरन, हॉट एयर बलॉअर, सीलिंग पंखे, इलैक्ट्रिक स्विच, नमक, प्लाईवुड एवं इन्सुलेटिड मैट इत्यादि जब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों पर यथासमय कार्रवाई करने और न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध अभियोजन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भा.मा.ब्यूरो ने मुख्यालय तथा अन्य शाखा कार्यालयों द्वारा मारे गए प्रवर्तन छापों के बारे में व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं, ताकि आई एस आई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके। घटिया उत्पादों पर प्रयोग किए जा रहे ब्रांडनाम सहित उन्हें प्रयोग कर रहे विनिर्माताओं के नामों का उल्लेख भी इन प्रेस विज्ञप्तियों में किया गया। आई एस आई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संगठनों और निर्माता एसोसिएशनों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए विनिर्माताओं और सेवा संगठनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1991 में ब्यूरो द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार स्थापित किए गए। इन वार्षिक पुरस्कारों की तुलना यू एस के मैल्कम बाल्रिज राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार एवं यूरोपियन गुणता पुरस्कार जैसे सदृश अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से की जाती है। इन पुरस्कारों का मूल्यांकन लीडरशिप, नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यप्रणालियों, मानव संसाधन प्रबंध, संस्थानों, प्रक्रियाओं, उपभोक्ता केन्द्रित परिणामों, कर्मचारियों की संतुष्टि, व्यवसाय के परिणाम एवं पर्यावरण तथा समाज पर प्रभाव जैसे नौ मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

by producing and marketing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS i.e. misuse of ISI Mark.

The menace of misuse of ISI Mark is an area of prime concern for BIS. Nodal Enforcement Officers have been nominated in each branch office for strengthening and better coordination of enforcement activity.

During the 2013 - 2014, BIS has carried out 97 enforcement raids all over the country on the firms misusing ISI Mark. During these raids, various spurious products such as Packaged Drinking Water, PVC Insulated Cables, Pressure Cookers, UPVC Pipes, Clinical Thermometer, Bleaching Powder, Submersible Pump Sets, Electric Iron, Hot Air Blower, Ceiling Fans, Electric Switch, Salt, Plywood and Insulated Mats etc. were seized. Efforts were made for timely processing of the enforcement cases and consequent launching of prosecution against the offenders in the court of law.

Besides, BIS had also issued a number of press releases about the enforcement raids from HQs and other branch offices all over the country for giving wide coverage with the intention to create awareness among the consumers about such misuse of ISI Mark. The names of those manufacturers along with brand names which are being used by them on the spurious products were also mentioned in the press releases. Meetings were also organized with the consumer organizations and the manufacturers associations with the objective of making them aware about the misuse of the ISI Mark and also to get information about manufacturers who are misusing ISI Mark.

RAJIV GANDHI NATIONAL QUALITY AWARDS

With a view to encourage manufacturers and service organizations to strive for excellence, Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau in 1991. This annual award compares well with similar international awards such as the Malcolm Baldrige National Quality Award of US and the European Quality Award. The assessment for this award is made on the basis of nine parameters namely Leadership; Policies, Objectives and Strategies; Human Resource Management; Resources; Processes; Customer focused results; Employees' satisfaction; Business results and Impact on environment and society. For small scale organizations the assessment is carried out on the basis of six parameters.

सूचीबद्ध आर जी एन क्यू ए 2012 के आवेदक संगठनों की पड़ताल और मूल्यांकन प्रक्रिया क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों द्वारा की गई है। पुरस्कार विजेताओं एवं प्रशंसा प्रमाण–पत्रों के प्राप्तकर्ताओं के चयन का निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समिति (एन ए सी) की बैठक सचिव (सी ए) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

The fact finding and evaluation process of short listed applicant organizations for RGNQA 2012 have been completed by the Regional Evaluation Committees. The meeting of the National Awards Committee (NAC) was organized under the chairmanship of Secretary (CA) to decide the award winners and recipients of commendation certificates.

(26 अप्रैल 2013 को आयोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2011 का वितरण समारोह)
Presentation Ceremony of Rajiv Gandhi National Quality Awards 2011 held on 26 April 2013

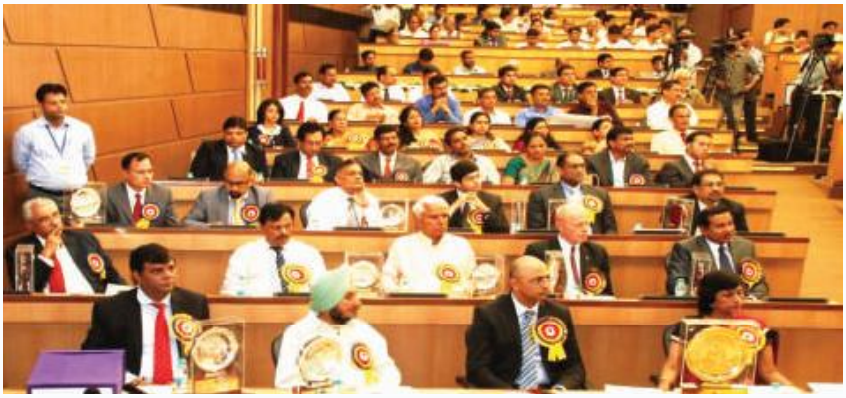

(राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2011 के पुरस्कार प्राप्तकर्ता)
Awardees of Rajiv Gandhi National Quality Awards 2011

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

भा.मा.ब्यूरो, भारत के मानक निकाय की हैसियत से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्युत–तकनीकी आयोग (आई ई सी) का एक सदस्य है। विभिन्न तकनीकी समितियों, उप–समितियों, कार्यकारी समूहों इत्यादि संबंधी सहभागी (पी) सदस्य या आब्जर्वर (ओ) सदस्य के रूप में कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रियता से भागीदार हैं। मार्च 2014, तक भा.मा.ब्यूरो आई एस ओ की 348 तकनीकी समितियों/उपसमितियों एवं आई ई सी की 70 तकनीकी समितियों/उपसमितियों एवं आई एस ओ की 278 तकनीकी समितियों/उपसमितियों तथा आई ई सी की 85 तकनीकी समितियों/उपसमितियों का 'ओ' सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में भा.मा.ब्यूरो की ऐसी भागीदारी भारतीय व्यापार एवं उद्योग के हितों की रक्षा में मदद करता है।

भा.मा.ब्यूरो इन अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति–निर्माण समितियों में सहभागिता करता है तथा भा.मा.ब्यूरो आई एस ओ की कुछ महत्वपूर्ण समितियों, जिनमें भारत के व्यापार हित जुड़े हैं, का सचिवालय धारक भी है। इसके अतिरिक्त, भा.मा. ब्यूरो मानकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन, प्रशिक्षण इत्यादि संबंधी क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रियता से शामिल हुआ। अब तक, भा.मा.ब्यूरो ने 27 भिन्न–भिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों से समझौता ज्ञापन/एम आर ए पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 17 देशों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना प्रक्रिया में हैं। भा.मा. ब्यूरो या सार्क देशों के लिए क्षेत्रीय मानकों को तैयार करने में सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है।

वैश्विक व्यापार में मानकों की बढ़ती महत्ता एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तथा यह समझकर कि भा.मा. ब्यूरो की भारतीय निर्यात/व्यापार को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका है। अतः भा.मा.ब्यूरो ने एक 'व्यापार सुविधा कक्ष' बनाया है। यह कक्ष वाणिज्य मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग से कार्य करेगा तथा यह तकनीकी विनियमों को स्थापित करने तथा प्रस्तावित तकनीकी विनियमों पर अन्य देशों द्वारा उठाई गई विशेष व्यापारिक चिंताओं से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को मदद देने के लिए परस्पर आदान–प्रदान करेगा। कक्ष मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधी उनके द्वारा सामने आ रही बॉटलनेक के लिए उद्योग एवं निर्यातक एसोसिएशनों के साथ परस्पर संवाद करने का इच्छुक भी है।

डब्ल्यू टी ओ–टी बी टी मामले

भा.मा.ब्यूरो ने डब्ल्यू टी ओ/टी बी टी पूछताछ बिंदु के रूप में अपनी गतिविधियां जारी रखीं। भा.मा.ब्यूरो ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय एवं उद्योग के साथ परस्पर संवाद से कार्य किया। राष्ट्रीय एवं अन्य देशों, दोनों के मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन पद्धतियों संबंधी सभी समुचित पृच्छाओं का उत्तर दिया।

INTERNATIONAL ACTIVITIES

BIS, in its capacity as the National Standards Body of India, is a member of International Organization for Standardization (ISO) and International Electro-technical Commission (IEC). It is actively involved in the development of International Standards by acting as Participating (P) member or Observer (O) member on various Technical Committees, Sub-Committees, Working Groups, etc. As on March 2014, BIS is a 'P' member in 348 Technical Committees/ Subcommittees of ISO and 70 Technical Committees/ Subcommittees of IEC, and an 'O' Member in 278 Technical Committees/ Subcommittees of ISO and 85 Technical Committees/ Subcommittees of IEC. Such participation by BIS in the development of International Standards helps in protecting the interest of Indian trade and industry.

BIS participates in various policy-making committees of these International Standards Bodies and holds the secretariat of some important ISO Committees dealing with subjects that are of trade interest to India. Besides, BIS is also actively involved in the Regional and Bilateral Cooperation Programmes pertaining to standardization, testing, certification, training etc. So far, BIS has signed MoUs/MRAs with National Standards Bodies of 27 different countries, and is in the process of having such an arrangement with 17 other countries. BIS has also been playing an active role in formulation of regional standards or the SAARC countries.

Keeping in view the growing importance of standards and conformity assessment procedure in global trade and understanding that BIS has a key role to play in enhancing the Indian exports/ trade, BIS has created a Trade Facilitation Cell. This Cell will work in close co-operation with the Ministry of Commerce and would interact with various Ministries to help them in establishing technical regulations and also in dealing with specific trade concerns raised by other countries on the proposed technical regulations. The Cell also seeks to interact with Industry and Exporters' Associations to address bottlenecks being faced by them relating to standards and conformity assessment procedures.

WTO-TBT Matters

BIS continued its activities as the WTO/ TBT Enquiry Point. BIS worked in close interaction with the Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest. All reasonable queries pertaining to Standards and Conformity Assessment systems, both national and of other countries were replied.

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान, भा.मा.ब्यूरो ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी की :

i) 13–16 जनवरी 2014 के दौरान नई दिल्ली में आई एस ओ/टी सी 69/एस सी 4 के तीन कार्यकारी समूहों (डब्ल्यू जी) अर्थात् डब्ल्यू जी 10, 11 एवं 12 'प्रक्रिया प्रबंधन में सांख्यांयिक पद्धतियों के अनुप्रयोग' की अंतरिम बैठकों में 15 शिष्टमण्डलों ने भाग लिया।

ii) आई एस ओ परियोजना समिति आई एस ओ/पी सी 259 की 'कोर–जीवन चक्र एवं प्रक्रियाएं' विषय पर कार्यकारी समूह आई एस ओ पी सी 259/डब्ल्यू जी 1 की बैठक हुई। भारत सहित विभिन्न देशों के 12 शिष्टमंडलों ने बैठक में भाग लिया। भारत आई एस ओ/पी सी 259 का पी–सदस्य है।

iii) भा.मा.ब्यूरो ने आई एस जी एफ (इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम) के सहयोग से बंग्लौर में 03–05 मार्च 2014 तक आई ई सी/पी सी 118 स्मार्ट ग्रिड उपयोगकर्ता अंतरापृष्ठ एवं इसके कार्यकारी समूहों की प्लेनरी बैठक की मेजबानी की। बैठक में विभिन्न देशों के सदस्यों के 21 शिष्टमंडलों ने भाग लिया।

आई एस ओ बैठकों में सहभागिता

- भा.मा.ब्यूरो के एक शिष्टमंडल ने सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) में 18–20 सितम्बर 2013 के दौरान आई एस ओ महासभा में भाग लिया। भा.मा.ब्यूरो ने 16–17 सितम्बर 2013 के दौरान आई एस ओ की बैठकों, 21 सितम्बर 2013 को आई एस ओ परिषद्, 16–17 सितम्बर 2013 के दौरान आई एस ओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टी एम बी) एवं 15 सितम्बर 2013 को पी ए एस सी बैठक में भी भाग लिया। शिष्टमंडल ने सी ई एन–सी ई एन ई एल ई सी, यूरोप, जे आई एस सी, जापान, जी ओ एस टी–आर, रूस, एस ए एस ओ, सऊदी अरब एवं सार्क देशों के सदस्य (पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल) के साथ बैठकें कीं।

- सेक्रेटरी जनरल, आई एस ओ ने 05–06 सितम्बर 2013 के दौरान भा.मा.ब्यूरो का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आई एस ओ के नवीन विकासों, आई एस ओ कार्यप्रणाली योजना एवं कापीराइटर मुद्दों पर आई एस ओ नीति के संबंध में भा.मा.ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। सेक्रेटरी जनरल, आई एस ओ के साथ एफ आई सी सी आई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन भी किया गया।

- भा.मा.ब्यूरो ने गुईलीन, चीन में 23 से 28 फरवरी 2014 तक आई एस ओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टी एम बी) बैठक एवं टी एम बी सदस्यों से संबद्ध सदस्यों ने भाग लिया।

Hosting of International Meetings

During April 2013 - March 2014, BIS hosted the following international meetings:

i) Interim meetings for the three Working Groups (WGs) namely, WG 10, 11 and 12 of ISO/TC 69/SC 4 Applications of Statistical Methods in Process Management at New Delhi during 13-16 January 2014, which was attended by 15 delegates.

ii) Meeting of the working group ISO PC 259/WG1 on 'Core – Life Cycle and Processes' of ISO Project Committee ISO/PC 259. The meeting was attended by 12 delegates from different countries including India. India is a P-member on ISO/PC 259.

(iii) BIS in association with ISGF (India Smart Grid Forum) hosted the Plenary meeting of IEC/PC118 Smart grid user interface' and its Working Groups from 03 – 05 March 2014 at Bangalore. The meeting was attended by 21 delegates from different member countries.

Participation in ISO Meetings

- A delegation of BIS attended the ISO General Assembly during 18 - 20 September 2013, at St. Petersburg (Russia). BIS also attended the meetings of ISO DEVCO during 16 - 17 September 2013 , the ISO Council on 21 September 2013, ISO Technical Management Board (TMB) during 16 - 17 September 2013 and the PASC meeting on 15 September 2013. The delegation had meetings with CEN-CENELEC, Europe; JISC, Japan; GOST-R, Russia; SASO, Saudi Arabia and members of SAARC countries (Pakistan, Sri Lanka, Nepal).

- Secretary General, ISO visited BIS during 05 - 06 September 2013, during which he addressed senior officials of BIS regarding the recent developments at ISO, the ISO Strategic Plan and the ISO policy on copyrights issues. A meeting of the Secretary General, ISO with senior officials of FICCI was also organised.

- BIS participated in the ISO Technical Management Board (TMB) meeting and related events for TMB members from 23 to 28 February 2014 at Guilin, China.

आई ई सी बैठकों में सहभागिता

भा.मा.ब्यूरो ने नई दिल्ली में 16–26 अक्टूबर 2013 के दौरान 77वीं आई ई सी महासभा (आई ई सी जी एम) 2013 आयोजित की। आई ई सी जी एम 2013 में 80 से अधिक देशों के लगभग 969 शिष्टमंडलों ने भाग लिया। आई ई सी जी एम 2013 के दौरान साईडलाईन एवं द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई एवं समझौता ज्ञापनों पर चर्चाएं कीं तथा मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी मुद्दें को अमेरिकन नेशनल स्टैण्डर्ड इंस्टिट्यूट (ए एन एस आई), केनेडियन स्टैण्डर्ड एसोसिएशन (सी एस ए), कोरियन एजेंसी फॉर टैक्नोलॉजी एवं स्टैण्डर्ड (के ए टी एस), जेपनीज स्टैण्डर्ड एसोसिएशन, स्टेट कमेटी फॉर स्टैण्डर्डडाइजेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जर्मन कमीशन फॉर इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक एंड इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजिस ऑफ डी आई एन एवं वी डी ई (डी के ई) एवं एसोसिएशन फ्रांसिस डी नार्मिलाइजेशन (ए एफ एन ओ आर) के साथ उठाए गए।

(77वीं आई ई सी महासभा – उद्घाटन समारोह)
77th IEC General Meeting - Opening ceremony

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में सहभागिता

भा.मा.ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, केन्या, दक्षिण कोरिया, बंग्लादेश, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ निकट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखा।

अप्रैल 2013–मार्च 2014 तक निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों को हस्ताक्षरित किया गया:

- दिनांक 04 मई 2013 को भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) एवं इंस्टिट्यूट ऑफ स्टैण्डर्ड एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ ईरान (आई एस आई आर आई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 14 जून 2013 को भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) एवं द इंस्टिट्यूट ऑफ सूरीनाम स्टैण्डर्ड ब्यूरो (एस एस बी) के बीच आवश्यक सूचना एवं विशेषज्ञता के परस्पर आदान–प्रदान के लक्ष्यार्थ मानकीकरण एवं अनुरूपता के मूल्यांकन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भा.मा.ब्यूरो एवं जी ओ एस टी–आर के बीच दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को मॉस्को, एशिया में सम्मिट बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
- दिनांक 25 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) एवं जेपनिज इंडस्ट्रियल स्टैण्डर्ड कमेटी (जे आई एस सी) के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

Participation in IEC Meetings

BIS organized the 77th IEC General Meeting (IEC GM) 2013 during 16 - 26 October 2013 at New Delhi. Around 969 delegates from more than 80 different countries participated in IEC GM 2013. During the IEC GM 2013, sideline and bilateral meetings were held and discussion on MoUs and issues on Standardization and Conformity Assessment took place with American National Standards Institute (ANSI), Canadian Standards Association (CSA), Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Japanese Standards Association, State Committee for Standardization of the Republic of Belarus, German Commission for Electrical, Electronic and Information Technologies of DIN and VDE (DKE) and Association Francaise de Normalisation (AFNOR).

Participation in Bilateral Co-operation Programmes

BIS continued to work towards closer bilateral co-operation with countries such as USA, Pakistan, UAE, Germany, Kenya, South Korea, Bangladesh, Russia, Iran and Saudi Arabia in close association with the Ministry of Commerce and the Ministry of External Affairs.

The following Memorandum of Understanding (MoUs) were signed during April 2013-March 2014:

- MoU between The Bureau of Indian Standards (BIS) and Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI) was signed on 04 May 2013.
- MoU between the Bureau of Indian Standards (BIS) and the Institute of Suriname Standards Bureau (SSB) was signed on 14 June 2013 to enhance and strengthen technical co-operation in the fields of standardization and conformity assessment with the aim of exchanging necessary information and expertise between the parties.
- MoU between BIS and GOST-R was signed during the summit meeting on 21 October 2013 at Moscow, Russia. The Ambassador of India for Moscow signed the MoU on behalf of BIS.
- A Memorandum of Co-operation was signed between Bureau of Indian Standards (BIS) and Japanese Industrial Standards Committee (JISC) on 25 January 2014 at New Delhi.

- दिनांक 12–13 फरवरी 2014 को मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) एवं डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल ट्रेड मैनेजमेंट एवं स्टैण्डर्ड (डी एन टी एम एस) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

भा.मा.ब्यूरो ने द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया :

- भा.मा.ब्यूरो के शिष्टमंडल ने 24–28 मई 2013 के दौरान मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु स्टैण्डर्डाईजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एवं सर्टीफिकेशन एंड एक्रीडीटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (सी एन सी ए) का दौरा किया।
- दिनांक 12 जून 2013 को कमर्शियल काउंसलर्स, ऑफिस ऑफ द कमर्शियल काउंसलर, तुर्कि एम्बेसी ने भा.मा.ब्यूरो का दौरा किया एवं टर्की की अनुरूपता, मूल्यांकन, प्रमाणन एवं गुणता अवसंरचना पर चर्चा की।
- मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन एवं उत्पाद निरापदता में सहयोग हेतु गुणता अवसंरचना पर इंडो–जर्मन ज्वाइंट कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक दिनांक 12–13 दिसम्बर 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- नई दिल्ली में 13 जनवरी 2014 को तुर्कि एम्बेसी के अधिकारियों के साथ भा.मा.ब्यूरो के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान भा.मा.ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन एवं पंजीकरण योजनाओं के संबंध में भा.मा.ब्यूरो एवं टर्किश स्टैण्डर्ड इंस्टिट्यूट (टी एस ई) के बीच समझौता ज्ञापन की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया।
- इंस्टिट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर्स (आई ई ई ई) से आठ सदस्यीय शिष्टमंडल ने दिनांक 25 फरवरी 2014 को भा.मा.ब्यूरो का दौरा किया जिसमें भा.मा. ब्यूरो एवं आई ई ई ई के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए भा.मा.ब्यूरो एवं आई ई ई ई के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने व्यक्त किया कि जल्द ही वे सभी अपेक्षित स्पष्टीकरण लेंगे तथा जल्द ही वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। बैठक में भा.मा. ब्यूरो द्वारा आई ई ई ई मानकों को अधिग्रहण करने हेतु भावी कार्यवाही पर चर्चा की गई।
- यू एन ई एस सी ए पी दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया कार्यालय ने नई दिल्ली में 11–13 मार्च 2014 तक डब्ल्यू टी ओ में अफगानिस्तान एसेशन पर चौथी तकनीकी क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की। बैठक के दौरान भा.मा.ब्यूरो की गतिविधियों तथा डब्ल्यू टी ओ–टी बी टी पृच्छा बिंदु के रूप में इसके कार्यों को शिष्टमंडल के समक्ष बताया गया तथा इन चर्चाओं के दौरान उपरोक्त मुद्दों पर उनकी पूछताछें स्पष्ट की गई।

- MoU between the Bureau of Indian Standards and Department of National Trade Measurement and Standards (DNTMS), Fiji, was signed on Mutual cooperation in the field of Standardization and Conformity Assessment during 12-13 February 2014.

BIS participated in the following important meetings regarding bilateral cooperation:

- BIS delegation visited Standardization, Administration of Peoples Republic of China and Certification and Accreditation Administration of the Peoples Republic of China (CNCA) for mutual cooperation in field of Standardization and Conformity Assessment during 24-28 May 2013.
- Commercial counselors, Office of the Commercial Counsellor, Turkish Embassy visited BIS on 12 June 2013 and held discussions with on Turkey's Conformity Assessment, Certification and Quality Infrastructure.
- The first meeting of Indo-German Joint working group on quality infrastructure for co-operation in standardization, conformity assessment and product safety was held at New Delhi during 12-13 December, 2013.
- A meeting of BIS officials was held with officials from the Turkish Embassy on 13 January 2014 at New Delhi. Deliberations on the status of MoU between BIS and Turkish Standards Institution (TSE), mandatory certification and registration schemes of BIS took place during the meeting.
- An eight member delegation from Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) visited BIS on 25 February 2014 to discuss cooperation between BIS and IEEE in the light of the proposed MoU between BIS and IEEE. Both the sides expressed that soon they get all the requisite clearances and can sign the MoU at the earliest. In the meeting, the future course of action for adoption of IEEE Standards by BIS was discussed.
- UN ESCAP South and Southwest Asia office organized the fourth technical capacity building workshop on Afghanistan accession to the WTO from 11 -13 March 2014 at New Delhi. During the meeting, activities of BIS and its working as WTO- TBT Enquiry Point were explained to the delegation and their queries with respect to the above issues were clarified during the interaction.

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों में सहभागिता

भा.मा.ब्यूरो ने निम्नलिखित क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों में भाग लिया

- 08 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में 'निर्माण उद्योग में मानकीकरण का महत्व' विषय पर एशियन भागीदारों के लिए प्रस्तुतिकरण दिए गए तथा 22 मई 2013 को होनोलूलू, यू एस ए में आयोजित पी ए एस सी की 36वीं बैठक के दौरान 'सामाजिक जरूरतों एवं मांगों को पूरा करने हेतु मानकीकरण पर बढ़ता भरोसा' विषय पर प्रस्तुतिकरण दिए गए।
- 4–6 दिसम्बर के दौरान इंडिया–ब्रॉजील साउॅथ अफ्रीका (आई बी एस ए) की तीसरी त्रिपक्षीय बैठक साउॅथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैन्डर्डस (एस ए बी एस), प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त भारतीय शिष्टमंडल की बैठक में एस ए बी एस (नेशनल स्टैन्डर्डस बॉडी ऑफ साउॅथ अफ्रीका), ए बी एन टी (नेशनल स्टैन्डर्डस बॉडी ऑफ ब्रॉजील), साउॅथ अफ्रीकन नेशनल एक्रेडिटेशॅन सिस्टम (एस ए एन ए एस), नेशनल रेगुलेटर फॉर कम्पलसरी स्पेसीफिकेशॅन (एन आर सी एस), साउॅथ अफ्रीका एंड नेशनल मेट्रॉलॉजी इंस्टिट्यूट ऑफ साउॅथ अफ्रीका (एन एम आई एस ए) के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।
- भा.मा.ब्यूरो ने ढाका बंगलादेश में दिनांक 31 मार्च, 2014–01 अप्रैल, 2014 के दौरान साउॅथ एशियन रिजनल स्टैन्डर्डस आर्गेनाइजेशन (एस ए आर एस ओ) की तकनीकी प्रबंध बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

Participation in Regional Co-operation Programmes

BIS participated in the following Regional Cooperation Programmes:

- Presentations were made for ASEAN participants on 'Importance of Standardization in the Manufacturing Industry' at New Delhi on 08 April 2013 and on 'Increasing Reliance on Standardization to address societal needs and demands' during 36th PASC meeting held at Honolulu, USA on 22 May 2013.
- The third tripartite meeting of India-Brazil-South Africa (IBSA) was held at South African Bureau of Standards (SABS), Pretoria, South Africa during 4-6 December 2013. Besides the Indian delegation the meeting was attended by members from SABS (National Standards Body of South Africa), ABNT (National Standards Body of Brazil), South African National Accreditation Systems (SANAS), National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS), South Africa and National Metrology Institute of South Africa (NMISA).
- BIS participated in the South Asian Regional Standards Organization (SARSO) Technical Management Board meeting during 31 March 2014 - 01 April 2014 at Dhaka, Bangladesh.

प्रशिक्षण सेवायें

उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः

अप्रैल 2013–मार्च, 2014 के दौरान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (NITS) ने लगभग 1.59 करोड़ का राजस्व कमाते हुए उद्योग जगत के लिए 10 लीड ऑडिटॅर पाठ्यक्रमों सहित 47 इन–हाउॅस कार्यक्रम, 29 खुले कार्यक्रम आयोजित किये।

विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण (आई टी पी) कार्यक्रम

विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई टी पी) विदेशी मामले मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किये गये।

क प्रबंध पद्धतियों पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (02–27 सितम्बर, 2013) में 18 विकासशील देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख मानकीकरण एवं गुणता आश्वासन पर 45वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (07 अक्तूबर से 29 नवम्बर, 2013) में 24 विकासशील देशों के 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या
(उद्योग, आई टी पी एवं भा मा ब्यूरो कर्मचारियों के लिए)
Total No. of Training Programs organised
(Including for Industry, ITP and for BIS employees)

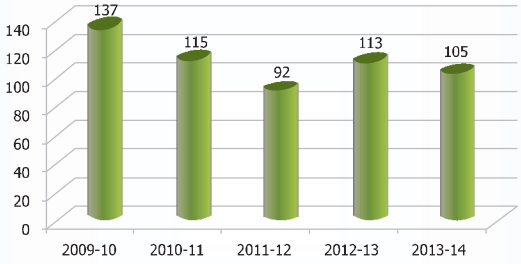

ग विकासशील देशों हेतु प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन पद्धति पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (03–21 फरवरी, 2014) में 24 विकासशील देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

TRAINING SERVICES

Training Programmes for Industry

During the period April 2013 - March 2014, National Institute of Training for Standardization (NITS) organized 47 In-house programmes, 29 Open programmes including 10 Lead Auditors courses for the industry thus generating revenue of around Rs. 1.59 crores.

International Training Programmes (ITP) for Developing Countries

The ITPs were organised with the financial support from Ministry of External Affairs, Government of India.

a. The 10th International Training Programme on Management Systems (02-27 September 2013) was attended by 28 participants from 18 developing countries.

b. The 45th International Training Programme on Standardization and Quality Assurance (07 October to 29 November 2013) which was attended by 35 participants from 24 developing countries.

c. 4th International Training Programme on Laboratory Quality Management System for developing countries (03-21 February 2014) was attended by 28 participants from 24 developing countries.

आई टी पी : एक कक्षा प्रशिक्षण सत्र,
ITP: A Class-room training session

आई टी पी : औद्योगिक दौरे पर प्रतिभागी,
ITP: Participants on Industrial visit

आई टी पी : समापन समारोह,
ITP: Valedictory Program

iii) भा.मा.ब्यूरो कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अप्रैल 2013–मार्च 2014 की अवधि के दौरान, केवल भा.मा. ब्यूरो कार्मिकों के लिए 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें निम्नलिखित शामिल थे:

क. आई.एस. 15700 के अनुसार सार्वजनिक सेवा संगठन द्वारा सेवा गुणता पर कार्यान्वयन कार्यक्रम

ख. प्रमाणन गतिविधियों में रिफ्रेशर कोर्स

ग. 'आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2008 के अनुसार जागरूकता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

घ. 'कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सुग्राही बनाने' के लिए प्रशिक्षण

ड. ए एवं एच केन्द्रों की ''हॉलमार्किंग एवं ऑडिट'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

च. 'एल.डी.सी.ई. द्वारा पी.एस./अनु.अधि. के रिक्त पद को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों' के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

छ. 'मध्य क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ज. प्रभावी संप्रेषण और प्रस्तुतिकरण दक्षता

झ. सूचना अधिकार और रिकॉर्ड प्रबंधन

इन कार्यक्रमों में लगभग भा.मा.ब्यूरो के 336 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और 23 सहभागियों को ओपन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया।

(iii) Training Programmes for BIS Employees

During the period April 2013 - March 2014, 16 programmes were exclusively organized for BIS officials, which included the following:

a. Implementation programme on 'Service Quality by Public Service Organization as per IS 15700'

b. Refresher Course in Certification Activities

c. Training Programme on 'Awareness as per IS/ISO 9001:2008'

d. Training for Sensitizing to create Awareness regarding 'sexual harassment of women's at workplace'

e. Training Programme on 'Hallmarking and Audit of A and H Centres'

f. Training Programme for 'SC/ST Candidates for filling vacant post of PS/SO through LDCE'

g. Training Programme on 'Preventive Vigilance for officers of CRO, SRO, ERO, NRO'

h. Effective Communication and Presentation Skills

i. RTI and Record Management

Around 336 BIS employees have been trained in these programmes and 23 participants were trained in the Open programmes.

सतर्कता गतिविधियाँ

भा.मा.ब्यूरो के सतर्कता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है। भा.मा.ब्यूरो मुख्यालय में सतर्कता विभाग और समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुशासनात्मक प्राधिकारी के सचिवालय (संबद्ध उप महानिदेशक) में सात सतर्कता अनुभाग हैं।

सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय विभाग के साथ निकट समन्वय से काम करता है। सतर्कता विभाग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग, डी.ओ.पी.टी. इत्यादि द्वारा निर्दिष्ट विषय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ब्यूरो में सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन का कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त इसके क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – समापन समारोह
Vigilance Awareness Week - Closing ceremony

(क) निरोधात्मक सतर्कता (अर्थात् प्रक्रियाओं को नियोजित करना, प्रशिक्षण, सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना)

(ख) दंडात्मक सतर्कता (अर्थात् प्राप्त शिकायतों की जांच, छानबीन करना, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही करना) इत्यादि

(ग) निगरानी एवं खोज (अर्थात् निरीक्षण, वार्षिक संपत्ति दाखिले की छानबीन, मानिटरिंग, समीक्षा बैठकें इत्यादि करना)

'निरोधात्मक सतर्कता' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया जिसमें भा.मा.ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। ये कार्यक्रम 26–27 फरवरी 2014 के दौरान 17 सहभागियों के लिए पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में 04–05 मार्च 2014 के दौरान 13 सहभागियों के लिए पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में 20–21 मार्च 2014 के दौरान 19 सहभागियों के लिए एन.आई.टी.एस., नोएडा में, 24–25 मार्च 2014 के दौरान 19 सहभागियों के लिए उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, मोहाली में और 27–28 मार्च 2014 के दौरान 13 सहभागियों के लिए दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई में संचालित किये गए।

वर्ष के दौरान चार अलग–अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले 04 शाखा कार्यालयों, अर्थात् बंगलोर शाखा कार्यालय, देहरादून शाखा कार्यालय, गाजियाबाद शाखा कार्यालय और भुवनेश्वर शाखा कार्यालय में निरोधात्मक सतर्कता ऑडिट संचालित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

भा.मा.ब्यूरो में 28 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सप्ताह के दौरान भा.मा.ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए बैनरों के प्रदर्शन, क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और स्लोगन लिखने की प्रतियोगिता सहित अनेक गतिविधियां संचालित की गईं। 01 नवम्बर 2013 को मानक भवन, नई दिल्ली में सप्ताह का समापन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भा.मा.ब्यूरो के देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में मनाया गया।

VIGILANCE ACTIVITIES

Vigilance set up of BIS is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) and comprises of Vigilance Department at the Headquarters and seven Vigilance Sections in the secretariat of each of the Disciplinary Authority for Ground B, C and D employees (Deputy Director General concerned).

The vigilance department functions in close co-ordination with the Central Vigilance Commission (CVC), the Central Bureau of Investigations (CBI) and the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities in the Bureau in accordance with the guidelines on the subject issued by Central Vigilance Commission, DOPT etc. This inter-alia, include activities related to:

(a) Preventive Vigilance (e.g. streamlining of procedures, training, preparation of 'agreed list' and 'list of officers of doubtful integrity' etc.)

(b) Punitive Vigilance (e.g. scrutiny of complaints received, investigations, disciplinary action against the officers at fault etc.)

(c) Surveillance and Detection (e.g. inspections, scrutiny of annual property returns, monitoring, review meetings etc.)

Training programmes on 'Preventive Vigilance' was designed covering various aspects related to vigilance matters for senior officers of BIS. These programmes were conducted during 26-27 February 2014 at WRO, Mumbai for 17 participants; 04-05 March 2014 at ERO, Kolkata for 13 participants; 20-21 March 2014 at NITS, Noida for 19 participants; 24-25 March 2014 at NRO Lab, Mohali for 19 participants and 27-28 March 2014 at SRO, Chennai for 13 participants.

Preventive vigilance audits were conducted in 04 Branch Offices namely Bangalore Branch Office, Dehradun Branch Office, Ghaziabad Branch Office and Bhubaneshwar Branch Office, falling under four different regions of BIS during the year.

VIGILANCE AWARENESS WEEK

Vigilance Awareness Week was observed in BIS from 28 October to 02 November 2013. During the Week, a number of activities, including display of banners, quiz competition, essay writing competition and slogan writing competition were conducted on the theme for employees of BIS. The closing and award ceremony of the Week was organized on 01 November 2013 at Manak Bhavan, New Delhi. The vigilance awareness week was also celebrated at various regional offices, branch offices and laboratories of BIS across the country.9

तकनीकी सूचना सेवाएं

उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी अभिकरणों को पूछताछों के उत्तर में तकनीकी सूचना सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अप्रैल 2013 –मार्च 2014 के दौरान 400 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया।

पहचान संख्या की स्पॉन्सरशिप

क) जारीकर्ता पहचान संख्या (आई.आई.एन.)

अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 7812–1 पहचान पत्र– जारीकर्ताओं की पहचान – भाग 1: संख्यांकन पद्धति अंतर्राष्ट्रीय और/अथवा अंतर–उद्योग अंतर परिवर्तन में प्रयुक्त पहचान कार्ड के जारीकर्ताओं की पहचान को विनिर्दिष्ट करता है। यह संख्या प्रमुख उद्योग तथा कार्ड जारीकर्ता की पहचान करती है। बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों का समर्थन अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (ए.बी.ए) को करके भा.मा.ब्यूरो आई.एस.ओ. 7812–1 (ई) के अनुसार आई.आई.एन. जारी करने में सुविधा देता है। अवधि के दौरान 02 जारीकर्ता पहचान संख्या जारी की गईं।

(ख) विश्व विनिर्माण पहचानकर्ता (डब्ल्यू.एम.आई.) जारी करना

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एस.ए.ई.), यू.एस.ए. के साथ समन्वय में भा.मा.ब्यूरो भारत में आटोमोबाइल विनिर्माताओं और निर्यातकों को आई.एस.ओ. 3780:1983 सड़क के वाहन– विश्व विनिर्माता पहचानकर्ता (कोड) जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। वर्ष के दौरान डब्ल्यू. एम.आई. कोड आबंटन के लिए आठ (8) आवेदनों पर डबलू. एम.आई. कार्यवाही की गई।

(ग) डी जी एफ़ टी अधिसूचना सं. 44 (आर ई–2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डी.जी.एफ.टी. के निर्देशानुसार विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पहले भा.मा.ब्यूरो प्रमाणन लेना अनिवार्य है। यदि कोई उत्पाद इन निर्देशों के अंतर्गत आता है या नहीं, जहां तक भा.मा.ब्यूरो के मानकों का संबंध है, के बारे में स्पष्टीकरण भा.मा.ब्यूरो द्वारा ही जारी किए जाएंगे। ये स्पष्टीकरण सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होंगे। मार्च 2014 को वर्तमान में 92 उत्पाद इन निर्देशों के दायरे में आते हैं। वर्ष के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों के लिए ऐसे 55 मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किए।

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provides Technical Information Services to industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. More than 400 such enquiries were responded during the period April 2013 – March 2014.

Sponsorship of Identification Numbers

(a) Issuer Identification Number (IIN)

The International Standard ISO/IEC 7812-1 Identification Cards - Identification of issuers - Part 1: Numbering system specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in International and/ or inter-industry interchange. It identifies the major industry and the card issuer. BIS facilitates issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). 02 Issuer Identification numbers have been issued during the period.

(b) World Manufacturer Identifier (WMI) number

In co-ordination with the Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS issues WMI Codes as per ISO 3780: 1983 Road Vehicles - World Manufacturer Identifier (Code) to automobile manufacturers and exporters in India. 08 applications were processed for the allotment of WMI Code during the period.

(c) Technical Clarifications on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

As per instructions by DGFT, BIS certification is mandatory for various products before they enter Indian market. Clarifications on whether a product is covered within the instructions or not, in so far as BIS standards are concerned, would only be issued by BIS and such clarifications shall be binding on all concerned. As on March 2014 present, 92 products fall within the ambit of instructions. BIS issued 55 clarifications during the year on different products.

पुस्तकालय सेवाएं

भा.मा.ब्यूरो का तकनीकी पुस्तकालय मानकों एवं संबद्ध विषयों पर जानकारी का राष्ट्रीय स्रोत है और उद्योग, व्यापार, सरकार, अनुसंधानकर्ताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करता है। 1000 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया में फैला यह पुस्तकालय आज दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके संग्रह में पूरे विश्व के लगभग 6 लाख मानक और 70,000 तकनीकी पुस्तकें हैं। ब्यूरो के पुस्तकालय पद्धति में मुख्यालय और मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई के चार क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तकालय शामिल हैं। वर्ष के दौरान 3047 आगंतुकों को संदर्भ सेवाएं प्रदान की गईं। तकनीकी समितियों के सदस्यों की विशेष मांग पर 04 विस्तृत विषयों के संदर्भ ग्रंथ तैयार करके और उनकी पसंद की संदर्भ सामग्रियां उन्हें उपलब्ध कराई गई। संदर्भ इकाई मानक निर्धारण विभागों को संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना उनकी पूरी सहायता करता है। इसने व्यापार और उद्योग से जब भी कभी प्राप्त होने वाली छोटी–बड़ी पूछताछ इत्यादि का उत्तर देकर उनकी सहायता की। पुस्तकालय 'मानकसंदर्भिका' के अन्तर्गत इसमें प्राप्त मानकों के यंत्रीकृत डाटाबेस को अद्यतन करने का रखरखाव करता है जिसके अन्तर्गत 1578 मानक प्राप्त हुए और उन्हें कूटबद्ध किया गया।

LIBRARY SERVICES

BIS technical Library is a national resource centre for information on standards and related matters and meets the need of industry, trade, government, researchers and consumers alike. It is today the largest library for standards in the South Asian Region, covering a floor area of 1000 square meters. The collection includes about 06 lakh standards from all over the world and 70,000 technical books. The Bureau's library system comprises the Headquarters Library (New Delhi) and four Regional Offices Libraries at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai. Reference services were provided to 3047 visitors. On specific demand from the members of the Technical Committees, 04 exhaustive subject bibliographies were prepared and the reference materials of their choice was made available. The reference unit has fully supported the standards formulating departments by providing the bibliographies. It has assisted the Indian Trade and Industry by answering 2304 long and short range queries as and when received from them. The Library maintains the updation of mechanized database of standards received in the library under the title 'Manaksandarbhika', under which 1578 standards were received and codified.

बारहवीं योजनागत परियोजना

भा.मा.ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दो केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

स्वर्ण हॉलमार्किंग

हॉलमार्किंग की इस योजना का प्रचालन 10वीं योजना से किया जा रहा है तथा 12वीं योजना में भी उन्हीं मुख्य घटकों सहित जारी रखा गया है, जो निम्नलिखित हैं :

क) अवसंरचना निर्माण – एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना करना

ख) क्षमता निर्माण –

i) शिल्पकारों को प्रशिक्षण

ii) प्रशिक्षकों (भा.मा.ब्यूरो आडिटरों) को प्रशिक्षण

iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

2013–14 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने इस योजना के अन्तर्गत रू.161 लाख प्राप्त किये और रू. 156.13 लाख खर्च किये। 09 शिल्पकार कार्यक्रम, 05 एसेइंग व हॉलमार्किंग कार्मिक कार्यक्रम व भा.मा.ब्यूरो प्रशिक्षण 01 प्रशिक्षक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता से 07 एसेइंग व हॉलमार्किंग केन्द्र स्थापित किए गए।

मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धतियां

ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत प्रचालन की जा रही मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति पर योजना को निम्नलिखित घटकों के साथ जारी करने के लिए प्रस्ताव किया गया :

i) भारतीय मानकों की स्थापना/पुनरीक्षण हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

ii) भा.मा.ब्यूरो तकनीकी समिति बैठकों में भा.मा.ब्यूरो तकनीकी समिति सदस्यों की प्रतिभागिता की सघनता बढ़ाना

iii) संगोष्ठी/कार्यशाला/और प्रशिक्षण

iv) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में भा.मा.ब्यूरो कार्मिकों, तकनीकी समिति सदस्यों, अन्य कार्मिकों तथा विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/द्विपक्षीय बैठकों/प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों की सघनता बढ़ाना

v) भारत में आई.एस.ओ./आई.ई.सी. और अन्य अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/सार्क बहुपक्षीय/द्विपक्षीय बैठकों/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित करना

2013–14 के दौरान भा.मा.ब्यूरो ने इस योजना के अंतर्गत रू. 212.29 लाख खर्च किए।

XII[th] PLAN PROJECTS

BIS is implementing following two Central Sector Schemes under XII[th] Five year Plan (2012-17), as approved by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution:

Gold Hallmarking

The scheme on Hallmarking being operating since X[th] Plan and being continued in XII[th] Plan with same components as indicated below:

a) Infrastructure building- Setting up of Assaying and Hallmarking (A&H) Centres

b) Capacity building

i) Training of artisans

ii) Training of Trainers (BIS auditors)

iii) Training of personnel of assaying and hallmarking Centres

During 2013-14, BIS has received Rs. 161 lakhs under this scheme and has spent Rs. 156.13 lakhs. 09 artisan programs, 05 A and H personnel programs and 01 BIS Training on trainers program were conducted and 07 A and H centres were setup with central assistance, during the year.

National System for Standardization

The scheme on National System of Standardization operating under the XI[th] Plan was proposed to be continued with components as indicated below:

i) Research and Development projects for establishment / revision of Indian Standards

ii) Intensifying participation of BIS Technical Committee Members in BIS Technical Committee Meetings

iii) Seminars/ Workshops / and Training

iv) Intensifying participation of BIS officials, Technical Committee Members, other officials and experts in International Standardization by participation in International/ Regional/ Bilateral meetings/ Trainings

v) Organizing ISO/IEC and other International/ Regional/ SAARC Multilateral/ Bilateral Meetings/ Workshops/ Trainings in India

During 2013-14, BIS has spent Rs. 212.29 lakhs under the scheme.

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

आई.टी आधारित संरचना की संवृद्धि

अप्रैल 2013 – मार्च 2014 की अवधि के दौरान, भा.मा.ब्यूरो के अधिकतम कार्यालयों में बेंडविड्थ को बढ़ाया गया। भा.मा.ब्यूरो की वेबसाइट को भी रिवेंप किया गया।

वेबसाइट लॉगइन

भा.मा.ब्यूरो वेबसाइट पर भा.मा.ब्यूरो स्टेकहोल्डर के लिए सूचना ऑनलाइन प्राप्त करके और भुगतान इत्यादि करने के लिए सामान्य लॉगइन सुविधा सृजित की गई है।

चालान प्रिंटिंग

भा.मा.ब्यूरो से चालान को प्रिंट करने के प्रयोजन हेतु वेबसाइट सृजित की गई है तथा कार्यान्वित की गई है।

मानकों का डिजिटाइजेशन

संदर्भ अवधि के दौरान बारह विभाग परिषदों के मानकों का डिजिटाइजेशन पूर्ण किया गया।

सी.एम.एम.एस. पैकेज में सुधार

अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सी.एम.एम.एस. सोफ्टवेयर में कुछ संशोधन अर्थात् अस्थाई आवेदन मोड्यूल, रिपोर्ट जेनरेट करने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किए गए हैं। सी.एम.एम.एस. सोफ्टवेयर वेब योग्य बनाया गया, जिससे भा.मा.ब्यूरो की कुछ शाखाओं से भा.मा.ब्यूरो के बाहर 24x7 की सुविधा दी जा सके।

वेतनरोल सोफ्टवेयर

भा.मा.ब्यूरो में अप्रैल 2013 से नया वेतनरोल सोफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है। भा.मा.ब्यूरो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन इसके द्वारा तैयार की जा रही है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वेतन पर्चियां और पेंशन पर्चियां अब ऑन लाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भुगतान गेटवे

भुगतान गेट वे सुविधा विकसित की जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक की किसी शाखा पर नकद/डीडी जमा कराने के लिए भा.मा.ब्यूरो वेबसाइट के माध्यम से ऑन–लाइन रसीद–बैंक चालान के लिए भुगतान गेट वे शुरू किया गया। नेट बैंकिंग माध्यम से पार्टी द्वारा भुगतान कार्यान्वयन की अवस्था में है।

फाइल ट्रेकिंग सोफ्टवेयर

फाइलों की गतिविधि, फाइलों का लंबित होना इत्यादि को ट्रेक करने के लिए इन–हाउस सोफ्टवेयर विकसित किया गया है। जब कभी अपेक्षित हो, इसमें परिवर्तन/सुधार किए जा रहे हैं।

प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सोफ्टवेयर

प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए तथा प्रबंधन द्वारा मानीटरी के प्रयोजन सहित नया इन–हाउस प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट सोफ्टवेयर विकसित किया गया है।

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Enrichment of IT infrastructure

During the period April 2013 - March 2014, the bandwidth in most of the BIS offices was enhanced. The BIS website has also been revamped.

Website Login

A common login facility has been created on the BIS website for BIS stakeholders to access information online, make payments etc.

Challan Printing

Provision for printing challan from BIS website has been created and implemented.

Digitization of Standards

During the reference period, digitization of standards of twelve divisional councils has been completed.

Improvements in CMMS Package

In order to resolve the problems faced by officers, few modifications have been made in CMMS software i.e. in temporary application module, report generation and fee module based on the feedback received from ROs/BOs. The CMMS software has also been made web enabled, thereby facilitating access 24X7 from outside BIS for certain branches.

Payroll Software

The new payroll software has been implemented in BIS w.e.f. April 2013. Salary and Pension of BIS employees are being processed through it. Payslips as well as pension slips are now being made available to employees and pensioners online.

Payment Gateway

A payment gateway facility is being developed. The payment gateway for on-line Receipts - bank challan through BIS website was introduced for depositing of Cash/DD at any branch of Bank of India and Syndicate Bank. The payment by parties through net banking is under implementation stage.

File Tracking Software

Software to track the movement of files, pendency of files etc. has been developed in house. Additions/ improvements are being done as and when required.

Test Report Software

A new lab test report software with the provisions for uploading test reports by Labs and monitoring by management has been developed in house.

मोबाइल अनुप्रयोग

उत्पाद प्रमाणन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की गयी है। इसे भा.मा.ब्यूरो वेबसाइट पर इस तरह उपलब्ध कराया गया है ताकि कोई स्टेकहोल्डर अपने मोबाइल पर इसे डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकता/सकती है।

ई–प्रापण

भा.मा.ब्यूरो में चरणबद्ध तरीके से केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से ई–प्रापण का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और मानकीकरण तथा प्रशासन विभागों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों के लिए एन.आई.सी. में ई–प्रापण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के उपरांत, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

Mobile Application

A mobile application for accessing information pertaining to product certification has been developed. It is made available on the BIS website such that any stakeholder can download and use it through his/her mobile.

E-Procurement

E-procurement through the Central Public Procurement Portal is being implemented in BIS in a phased manner. Digital signatures have been obtained for Central Lab, National Institute for Training and Standardization and Administration Departments. A training programme has also been conducted for the concerned officers at NIC for e-procurement. A training program would be conducted for concerned officers from ROs/BOs after obtaining required information.

परियोजना प्रबंधन और कार्य

2013–14 के दौरान भा.मा.ब्यूरो के नये भवनों के निर्माण सहित मुख्य परियोजनाओं की प्रगति निम्नलिखित है:

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ भवन

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का भवन जिसमें बेसमेंट और 2 तल शामिल हैं तथा 4492.43 वर्ग मीटर के आकार के प्लाट पर है, जिसे संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ से प्राप्त किया गया है। इसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य भवन की संरचना कार्य (आर.सी.सी), विद्युत वायरिंग और सबस्टेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य (अर्थात् पानी आपूर्ति, मल–जल व्यवस्था, स्टोर्म पानी की निकासी) वायु प्रशीतन और अग्नि शमन सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

राजकोट कार्यालय भवन

नये राजकोट शाखा कार्यालय का भवन, जिसमें बेसमेंट और 3 तल शामिल हैं तथा यह 861.5 वर्ग मीटर के आकार के प्लाट पर है जिसे राजकोट नगर पालिका निगम से प्राप्त किया। इसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब दूसरे तल के कॉलम निर्माणाधीन हैं।

राजकोट कार्यालय भवन निर्माण स्थल
Rajkot office building construction site

जम्मू कार्यालय भवन

बारी ब्रहमा जम्मू में भा. मा.ब्यूरो जम्मू कार्यालय का भवन, जिसमें बिना बेसमेंट के 2 तल हैं तथा यह 2094.35 वर्ग मीटर के आकार के प्लॉट पर है जिसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त किया गया है। इसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। आर.सी.सी. संरचना और ग्राउंड तल की भीतरी दीवारों का निर्माण पूर्णता के निकट है।

हैदराबाद कार्यालय भवन

नये हैदराबाद शाखा कार्यालय के भवन में 2023.5 वर्ग मीटर के आकार के प्लॉट पर बेसमेंट और तीन तल हैं जिसे आंध्र प्रदेश औद्योगिक इंफास्ट्रक्चर निगम से रंगा रेड्डी के जिले, आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास पार्क

हैदराबाद कार्यालय भवन निर्माण स्थल
Hyderabad office building construction site

PROJECT MANAGEMENT AND WORKS

The progress of major projects including construction of new buildings of BIS during 2013-14 is as follows:

Northern Region Office, Chandigarh Building

The construction of Northern Regional Office Building comprising of a basement and 2 floors on a plot measuring 4492.43 m^2 procured from the Union Territory Administration at Chandigarh is being executed through CPWD. The structural work (R.C.C) for main building, electrical wiring and substation has been completed. The other works relating to public health (i.e water supply, sewerage, storm water drains), air conditioning and fire fighting services are in progress.

Rajkot Office Building

The construction of new Rajkot Branch Office building comprising of a basement and 3 floors on a plot measuring 861.5 m^2 acquired from Rajkot Municipal Corporation is under execution through CPWD. Second floor columns are now under construction.

Jammu Office Building

The construction of BIS Jammu Office Building comprising of 2 floors without basement at Bari Brahma, Jammu on a plot of size 2094.35 m^2 acquired from J&K State Industrial Development Corporation is being executed through CPWD. The work of construction is in progress. Construction of RCC structure and internal walls of ground floor is nearing completion.

Hyderabad Office Building

The construction of new Hyderabad Branch Office building comprising of basement and three floors on a plot measuring 2023.5 m^2 procured from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation at

से प्राप्त किया है। इसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बेसमेंट और आर.सी.सी. संरचना पूर्ण कर दी गई है और भूतल पर कार्य प्रगति पर है।

भा.मा.ब्यूरो मुख्यालय में सेन्ट्रल वातानुकूलन और विद्युत एवं रखरखाव सेवाओं का उन्नयनः

भा.मा.ब्यूरो मुख्यालय के दोनों भवनों में वातानुकूलन और विद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं के उन्नयन से संबंधित परियोजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरी की जा रही है। सेंट्रल एसी चिलर संयंत्र और एयर हैंडलिंग इकाइयों का संस्थापन पूर्ण कर लिया गया है, डक्टिंग संस्थापना भी 70% पूर्ण कर दी गई है। दोनों भवनों में नई वायरिंग और विद्युत बिन्दुओं को चालू कर दिया गया है। मानकालय भवन में आंशिक रूप से नई लेन का प्रचालन कर दिया है। फाल्स सीलिंग का संस्थापन किया जा रहा है।

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला भवन का नवीकरण

मोहाली स्थित उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के भवन की क्षय हुई स्थिति को देखते हुए भा.मा.ब्यूरो नवीकरण संबंधी परियोजना ने प्रारंभ की। भवन की संरचना मजबूत करने के लिए यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सुपुर्द किया गया। योजनागत कार्य पूर्णता के निकट है।

नये शाखा कार्यालय

गुवाहाटी शाखा कार्यालय

गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने जनवरी 2014 से हाउसफेड बिल्डिंग काम्प्लेक्स, बेलतोला, दिसपुर में भा.मा.ब्यूरो के स्वामित्व वाले परिसर से प्रचालन शुरू कर दिया है।

रायपुर शाखा कार्यालय

रायपुर शाखा कार्यालय ने जनवरी 2014 से रायपुर विकास प्राधिकरण काम्प्लेक्स, रायपुर से किराये के नये परिसर से प्रचालन शुरू कर दिया है।

अर्जित की गई भूमि

कोच्ची शाखा कार्यालय

ई.ई.सी. मार्केट, मराडु, कोच्ची में केरल सरकार द्वारा 0.3 एकड़ के आकार की भूमि का प्लॉट भा.मा.ब्यूरो को आबंटित किया गया है।

Industrial Development Park at Ranga Reddy District, A.P. is being executed through CPWD. Basement RCC structure has been completed and work is in progress on ground floor.

Central Air-conditioning and Up-gradation of Electrical and Maintenance Services at BIS HQs:

Project related to Air Conditioning and up-gradation of Electrical and Mechanical services at both the buildings at BIS Head Quarters (New Delhi) is under execution through CPWD. Installation of central AC chiller plant and Air Handling Units has been completed, ducting installation is also 70% completed. New wiring and electrical points have been made operational in both buildings. New LAN has been made partially operational in Manakalaya building. Installation of false ceiling is being done.

Renovation of Northern Region Office Laboratory Building

A project related to Renovation of Northern Regional Office Laboratory Building at Mohali was taken up by BIS due to deteriorating condition of the building. This work was entrusted to CPWD for structural strengthening of the building. The planned works are nearing completion.

New Branch Offices

Guwahati Branch Office

Guwahati Branch Office has started operating from BIS owned premises in HOUSEFED Building Complex, Beltola, Dispur since January 2014.

Raipur Branch Office

Raipur Branch Office has started operating from its new rented premises at Raipur Development Authority Complex, Raipur since January 2014.

Land Acquired

Kochi Branch Office

A plot of land measuring 0.3 acres has been allotted to BIS at EEC Market, Maradu, Kochi by the Govt. of Kerala.

मानव संसाधन विकास

वैज्ञानिकों की भर्ती

सीधी भर्ती द्वारा वैज्ञानिक–बी के पद के लिए 76 वैज्ञानिकों की भर्ती की गई है जबकि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से समूह ख प्रयोगशाला तकनीकी पदों से पदोन्नति द्वारा वैज्ञानिक–बी का 01 पद भर दिया गया है।

प्रशिक्षण

भा.मा.ब्यूरो ने मानव संसाधन के विकास के अपने प्रयास जारी रखे, जिसके परिणाम स्वरूप, भा.मा.ब्यूरो कार्मिकों को एन.आई.टी.एस. में इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया और भारत में समय–समय पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्ति करके भी प्रशिक्षण दिया गया।

दिनांक 31 मार्च 2014 को भा.मा.ब्यूरो में कुल 1480 व्यक्ति कार्यरत थे। वर्ष 2013–14 के दौरान भा.मा.ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों की तैनाती निम्नलिखित के अनुसार है:

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Recruitment of Scientists

76 scientists have been recruited for the post of Scientist-B by direct recruitment, whereas 01 post of Scientist-B has been filled up by promotion from Group B laboratory technical posts through the Limited Departmental Competitive Examination.

Training

BIS continues to make its efforts on development of human resource. As a part of which, BIS personnel were imparted training through in-house training programmes at NITS and also through deputation to the training programmes being organized by various agencies within India from time to time.

As on 31 March 2014, a total of 1480 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2013-14 is given below:

गतिविधि **Activity**	कार्मिकों की समूहवार तैनाती (31 मार्च 2014 को) **Group wise Deployment of Personnel (as on 31 March 2014)**		
	ए (वैज्ञानिक संवर्ग) **A (Scientific Cadre)**	ए (गैर वैज्ञानिक संवर्ग) एवं बी,सी,डी **A (Non Scientific Cadre) & B,C,D**	योग **Total**
मानक निर्धारण Standards Formulation	71	61	132
प्रमाणन Certification	306	338	644
प्रयोगशालाएं Laboratories	39	180	219
तकनीकी सहायी सेवाएं Technical Support Services	26	83	109
प्रशासन/एच.आर.डी./स्थापना Admin/ HRD/ Estt.	1	198	199
अन्य (कार्पोरेट) Others (Corporate)	12	165	177
योग Total	**455**	**1025**	**1480**

31 मार्च 2014 को समूहवार संख्या निम्नलिखित है:

As on 31 March 2014, the Group wise strength is as under:

समूह **Group**	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विक्लांग/भूतपूर्व सैनिक का प्रतिधान **Representation of SC/ST/OBC/PH/Ex Ser.**	योग **Total**
ए (वैज्ञानिक संवर्ग) A (Scientific Cadre)	146	455
ए (गैर–वैज्ञानिक संवर्ग) A (Non-Scientific cadre)	17	34
बी B	121	447
सी C	107	303
डी D	109	241
योग Total	**500**	**1480**

भा.मा.ब्यूरो के कर्मचारियों की समग्र जनशक्ति

Overall Employees Strength of BIS

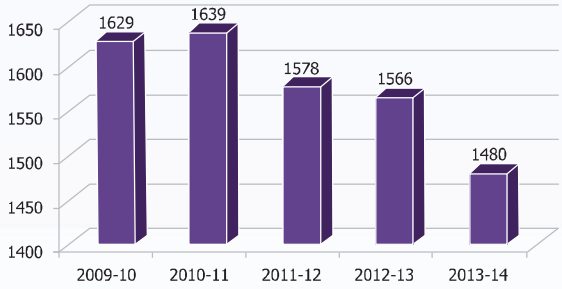

कर्मचारी कल्याण

भा.मा.ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, हॉली डे होम की सुविधा, इन–हाउस डॉक्टर की सेवाएं, कर्मचारियों के लिए सबसिडाइज रिफ्रेशमेंट कूपन, बाल छात्रवृत्ति योजना आदि जैसी कल्याणकारी सुविधाएं जारी रखी हैं। अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वर्तमान में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन निम्न हॉली–डे होम अस्तित्व में है:

क) भा.मा.ब्यूरो मुख्यालय – शिमला

ख) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – पुरी

ग) दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय – कोडईकनाल

घ) पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय – लोनावाला

रिकॉर्ड रूम

रिकार्ड को सुरक्षित रखने तथा बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से भा.मा.ब्यूरो (मुख्यालय) में केन्द्रीय रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किया गया है। भा.मा.ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में ऐसे ही रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं।

कार्य स्थान पर कार्य करने वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न

(निरोधक, निषेध और शिकायत निवारण)

माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य के विरूद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य में बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों का अनुसरण करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यौन उत्पीड़न समिति स्थापित की गई ।

भा.मा.ब्यूरो में 15 अक्टूबर 2013 को उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समिति का पुनः गठन 2 वर्ष के लिए किया गया। मुख्यालय–नई दिल्ली की नव गठित आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) के गठन में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी को अध्यक्ष और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक महिला संघ (ऐडवा), नई दिल्ली का एक सदस्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई और चंडीगढ़ के सभी चार क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में भी आंतरिक शिकायत समिति गठित कर दी गई है।

Staff Welfare

BIS continued with its welfare measures for its employees, i.e., Group Insurance Scheme, facility of holiday homes, in-house Services of a Doctor, subsidised refreshment for employees, Children Scholarship Scheme etc. Presently, the following holiday homes are functional under Headquarters and Regional Offices:

a) BIS HQ – Shimla

b) ERO – Puri

c) SRO – Kodaikanal

d) WRO – Lonavala

Record Room

With the aim to preserve and for better management of the records, a Central Record Room has been established at BIS Headquarters (HQs). Similar Record rooms are being established in all Regional and Branch Offices of BIS.

SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE

(Prevention, Prohibition and Redressal)

Following the guidelines and norms laid by the Hon'ble Supreme Court of India in Vishaka and Others v/s State of Rajasthan and Others, the Sexual Harassment Committee was set up in the Bureau of Indian Standards.

The Committee at BIS, Headquarters has been re-constituted under Section 4 of the aforesaid Act on 15 October 2013 for tenure of two years. The composition of the newly constituted Internal Complaints Committee (ICC), HQ-New Delhi consists of a senior level women employee as Presiding Officer and one of the members from All India Democratic Women's Association (AIDWA), New Delhi. In addition, ICCs have also been constituted in all four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chennai and Chandigarh and Central Laboratory, Sahibabad.

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगातार पच्चीसवें वर्ष अर्थात् 2013–14 में भी भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यूरो) अपनी व्यय और देयताएं स्वयं पूरी करके आत्मनिर्भर बना रहा। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल आय (निवेश से आय को छोड़कर) रू 31443.12 लाख थी जबकि गत वर्ष यह रू 28017.48 लाख थी, जिसके परिणामस्वरूप 12.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें भा.मा.ब्यूरो पंजीकरण योजना से प्राप्त आय भी शामिल है। इस आय में सबसे बड़ा हिस्सा आईएसआई प्रमाणन मुहर शुल्क का था, जो गत वर्ष के रू 24695.09 लाख की तुलना में रू 27949.15 लाख रहा अर्थात् इसमें 13.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013–14 के दौरान कुल राजस्व खर्च रू 18656.30 लाख हुआ, जबकि 2012–13 के दौरान यह रू 17838.12 लाख था और इसमें 4.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2013–14 के दौरान आय और व्यय का वर्ष 2012–13 के साथ तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty Fifth consecutive year i.e. 2013-14, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2013-14 was Rs. 31443.12 lakh against Rs.28017.48 lakh in the previous year resulting in an increase of 12.23%, which includes income from the BIS Registration Scheme. The largest contribution to the income was from ISI Certification Marking Fee which stood at Rs.27949.15 lakh against Rs. 24695.09 lakh in the previous year i.e. an increase of 13.18%. The total revenue expenditure during the year 2013-14 stood at Rs.18656.30 lakh as against Rs. 17838.12 lakh in 2012-13 registering an increase of 4.59%.

A Comparative Statement of Income and Expenditure during the year 2013-14 vis-a-vis 2012-13 is as under:

(₹ लाख में) (₹ in lakh)

		2013-14	2012-13	वृद्धि / गिरावट (-) (%) Increase/ decrease (-) (%)
	आय INCOME			
1	बिक्री / सेवाओं से आय Income from Services	29748.73	26521.16	12.17
2	शुल्क / अंशदान Fees/Subscription	197.14	175.62	12.25
3	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty, Publications etc.	1233.61	1140.43	08.17
4	अन्य आय Other Income	263.64	180.27	46.25
	उप–योग Sub Total	31443.12	28017.48	12.23
5	निवेशों से आय Income from Investment	1001.96	1781.85	
	योग TOTAL	32445.08	29799.33	
	व्यय EXPENDITURE			
1	स्थापना व्यय Establishment Expenses	12189.30	11769.74	22.37
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc.	6139.75	5703.97	07.64
3	मूल्यह्रास Depreciation	327.25	364.41	-10.20
	उप–योग Sub Total	**18656.30**	**17838.12**	**04.59**
4	पेन्शन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/C			
4.1	निधि हेतु वार्षिक अंशदान Annual Contribution to the Fund	2213.13	-	
4.2	निधि में कमी के लिए अंशदान Contribution towards shortfall in the Fund	7153.96	11961.21	
	योग Total	**28023.39**	**29799.33**	
	पूंजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष Surplus carried to Capital Fund	4421.59	-	

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का पक्का चिट्ठा BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कार्पस निधि एवं देनदारियां			
CORPUS FUND AND LIABILITIES			
कार्पस/पूंजी निधि Corpus/Capital Fund	1	3,830,035,277	3,387,876,518
रिजर्व और निधियां Reserves and Surpluses		-	-
उद्दिष्ट/अक्षय निधि Earmarked/Endowment Fund	2	11,010,823,189	9,525,231,561
प्रतिभूत ऋण और उधार Secured Loans and Borrowings		-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार Unsecured Loans and Borrowings		-	-
आस्थगित क्रेडिट देनदारियां Deferred Credit Liabilities		-	-
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान Current Liabilities and Provisions	3	113,204,315	67,229,370
योग **TOTAL**		**14,954,062,781**	**12,980,337,449**
परिसम्पत्तियां ASSETS			
अचल परिसम्पत्तियां Fixed Assets	4	1,046,977,446	890,580,027
निवेश : उद्दिष्ट/अक्षय निधि से Investments-from Earmarked/Endowment Funds	5	1,241,539,674	1,236,037,825
निवेश : अन्य Investments-Others	6	-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियां ऋण, अग्रिम इत्यादि। Current Assets, Loans, Advances Etc.	7	12,665,545,661	10,853,719,597
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने तक) Miscellaneous Expenditure(to the extent not written off or adjusted)		-	-
योग **TOTAL**		**14,954,062,781**	**12,980,337,449**
सार्थक लेखा सम्बन्धी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखा पर टिप्पणियां **Contingent Liabilities and Notes on Accounts**	17		
निवेश का विवरण **Details of Investment**	18		

(सुनील सोनी)
(SUNIL SONI)
महानिदेशक
DIRECTOR GENERAL

(एच.आर. आहूजा)
(H.R. AHUJA)
उपमहानिदेशक (वित्त)
DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)

(विनोद कुमार)
(VINOD KUMAR)
निदेशक (वित्त)
DIRECTOR (FINANCE)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय INCOME			
बिक्री/सेवा से आय Income from Sales/Services	8	2,974,873,091	2,652,116,040
अनुदान/सब्सिडी Grants/Subsidies		-	-
शुल्क/अंशदान Fees/Subscriptions	9	19,714,286	17,562,373
निवेशों से आय Income from Investments	10	100,195,775	178,184,531
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय Income from Royality, Publications etc.	11	123,360,809	114,043,398
अर्जित ब्याज Interest Earned	12	1,531,411	1,530,617
अन्य आय Other Income	13	24,832,981	16,496,200
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के स्टॉक में वृद्धि Increase in stock of Finished goods and WIP		-	-
योग (ए) TOTAL (A)		**3,244,508,353**	**2,979,933,159**
व्यय EXPENDITURE			
स्थापना खर्च Establishment Expenses	14	1,440,253,195	1,176,973,599
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि Other Administrative Expenses etc.	15	613,974,968	570,397,203
अनुदान, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
ब्याज Interest		-	-
मूल्यह्रास, Depreciation	4	32,725,387	36,441,415
पैंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में कमी के प्रति अंशदान Contibution towards Shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account		715,396,044	1,196,120,942
योग (बी) TOTAL (B)		**2,802,349,594**	**2,979,933,159**
शेष अधिशेष कार्पस/पूंजी कोष में लाया गया BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**442,158,759**	**-**
सार्थक लेखा संबंधी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियां Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

(सुनील सोनी) **(SUNIL SONI)** महानिदेशक DIRECTOR GENERAL	(एच.आर. आहूजा) **(H.R. AHUJA)** उपमहानिदेशक (वित्त) DY. DIRECTOR GENERAL (FINANCE)	(विनोद कुमार) **(VINOD KUMAR)** निदेशक (वित्त) DIRECTOR (FINANCE)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 1 कार्पस/पूंजी निधि SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
वर्ष के प्रारंभ में आरंभिक शेष **Balance at the beginning of the year**	**3,387,876,518**	**3,387,876,518**
कार्पस/पूंजी निधि में अंशदान जोड़ें **Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund**		
i) मंत्रालय की पूंजीकृत परिसम्पतियों की लागत Cost of Assets capitalzied from Funds from Ministry under Plan Funds	-	-
ii) स्पाइस बोर्ड की निधियों से पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत Cost of assets capitalised from funds received from Spice Board		
योग **(i) से (ii)** **TOTAL (i) to (ii)**	----------	---------- -
जमा : आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित अधिशेष **Add: Surplus transferred from Income and Expenditure Account**	**442,158,759**	-
शेष वर्ष के अंत जैसा **BALANCE AT THE END OF THE YEAR**	**3,830,035,277**	**3,387,876,518**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनुसूची 2 – उदिदष्ट/अक्षय निधि SCHEDULE 2 - EARMARKED/ENDOWNMENT FUNDS	हालमार्किंग केन्द्रों को स्थापित करने की योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले में मंत्रालय से सहायता Assistance from MOCA under scheme for setting up of Hallmarking Centres	उपभोक्ता संरक्षण के लिए परियोजना: गुणता आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता (ग्यारहवीं योजना) Assistance from MOCA under the Project:Quality Infrastracture for consumer protection (XIth Plan)	सी.डब्ल्यू.एफ. के अंतर्गत उपभोक्ता मंत्रालय से सहायता Assistance from MOCA under C.W.F.	हितकारी निधि Benevolent Fund	सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	नई राष्ट्रीय पेंशन फंड National Pension Scheme Fund	पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता लेखा Pension/ Gratuity Liability Fund Account	योग TOTALS चालू वर्ष Current Year	 पिछला वर्ष Previous Year
(क) निधियों का आरंभिक शेष a) Opening balance of the funds	59,195	61,259,868	427,685	327,106	1,291,584,388	3,465,146	8,168,108,173	9,525,231,561	7837167477
(ख) निधियों में जमा b) Additions to the Funds:									
i) सहायता/अनुदान Assistance/Grants	16,100,000	1,900,000						18,000,000	6000000
ii) निधि खाते से किये गए निवेशों पर ब्याज से आय Income from Interest on Investments made on account of funds	216,160	26,574	5,875	16,250	106,247,466	367,690	951,586,147	1,058,466,162	834039937
iii) अन्य – जमा Other Additions								0	0
- संबद्ध निधि में अंशदान Contribution to the respective fund				826,245	191,702,604	20,369,146	221,323,366	434,221,361	216888658
- पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता निधि लेखा में कमी में अंशदान Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund A/c							715,396,044	715,396,044	1196120942
- अन्य Others		130,012						130,012	35971
योग (क + ख) TOTAL (a+b)	**16,375,355**	**63,316,454**	**433,560**	**1,169,601**	**1,589,534,458**	**24,201,982**	**10,056,413,730**	**11,751,445,140**	**10,090,252,985**
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/खर्च c) Utilization/Expenditure towards objectives of funds									
i) पूंजीगत खर्च – अचल सम्पत्तियां Capital Expendituare - Fixed Assets								0	0
ii) राजस्व खर्च Revenue Expenditure									
- कर्मचारियों/पेंशनरों को भुगतान Payments to employees/pensioners				1,000,600	215,869,131	17,303,416	469,606,145	703,779,292	558514692
- हालमार्किंग केन्द्रों को सहायता Assistance to Hallmarking Centres	15,613,483							15,613,483	6462988
- आर एंड डी परियोजना R&D Projects								0	0
- अन्य खर्च Other Expenditure		21,229,176						21,229,176	43744
कुल राजस्व खर्च Total Revenue Expenditure	15,613,483	21,229,176			215,869,131	17,303,416	469,606,145	740,621,951	565021424
योग (ग) TOTAL(c)	**15,613,483**	**21,229,176**	**0**	**1,000,600**	**215,869,131**	**17,303,416**	**469,606,145**	**740,621,951**	**565021424**
घ) उपभोक्ता मामले विभाग को सहायता वापस की d) Assistant refunded to DoCA								0	0
वर्ष के अंत में निवल शेष 31.03.2014 (क+ख+ग) को NET BALANCE AS AT THE YEAR-END 31.03.2014 (a+b-c-d)	761,872	42,087,278	433,560	169,001	1,373,665,327	6,898,566	9,586,807,585	11,010,823,189	9,525,231,561

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2014 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 3 – चालू देनदारियाँ और उपबंध SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क **A.** चालू देनदारियाँ **CURRENT LIABILITIES**		
1. सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियाँ Sundry creditors for Goods and Services		
क) अंतःदेशीय a) Inland	60,591,025	24,094,712
ख) विदेश b) Abroad	17,550,221	14,739,723
2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advances received from Customers		
क) बिक्री a) Sales	656,232	750,124
ख) प्रमाणन b) Certification	4,134,571	3,717,832
3. सांविधिक देनदारियाँ Statutory Liabilities		
अन्य – देय सेवाकर Others- Service Tax Payable	2,477,644	461,583
4. अन्य चालू देनदारियाँ Other Current Liabilities		
क) बयाना/धारणा मूल्य a) Earnest Money/Retention Money	24,350,792	21,039,079
ख) लेखा कर्मचारियों को देय b) Accounts Payable Employees	1,099,764	1,027,993
ग) गुजरात सरकार (ए.बी.ओ. बिल्डिंग लेखा) c) Govt.of Gujarat (ABO Building A/c)	2,344,066	1,398,324
योग (क) **TOTAL(A)**	**113,204,315**	**67,229,370**
ख) **B.** उपबंध **PROVISIONS**	-	-
योग (क+ख) **TOTAL(A+B)**	**113,204,315**	**67,229,370**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च, 2014 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 4 विवरण SCHEDULE-4 DESCRIPTION		सकल ब्लॉक GROSS BLOCK				मूल्यह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लॉक NET BLOCK	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation As at beginning of the year	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/ valuation at the year end	वर्ष के प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के परिवर्धन पर On Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत तक योग Total up to the Year-end	चालू वर्ष के अंत पर As at the Current year-end 2013-14	पूर्व वर्ष के अंत पर As at the Previous year-end 2012-13
क. A.	अचल परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS:										
1	भूमि – पट्टे पर LANDS-LEASE HOLD	592,133,536	1,103,150	0	593,236,686	0	0	0	0	593,236,686	592,133,536
2	भवन BUILDINGS	233,726,330	4,058,222	0	237,784,552	145,698,800	8,881,468	0	154,580,268	83,204,284	88,027,530
3	आवासीय फ्लैट RESIDENTIAL FLATS	62,296,310	0	0	62,296,310	37,066,386	1,261,496	0	38,327,882	23,968,428	25,229,924
4	संयत्र, मशीनरी और उपस्कर PLANT, MACHINARY and EQUIPMENTS	251,759,305	4,537,952	11,732,168	244,565,089	207,641,266	7,187,879	11,626,439	203,202,706	41,362,383	44,118,039
5	वाहन VEHICLES	2,760,806	669,219		3,430,025	2,360,272	164,625	0	2,524,897	905,128	400,534
6	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS and COMPUTERS	269,598,498	16,309,444	1,722,260	284,185,682	220,869,779	14,775,293	1,568,973	234,076,099	50,109,583	48,728,719
7	पुस्तकालय की पुस्तकें LIBRARY BOOKS	26,356,313	389,045		26,745,358	26,215,640	454,626	0	26,670,266	75,092	140,673
	योग (क) चालू वर्ष का TOTAL(A) OF CURRENT YEAR	1,438,631,098	27,067,032	13,454,428	1,452,243,702	639,852,143	32,725,387	13,195,412	659,382,118	792,861,584	798,778,955
	पूर्व वर्ष का योग PREVIOUS YEAR	1,427,102,954	21,689,125	10,160,980	1,438,631,099	612,602,881	36,441,415	9,192,153	639,852,143		
B.	प्रगति में पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS	91,801,072	162,314,790		254,115,862					254,115,862	91,801,072
									योग TOTAL	1,046,977,446	890,580,027

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2014 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 5 उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	280,731,741	283,494,953
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	288,747,511	245,106,577
3.	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	359,351,828	394,727,701
4.	आर.बी.आई. विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
5.	अन्य जमा – सावधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits	-	-
	योग TOTAL	**1,241,539,674**	**1,236,037,825**

प्रत्येक उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति अनुसूची 5 में दिये गये निवेश निम्नानुसार है :
The Investments given in Schedule 5 held against each earmarked/endowment fund are as under:

1.	पेंशन ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा Pension/Gratuity Liability Fund Account		
1.1	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	114,000,000	142,750,000
	योग (1) TOTAL(1)	114,000,000	142,750,000
2.	कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund of Employees		
2.1	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	280,731,741	283,494,953
2.2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	288,747,511	245,106,577
2.3	डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	245,351,828	251,977,701
2.4	आर.बी.आई. विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
2.5	अन्य जमा Other Deposits	-	-
	योग (2) TOTAL(2)	**1,127,539,674**	**1,093,287,825**
	योग (1)+(2) TOTAL(1)+(2)	**1,241,539,674**	**1,236,037,825**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 6 – निवेश – अन्य SCHEDULE 6 - INVESTMENTS-OTHERS		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1.	**निवेश – अन्य Investment - Others**	-	-
	(कार्पस/पूंजीगत निधि से सामान्य निवेश) (General Investments towards the Corpus/Capital Fund)		
	योग TOTAL	-	-

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2014 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS,LOANS AND ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. चालू परिसम्पत्तियाँ **A. CURRENT ASSETS**		
1. वस्तुसूची **Inventories:**		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान a) Laboratory apparatus and stores	423,675	1,201,813
ख) स्टेशनरी b) Stationery	2,944,770	3,495,868
ग) मरम्मत एवं रख–रखाव उपभोग्य सामग्री c) Repair and Maintenance Consumables	866,402	993,285
घ) स्वर्ण आभूषण d) Gold Jewellary	762,018	762,018
योग (1) **Total (1)**	**4,996,865**	**6,452,984**
2. फुटकर लेनदारियाँ **Sundry Debtors**		
क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	459,604	318,958
ii) अन्य others	174,765	41,922
ख) प्रमाणन b) Certification		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	1,966,746	4,341,020
ii) अन्य others	2,399,038	4,494
ग) वसूली योग्य लेखा c) Accounts Recoverable		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी)(अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.11 देखें) Accounts recoverable (employees) (See Note No. 2.11 of Sch. 17)	521,771	294,556
ii) सरकारी विभाग से वसूली योग्य (एम.ओ.एफ, एम.ई.ए. एवं एम.सी.ए.) Recoverables from Government Departments (From MOF, MEA & DoCA)	39,442,949	16,481,912
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.10 देखें) Accounts Recoverable (Others) (See Note No. 2.10 of Schedule 17)	34,803,344	17,044,293
योग (2) **Total (2)**	**79,768,217**	**38,527,155**
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित) **Cash Balance In Hand (Including Imprest)**	**718,454**	**808,615**
4. बैंक में शेषः **Bank Balances:**		
क) अनुसूचित बैंकों में a) With Schedule Banks		
i) चालू खातों में On Current Accounts	92,626,764	107,319,291
ii) बचत खातों में On Saving Accounts	39,825,858	16,619,864
4(क) (i और ii) का उप–योग Sub Total of 4(a) (i and ii)	**132,452,622**	**123,939,155**
iii) जमा खातों में (सावधि जमा) On Deposit Accounts (Fixed Deposits)		
क) निवेश–ईयरमार्क निधि A) Investment - Earmarked Funds		
I) सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	170,630,000	138,330,000
II) अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना खाता ABO Building Project A/C	1,335,022	1,300,000
III) नयी पेंशन योजना निधि खाता National Pension Scheme Fund A/C	6,898,566	3,465,146
IV) पेंशन/ग्रेच्यूटी देयता निधि खाता Pension/Gratuity Liability Fund A/c	9,472,807,585	8,025,358,173
ख) निवेश – अन्य (कार्पस/पूंजीगत निधि की और सामान्य निवेश)		
B) Investment-Others (General Investments towards Corpus/Capital Fund)	1,585,693,848	842,416,919
4(क) (iii) का उप–योग Sub Total of 4(a)(iii)	**11,237,365,021**	**9,010,870,238**
योग (4) **Total (4)**	**11,369,817,643**	**9,134,809,393**
5. चैक हस्तांतरण में **Cheques in Transit**	**0**	**0**
6. फ्रैंकिंग मशीन शेष **Franking Machine Balance**	**291,642**	**252,217**
योग (ए) **TOTAL(A)**	**11,455,592,821**	**9,180,850,364**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च, 2014 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS,LOANS AND ADVANCES ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ		
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. स्टाफ को ऋण: Advances to Staff for:		
i) वाहन खरीद के लिए Purchase of Conveyance	2,612,922	4,164,757
ii) आवास निर्माण के लिए House Building	6,600,005	9,281,808
iii)कम्प्यूटर के लिए Computer	1,338,572	1,862,547
योग (1) **TOTAL (1)**	**10,551,499**	**15,309,112**
2. **अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि**		
2. **Advances and other amounts recoverable or for value to be received**		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य		
a) On capital Account and others to outside parties		
i) परियोजना–मुख्यालय के.लो.नि.वि. (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.1(i) देखें)		
Projects - HQ CPWD(see Note No. 2.1(i) of Sch.17)	6,167,628	74,971,676
ii) क्षेत्रीय/शाखा कार्या. में भवन निर्माण. के.लो.नि.वि.		
Building Construction ROs/BOs -CPWD	50,558,764	59,644,173
iii) अन्य (क्षे.कार्या/शा.कार्या/मुख्यालय) Others(Ros/Bos/HQ)	10,628,798	25,087,496
iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एन.बी.सी.सी.) Consumer Welfare Fund(NBCC)	332,260	332,260
v) 11वीं योजना परियोजना स्कीम (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7 देखें)		
XIth Plan Project Schemes(See Note No. 2.7 of Sch. 17)	64,300,000	64,300,000
योग (2क) **TOTAL (2a)**	**131,987,450**	**224,335,605**
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय b) Prepaid Expenses	1,968,387	1,003,367
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिम : c) Advances to Staff for:		
i) त्यौहार Festival	745,565	803,830
ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural calamities	700	700
iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	2,352,524	6,354,905
iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	1,216,185	1,814,286
v) सामान्य भविष्य निधि से स्टाफ को अग्रिम Advances from GPF to Staff	9,804,624	10,588,722
योग (2ग) **TOTAL (2c)**	**14,119,598**	**19,562,443**
घ) पंजीयक – छोटे मामले न्यायालय – मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 1.3)		
d) Registrar-Small Causes Court - Mumbai(see Note No. 1.3 of Sch. 17)	18,360,598	18,360,598
ङ) प्रतिभूति जमा e) Security Deposits	4,245,151	4,417,818
योग (2) **TOTAL (2)**	**170,681,184**	**267,679,831**
3. **प्राप्त आय Income Accrued**		
क) उद्दिष्टों/अक्षय निधियाँ एवं अन्य से निवेश		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds and Others		
i) भा.मा.ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	935,606,851	1,319,939,382
ii) सामान्य भविष्य निधि GP Fund	58,409,279	43,257,067
योग (3) **TOTAL (3)**	**994,016,130**	**1,363,196,449**
4. **प्राप्ति योग्य दावे Claim Receivable**		
क) आयकर वापसी a) Income Tax Refund	32,306,859	25,205,809
ख) सेवाकर सेनवेट क्रेडिट b) Service Tax CENVET Credit	2,397,168	1,478,032
योग (4) **TOTAL (4)**	**34,704,027**	**26,683,841**
योग (ख) **TOTAL(B)**	**1,209,952,840**	**1,672,869,233**
योग (क+ख) **TOTAL(A+B)**	**12,665,545,661**	**10,853,719,597**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 8– बिकी/सेवाओं से आय SCHEDULE 8-INCOME FROM SALE/SERVICES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सेवाओं से आय Income from Services		
क) उत्पाद प्रमाणन a) Product Certification	2,794,915,243	2,469,509,274
ख) स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रमाणन b) Gold Hallmarking Certification	150,302,961	156,165,489
ग) पद्धति प्रमाणन c) Systems Certification	29,654,887	26,441,277
योग **TOTAL**	**2,974,873,091**	**2,652,116,040**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 9– शुल्क/अंशदान SCHEDULE 9-FEE/SUBSCRIPTION	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. सम्मेलन, परामर्श व प्रशिक्षण शुल्क Confrences, Consultancy and Training Fees	16,529,125	14,090,695
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क Library Membership Fee	3,098,701	3,346,500
3. स्टैन्डर्डस इंडिया जर्नल का अंशदान Subscription for Standards India Journal	86,460	125,178
योग **TOTAL**	**19,714,286**	**17,562,373**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

	ईयरमार्क निधि से निवेश Investment from Earmarked Fund		निवेश – अन्य Investment-Others	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
अनुसूची 10– निवेशों से आय SCHEDULE 10-INCOME FROM INVESTMENTS				
(निवेश से आय उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निम्नलिखित निधि में अंतरित) (Income on Invest. From Earmarked/Endowment Fund transferred to fund)				
1. ब्याज Interest	**951,953,837**	732,319,789	**98,141,731**	177,917,528
2. किराया Rent	**-**	-	**2,054,044**	267,003
योग TOTAL	**951,953,837**	732,319,789	**100,195,775**	178,184,531
(उद्दिष्ट/अक्षय निधि को अंतरित) (Transferred to Earmarked/Endowment Funds)	**951,953,837**	732,319,789		
(संदर्भ अनुसूची 2, मद ख(ii), कालम 6 एवं 7, [Refer Schedule 2, Item b(ii) - Col 6 and 7]				

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 11– रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय SCHEDULE 11-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. भारत में आई.एस.ओ. और आई.ई.सी. के प्रकाशनों की बिक्री से आय Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	46,223,614	37,127,476
2. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भा.मा.ब्यूरो प्रकाशनों की बिक्री से आय Proceeds towards Sales of BIS Publications on Electronic Media	41,846,759	41,855,177
3. भारतीय मानकों की बिक्री से आय Income from Sale of Indian Standard	33,627,067	33,528,841
4. विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्जिन Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	1,000,026	671,804
5. भारतीय मानकों के पुनरूत्पादन से रॉयल्टी Royalty from reproduction of Indian Standards	663,343	860,100
योग **TOTAL**	**123,360,809**	**114,043,398**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 12– अर्जित ब्याज SCHEDULE 12-INTEREST EARNED	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बचत खाते से On Saving Account	1,531,411	1,530,617
योग TOTAL	**1,531,411**	**1,530,617**

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 13– अन्य आय SCHEDULE 13-OTHER INCOME	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) वाहन, कम्प्यूटर व आवास गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज a) Interest from Conveyance, Computer and House Building Advances	4,879,945	3,946,763
ख) सी.जी.एच.एस. अंशदान b) CGHS Contribution	1,430,335	1,456,715
ग) स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस शुल्क c) Licence Fee Staff Quarters	437,437	340,443
घ) मुख्यालय में विविध आय d) Miscellaneous Income at HQ	4,643,885	4,300,709
ड.) क्षे.कार्या./शा.कार्या. से विविध आय e) Miscellaneous Income at RO/Bos	5,959,360	3,434,240
च) प्रयोगशालाओं में विविध आय f) Miscellaneous Income at Laboratories	7,482,019	3,017,330
योग TOTAL	**24,832,981**	**16,496,200**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 14– स्थापना व्यय SCHEDULE 14 -ESTABLISHMENT EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. वेतन और भत्ते PAY AND ALLOWANCES		
क) वेतन आदि a) Salaries and Wages	485,957,307	554,420,068
ख) भत्ते और बोनस b) Allowances and Bonus	591,379,910	521,417,027
ग) टर्मिनल छुट्टी भुनाना c) Terminal Leave Encashment	63,168,283	23,189,332
योग (1) TOTAL(1)	**1,140,505,500**	**1,099,026,427**
2. सेवा निवृत्त लाभ RETIREMENT BENEFITS		
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें) a) Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/C (See Note No. 2.2.2 of Sch. 17)	221,323,366	0
ख) नई पेंशन योजना में अंशदान b) Contribution to National Pension Scheme	10,181,890	8,180,725
ग) जी.पी.एफ. खाते में घाटा c) Deficit in GPF Account	1,309,702	1,337,185
योग (2) TOTAL(2)	**232,814,958**	**9,517,910**
3. अन्य स्टाफ लाभ OTHER STAFF BENEFITS		
क) सी.जी.एच.एस. और अन्य चिकित्सा लाभ – कर्मचारी a) CGHS and other Medical Benefits-Employees	26,055,479	27,712,513
ख) चिकित्सा लाभ – पेंशनधारी b) Medical Benefits-Pensioners	20,813,773	15,972,894
ग) स्टाफ कल्याण c) Staff Welfare	8,394,197	12,050,127
घ) छुट्टी यात्रा रियायत d) Leave Travel Concession	11,669,288	12,693,728
योग (3) TOTAL(3)	**66,932,737**	**68,429,262**
योग (1+2+3) TOTAL(1+2+3)	**1,440,253,195**	**1,176,973,599**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अनुसूची 15– अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 -OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. यात्रा व्यय TRAVELLING EXPENSES		
क) विदेश a) Overseas	206,972	12,177,848
ख) अधिकारी और स्टाफ b) Officers and Staff	50,752,233	43,810,179
ग) समिति सदस्य c) Committee Members	699,046	773,009
योग (1) **TOTAL(1)**	**51,658,251**	**56,761,036**
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे		
2. SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS.		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन		
a) International Standards Organization	27,350,663	23,213,925
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग		
b) International Electrotechnical Commission	8,556,051	6,512,020
योग (2) **TOTAL(2)**	**35,906,714**	**29,725,945**
3. उत्पाद PRODUCTION		
क) मानक a) Standards	3,641,428	7,031,098
ख) बुलेटिन b) Bulletin	573,937	628,410
योग (3) **TOTAL(3)**	**4,215,365**	**7,659,508**
4. परीक्षण TESTING		
क) परीक्षण शुल्क a) Testing Charges	102,286,518	89,882,670
ख) प्रयोगशाला अप्रिंटसों को छात्रवृत्ति b) Stipend to Lab. Apprentices	3,246,940	-
ग) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख–रखाव c) Laboratory Consumables and Repair and Maintenance of Lab. Equipment	7,453,883	6,933,744
घ) बाजार नमूने d) Market Samples	2,441,322	3,254,971
ड.) बाहरी एजेंसी के निरीक्षण प्रभार e) Inspection Charges to outside agencies	23,650,204	34,452,451
योग (4) **TOTAL(4)**	**139,078,867**	**134,523,836**
5. प्रचार **PUBLICITY**	**70,401,513**	**91,386,419**

6. कार्यालय व्यय OFFICE EXPENSES		
क) लेखन सामग्री a) Stationery	19,646,492	14,905,568
ख) डाक b) Postage	7,638,734	7,556,024
ग) दूरभाष और टेलेक्स c) Telephone and Telex	12,972,858	13,759,466
घ) भर्ती d) Recruitment	27,544,663	642,479
ङ) जलपान और मनोरंजन e) Refreshment and Entertainment	1,451,170	1,304,399
च) वर्दी f) Liveries	545,842	468,629
छ) भाड़ा और ढुलाई g) Freight and Cartage	2,425,577	2,002,235
ज) बीमा और बैंक प्रभार h) Insurance and Bank Charges	2,381,595	2,105,583
झ) विविध i) Miscellaneous	3,375,885	3,938,960
ञ) किराया और कर j) Rent and Taxes	29,331,798	28,888,489
ट) बिजली और पानी k) Electricity and Water	37,007,755	36,844,276
ठ) टैक्सी किराया प्रभार l) Taxi Hiring Charges	6,320,521	5,235,497
योग (6) TOTAL(6)	**150,642,890**	**117,651,605**
7. मरम्मत और रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
क) फर्नीचर एवं उपस्कर a) Furniture and Equipment	7,462,998	5,952,139
ख) भवन b) Building	35,828,027	24,338,268
ग) वाहन c) Vehicles	2,730,348	2,036,890
योग (7) TOTAL(7)	**46,021,373**	**32,327,297**
8. सम्मेलन, संगोष्ठियाँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम CONFERENCES, SEMINARS AND TRAINING PROGRAMME		
क) सम्मेलन/संगोष्ठियाँ a) Conferences/Seminar	13,314,723	15,890,550
ख) एन.आई.टी.एस. में प्रशिक्षण कार्यक्रम b) Training Programme in NITS	7,752,092	7,324,244
योग (8) TOTAL(8)	**21,066,815**	**23,214,794**
9. अन्य व्यय OTHER EXPENSES		
क) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन a) Electronic Data Processing	8,205,636	13,453,734
ख) पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय b) Library Subscription and Other Expenses	333,330	323,392
ग) लेखा परीक्षा शुल्क c) Audit Fees	2,418,264	1,992,430
घ) विधि प्रभार d) Legal charges	2,166,088	3,224,192
ङ) स्टॉफ प्रशिक्षण e) Staff Training	359,657	2,324,613
च) श्रम व्यय f) Labour Expenses	55,934,900	43,073,924
छ) आवास निर्माण ऋण पर ब्याज पर छूट g) Interest subsidy on House Building Loan	23,611	25,958
ज) डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.12 देखें) h) Bad Debts Written Off (See Note No.. 2.12 of Sch. 17)	7,598,495	1,268,600
झ) पूंजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल) i) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	113,549	669,966
ञ) गुणता पद्धति प्रभार j) Quality System Charges	8,811,325	7,104,215
ट) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ k) Hindi Promotional Activities	3,077,815	1,868,809
ठ) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय l) Enforcement outsourcing Expenses	154,403	360,894
ड) विनिमय दर परिवर्तन m) Exchange Rate Variation	2,588,377	164,724
ढ) सेनवेट क्रेडिट व्यय n) CENVAT Credit Expenses	3,197,730	1,291,312
योग (8) TOTAL(8)	**94,983,180**	**77,146,763**
योग (1 से 8) TOTAL(1 to 8)	**613,974,968**	**570,397,203**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2014

अनुसूची 16– विशिष्ट लेखाकरण नीतियां
SCHEDULE.16 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है, वित्तीय विवरण एतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियां

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा–जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, कागज, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर पार्ट, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा–जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. अचल परिसम्पत्तियां

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा–जोखा इन्वार्ड भाड़े, ड्यूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों/सहायता से उपार्जित अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत निधि में वर्णित संगत मूल्य पर पूंजीगत की जाती है।

4.3 नॉन–मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त अचल परिसम्पत्तियां कार्पस/पूंजीगत की जाती है।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटर्न डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्धिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSET

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/ Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/ Endowment Fund Schedule.

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूंजीगत निधि के योजक के रूप में दिखाई गई है।

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन उसकी तिथि पर लागू विनियम दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियां वर्ष के अंत में लागू विनियम दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

8.1 वेतन और भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण भुगतान, वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 एक्चुरियल मूल्यांकन पर आधारित सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन एवं वर्तमान कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की देयता पिछली सेवा को उपार्जित करके अनुसूची उद्धिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि के लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

9.2 एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में संगत केंद्रित सहित आय, और व्यय खाते में निधि के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी/देयता लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सामान्य भविष्य निधि

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transaction denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income and Expenditure Account.

8. PAY AND ALLOWANCES

The payments of Pay and Allowances and leave encashment are charged to Income and Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension of retired employees and pension and gratuity of existing employees for past service based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule - Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Based on the Actuarial Valuation Report, Annual Contribution to the Fund is provided in the Income and Expenditure Account with corresponding credit to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits and recurring pension during the year are debited to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लेखों की अनुसूची का भाग
SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2014

अनुसूची 17– लेखा संबंधी तत्काल देयताएं एवं टिप्पणियां
SCHEDULE.17 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1 तत्काल देयताएं

1.1 **भा.मा.ब्यूरो के निम्नलिखित कार्यालयों की सेवाकर संबंधी विवादित मांगे जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर**

		(राशि ₹ में)
1)	चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय	1,66,02,789
2)	मुम्बई शाखा कार्यालय	75,78,046
3)	कोच्ची शाखा कार्यालय	56,692
4)	पुणे शाखा कार्यालय	28,05,449
5)	पटना शाखा कार्यालय	1,04,568

1.2 **जयपुर तथा प्रशिक्षण संस्थान नोएडा भवन के सलाहकार एन.बी.सी.सी. ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थानः** नोएडा के लिए क्रमशः रू. 27.60 लाख और रू. 17.04 लाख के भुगतान का दावा किया है, परन्तु संविदाकार द्वारा किए गए कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूंकि एन.बी.सी.सी. द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियां अभी की जानी हैं तथा उनके साथ लेखों का निपटान कार्य प्रगति पर है। चूंकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जायेगी, इसलिए इसे 31–03–2014 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 **मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा.मा.ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतानः** यदि ब्यूरो द्वारा न्यायविधान के माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई में दायर की गई अपील (रिट याचिका सं. 7380/2006) माननीय लघुवाद अपील न्यायालय (दो सदस्यीय पीठ) मुम्बई के आदेश के विरूद्ध अनुमत नहीं होता है तो आकस्मिक देयता रू. 3,66,60,598.00 (1,83,60,598.00 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और रू. 1,83,00,000.00 बैंक गारंटी द्वारा दोनों ही पंजीयक लघुवाद न्यायालय, मुम्बई के पक्ष में) दिए जा सकते हैं। आरंभिक, माननीय लघुवाद न्यायालय, मुम्बई ने अपने दिनांक 09.09.2005 के निर्णय में मध्यवर्ती लाभ लगाया है जिसे ब्यूरो द्वारा 205 – प्रति वर्गफीट की दर से प्रति माह 3255 वर्गफीट के क्षेत्र के लिए 01.06.2000 से 30.04.2004 तक 6% प्रति वर्ष ब्याज दर से आवेदन की तिथि से अर्थात 27.02.2002 से मध्यवर्ती लाभ की पूर्ण

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 **Disputed Demands of Service Tax (excluding penalty and interest) at following offices of BIS:**

		(₹ Amount)
(i)	Chennai Regional Office	1,66,02,789
(ii)	Mumbai Regional Office	75,78,046
(iii)	Kochi Branch Office	56,692
(iv)	Pune Branch Office	28,05,449
(v)	Patna Branch Office	1,04,568

1.2 **NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA** has claimed payment of **Rs. 27.60 lakh** and **Rs. 17.04 lakh** in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2014. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarter.

1.3 **Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai:** The contingent liability of Rs. 3,66,60,598/- (Rs. 1,83,60,598/- by way of Demand Drafts and Rs. 1,83,00,000/- by way of Bank Guarantee, both in favour of Registrar Small Causes Court, Mumbai) may arise, in case the appeal filed by the Bureau in the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, (Writ Petition No. 7380/2006) against the order of the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai is not allowed. Initially, the Hon'ble Small Cause Court, Mumbai vide its judgement dated 09.09.2005 had fixed mesne profit, to be paid by BIS at the rate of 205/- per sq. feet per month for the area of 3255 sq. ft from 01.06.2000 to 30.04.2004 with interest @ 6% p.a. from the date of application, i.e. 27.02.2002 till entire amount of

राशि तक वादी को भुगतान के लिए भुगतान किया जाना न्यायालय दो सदस्यीय पीठ मुम्बई, ने दिनांक 07.09.2006 के निर्णय में, अपील को आंशिक अनुमत किया तथा प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज 6% की दर से मध्यवर्ती लाभ को कम करके रू. 5,17,545 किया है। इस संबंध में ब्यूरो को राहत दी जो ब्यूरो को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.11.2006 का न्यायविधान के कानूनीय न्यायालय, मुम्बई में रिट याचिका सं. 7380/2006 दायर की गई जो अभी लम्बित है।

रू. 1,83,60,598/– की दी गई राशि वर्तमान परीसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 7 ख (मद 2घ) के अंतर्गत रखी गयी है। यदि भा.मा.ब्यूरो की जीत होती है तो वापस प्राप्त राशि को दूसरी जगह समायोजित कर दिया जायेगा और दी गई को आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा।

1.4 **उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय एनआरओ चंडीगढ़ परिसर के संदर्भ में किराये में वृद्धि की मांग:** भा.मा.ब्यूरो एन.आर. ओ. और भवन के मालिकों के बीच लीज किराया डीड 30.04. 2009 तक वैध किराया रू. 1,58,400/– प्रतिमाह के किराये के लिए वैध थी। मालिक ने किराये में वृद्धि की मांग की तथा भा.मा.ब्यूरो को एक कानूनी नोटिस भेजा कि समझौते के अनुसार, भा.मा.ब्यूरो को कार्यालय परिसर खाली कर दें या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकित मार्केट दर से किराये का भुगतान करें। इस मामले को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मकान मालिक ने अपने दिनांक 12.12.2009 के पत्र द्वारा नेगोशिएट करके प्रतिमाह उस क्षेत्र में 01.05.2009 से प्रभावी रू. 8.00 लाख बाजार किराये की अपेक्षा रू. 5.00 लाख प्रतिमाह किराये की पेशकश की। इसलिए रू. 5.00 लाख प्रतिमाह मई 2009 से मार्च 2013 तक रू. 160.74 लाख की राशि जिसमें 1.584 लाख का अंतर है तथा मकान मालिक को देय हो सकती है, अतः यह तत्काल देयता है।

2 लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.1 **पूंजीगत वचनबद्धताएं: पूंजीगत लेखा पर ऐसी संविदा जिस पर कार्य होना शेष है और जिसका प्रावधान अग्रिमों का निवल नहीं किया गया है के मूल्य निम्नानुसार है:**

i) सी.पी.डब्ल्यू.डी. को मुख्यालय भवन की एयरकन्डीशनिंग के लिए 682.35 लाख, से अनुमानित कुल लागत रू. 1702.35 लाख सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम दिए गए अग्रिम 1020.00 लाख घटाने के बाद

ii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए रू. 442.52 लाख, (कुल अनुमानित लागत रू. 1704.01 लाख सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम दिए गए अग्रिम रू. 1261.49 लाख घटाने के बाद)

mesne profits paid to plaintiff. On the appeal filed by Bureau, the Hon'ble Appellate Court(Double Bench) of Small Causes, Mumbai vide its judgement dated 07.09.2006, partly allowed the appeal and reduced the mesne profit @ Rs. 5,17,545/- per month with 6% interest p.a. thereby giving the Bureau some relief, which was also not acceptable to the Bureau. Hence writ petition No. 7380/2006 was filed by the Bureau on 08.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai which is still pending.

The paid amount of Rs. 1,83,60,598/- has been kept under Current Assets, Loans and Advances {Schedule 7B(Item 2(d)}. In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income and Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget with the approval of Executive Committee.

1.4 **Demand for increase in rent in respect of Northern Regional Office(NRO) premises at Chandigarh:** The lease rent deed between BIS:NRO and the landlords of the building was valid upto 30.04.2009 at monthly rent of Rs. 1,58,400/- . The landlord had demanded increase in rent and issued legal notice to BIS that as per the agreement, BIS should vacate the office premises or pay market rent as assessed by CPWD. The landlord in its letter dated 12.12.2009 has offered to negotiate and charge rent of Rs. 5.00 lakh per month against the market rent of Rs. 8.00 lakh per month in that area with effect from 01.05.2009. Therefore, an amount of Rs. 201.54 lakh being the difference of 1.584 lakh and Rs. 5.00 lakh per month from May 2009 to March 2014 may become payable to the landlord, hence contingent liability.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 **Capital Commitments: The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:**

i) Rs. 682.35 lakh towards Air Conditioning of HQ Building by CPWD. (Total Estimated Cost Rs. 1702.35 lakh LESS payment made to CPWD Rs. 1020.00 lakh).

ii) Rs.442.52 lakh towards construction of Chandigarh Regional Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs. 1704.01 lakh less payment made to CPWD Rs. 1261.49 lakh).

iii) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए 331.84 लाख, कुल अनुमानित लागत रू. 498.73 लाख सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम दिए गए अग्रिम रू. 166.89 लाख घटाने के बाद

iv) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण के लिए रू. 894.24 लाख कुल अनुमानित लागत रू. 1299.24 लाख घटाये सी.पी.डब्ल्यू.डी. को किया 405.00 लाख रूपये का भुगतान।

v) 'उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एच.आर.डी. एवं क्षमता निर्माण' 11वीं योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले के विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता से सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा नोएडा के प्रशिक्षण संस्थान भवन को आधुनिक बनाने के लिए रू. 7.67 लाख अनुमानित कुल लागत रू.650.67 लाख में से सी.पी. डब्ल्यू.डी. को अग्रिम के रूप में दिए गए रू. 643.00 लाख घटाने के बाद

vi) सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, मोहाली के नवीकरण के लिए 26.46 लाख (कुल अनुमानित लागत 81.46 लाख घटायें सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया 55.00 लाख रूपये का भुगतान

vii) जम्मू कार्यालय भवन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 235.01 लाख (अनुमानित लागत 352.51 लाख रूपये घटाये सी.पी. डब्ल्यू.डी. को दिया 117.50 लाख रूपये का भुगतान।

2.2 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2 – कॉलम 7)

2.2.1 आई.सी.ए.आई. ए.एस. – 15 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए मैं के. ए. पंडित कन्सल्टेंट एवं एक्चुरिस द्वारा प्रस्तुत एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भा.मा.ब्यूरो की 31.03.2013 को कुल उपार्जित पेंशन देयता रू. 888.35 करोड़ राशि थी जो निम्नानुसार है:

iii) Rs. 331.84 lakh towards construction of Rajkot Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs.498.73 lakh less payments made to CPWD Rs. 166.89 lakh).

iv) Rs.894.24 lakh towards total estimated cost of construction of Hyderabad office building by CPWD(Total Estimated Cost Rs.1299.24 lakh less payments made to CPWD Rs. 405.00 lakh).

v) Rs. 7.67 lakh towards Modernization of Training Institute Building at Noida by CPWD from the assistance received from the Department of Consumer Affairs, Govt. of India under XIth Plan Scheme 'Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building' - (Total Estimated Cost Rs. 650.67 lakh {LESS(-)} payments made to CPWD Rs. 643.00 lakh).

vi) Rs. 26.46 lakh towards renovation of Northern Regional Office Lab, Mohali by CPWD (Total Estimated Cost Rs.81.46 lakh less payment made to CPWD Rs. 55.00 lakh).

vii) Rs. 235.01 lakh towards construction of Jammu Office Building by CPWD (Total Estimated Cost Rs.352.51 lakh less payments made to CPWD Rs. 117.50 lakh).

2.2 Pension/Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)

2.2.1 According to the Actuarial Valuation Report submitted by M/s. K. A. Pandit Consultants and Actuaries (Actuaries registered with SEBI) by following the guidelines given in AS-15 of I.C.A.I. and the guidelines of the Actuaries Society of India, the total accrued Pension Liability of BIS as on 31.03.2013 amounted to Rs. 888.35 crores as under:

क्र.सं. Sl. No.	उपार्जित देयता की मदें Accrued Liability towards:	करोड़ ₹ में ₹ in crores
1.	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित पेंशन देयता Accrued Pension Liability (for past service) of existing employees.	439.41
2.	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित ग्रेच्युटी देयता Accrued Gratuity Liability (for past service) of existing employees	50.28
3.	वर्तमान पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों के लिए उपार्जित पेंशन देयता Accrued pension liability for existing pensioners/family pensioners	398.66
	कुल Total	**888.35**
	दिनांक 31.03.2013 तक पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उपलब्ध राशि Less: Amount available in the Pension/Gratuity Liability Fund Account as on 31.03.2013	816.81
	31.03.2013 को कमी Shortfall as on 31.03.2013	**71.54**

पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उक्त कमी की दृष्टि से, **रू. 71,53,96,,044 की राशि (अर्थात् 2013–14 की कुल आय और कुल व्यय के अंतर) को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान के रूप में आय एवं व्यय लेखा से पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में जमा किया गया** (अनुसूची 2 कालम 7)

2.2.2 एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार आय (वेतन+जी+पी+डी+ए) का 25 प्रतिशत वार्षिक अंशदान भी दिया जाए तथा सक्रिय कर्मचारियों की भविष्य की सेवा पेंशन देयता और सेवा ग्रेच्युटी देयता के रूप में प्रति वर्ष आय और व्यय लेखे में प्रभारित की जानी चाहिए। इसके अनुरूप 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते' के लेखा शीर्ष के अंतर्गत आय और व्यय खाते में रू 22,13,23,366 की राशि प्रभारित की गई है (2013–14 के दौरान अनुसूची 14 –मद (2क) तथा पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लेखा शीर्ष (अनुसूची 2, कॉलम 7) में जमा की गई)।

2.2.3 उपार्जन आधार पर निवेशों पर कमाया कुल ब्याज रू. 1,05,00,95,568 है। जिसमें कार्पस/पूंजी निधि में भा.मा.ब्यूरो के पेंशन देयता लेखा, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) निधि के निवेश एवं सामान्य निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें से रू. 3,67,690 की राशि का ब्याज आबंटित किया गया है और नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) निधि खाते में जमा किया गया है। नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अभिदाताओं को, कुल अर्जित रू. 1,04,97,27,878 के शेष ब्याज को 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेख के लिए निवेश तथा कार्पस/पूंजी निधि लेखा' के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाते एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 1.4.2013 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है:

In view of the above shortfall in the Pension/Gratuity Liability Fund Account, an **amount of Rs. 71,53,96,044 has been charged to the Income and Expenditure Account for the year 2013-14 as Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account" and credited to Pension/Gratuity Liability Fund Account"** (Schedule 2 Column 7).

2.2.2 According to the Actuarial Valuation Report, an Annual Contribution of 25% of salary (Pay+GP+DA) may also be made and charged to Income and Expenditure Account every year towards the future service pension liability and future service gratuity liability of the active employees. In consonance with this, an amount of Rs.22,13,23,366 has been charged to Income and Expenditure Account under the account head 'Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund Account' [Schedule 14-Item (2a)] and credited to Account Head' Pension / Gratuity Liability Fund Account' (Schedule 2, column 7) during 2013-14.

2.2.3 The total interest earned on investments on accrual basis amounted to Rs. 1,05,00,95,568. This includes the interest on the Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C, Investment towards National Pension Scheme(NPS) Fund (in respect of employees whose PRAN Accounts are not yet opened) and the General Investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest amounting to Rs. 3,67,690 have been allocated and credited to National Pension Scheme (NPS) Fund Account. The remaining interest earnings of Rs. 1,04,97,27,878 have been apportioned between Pension/ Gratuity Liability Fund A/C and Income and Expenditure A/C in the ratio of opening balance as on 1.4.2013 in the 'Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C' and 'General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C' as under:

निधियों में निवेश **Investment towards the Funds**	1.4.2013 के निवेश पर आरंभिक शेष **Opening Balance of Investments as on 1.4.2013**	2013–14 हेतु 1.4.14 के निवेश पर आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित रू. 1,04,97,27,878 का ब्याज **Interest of Rs1,04,97,27,878 for 2013-14 apportioned in the ratio of opening balance of Investments as on 1.4.2013**
पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए {अनुसूची 5 मद 1.1 तथा अनुसूची 7क मद 4क (क)} का योग Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C {total of Schedule 5 (Item1.1) and Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(A)(IV)}	8,16,81,08,173	95,15,86,147
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश {अनुसूची 7क मद 4(क)(ख)} General Investments towards Corpus/ Capital fund A/C {Schedule 7A ,Item 4(a)(iii)(B)}	84,24,16,919	9,81,41,731
योग **Total**	**9,01,05,25,092**	**1,04,97,27,878**

तद्नुसार, रू.95,15,86,147 के अर्जित ब्याज को 'पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते' अनुसूची 2 कॉलम 7 में जमा कर दिया है तथा रू. 9,81,41,731 को शेष ब्याज आय और व्यय लेखा (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

2.2.4 वर्ष 2013–14 के दौरान पेंशन, ग्रेच्युटी तथा कम्यूटेशन के निवल भुगतानों की राशि रू. 46,96,06,145 (कुल भुगतान रू. 46,98,12,663 में से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से प्राप्त रू. 2,06,318 रूपये घटाने पर) थी। इसे पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते (अनुसूची 2 का 7) के नामे डाला गया है।

2.2.5 उक्त लेन–देन के परिणाम स्वरूप, 31.03.2014 को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में रू. 958,68,07,585 की राशि शेष है (अनुसूची 2 कालम 7)।

2.3 1.1.2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों पर लागू अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन योजना – भा.मा.ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना लागू है जो कर्मचारी रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं उन कर्मचारियों का तथा भा.मा.ब्यूरो का अंशदान मासिक आधार पर भेजा जाता है तथापि जिनका नामांकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा भा.मा.ब्यूरो का अंशदान भामाब्यूरो द्वारा निवेश किया जाता है तथा उस पर ब्याज, जो सा.भ.निधि की ब्याज दर के समान है, उनके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31.03.2014 तक भा.मा.ब्यूरो की अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में शेष राशि रू. 68,98,566 थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 भा.मा.ब्यूरो निधियों का कुल निवेश

2.4.1 भा.मा.ब्यूरो निधियों का कुल निवेश (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के लिए निवेश राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि के लिए निवेश तथा कॉपर्स पूंजीगत निधि के लिए निवेश) दिनांक 31.03.2014 को रू. 1,11,793,99,999 की राशि के थे। इसमें से रू. 68,98,566 एन.पी.ए. निधि खाता (अर्थात् एन.पी.ए. निधि की राशि के समान) अनुसूची 7 के अंतर्गत मद 4 (क) के में प्रदर्शित में आबंटित किये गये तथा रू. 9,58,68,07,585 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में निवेश (अर्थात् पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते के समान) अनुसूची 5 की मद 1.1 के अंतर्गत प्रदर्शित रू. 11,40,00,000 तथा (अनुसूची 7क की मद 4 (क) (iii) (क) (idi) iii (ख) में प्रदर्शित) रू. 9,47,28,07,585 में आवंटित किए गए। रू. 1,58,56,93,848 का शेष निवेश 'कार्पस/पूंजीगत निधि के लिए सामान्य निवेश (अनुसूची 7 (ए) के अंतर्गत मद 4(क)iii(ख) में प्रदर्शित) से संबंधित है। 31 मार्च, 2014 को कुल निवेश के विवरण अनुसूची 18 में दिए गए हैं।

Accordingly, the interest earnings of Rs. 95,15,86,147 have been credited to 'Pension/Gratuity Liability Fund Account' (Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of Rs. 9,81,41,731 appear in the Income and Expenditure Account (Refer Schedule 10).

2.2.4 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2013-14 amounted to Rs.46,96,06,145 {Gross payments Rs.46,98,12,663 minus receipts from deputationists Rs.2,06,318} This has been debited to 'Pension/Gratuity Liability Fund Account' {Schedule 2, column 7}.

2.2.5 As a result of the above transactions, the balance in the Pension/Gratuity Liability Fund A/C, as on 31.03.2014 amounts to Rs.958,68,07,585 {Schedule 2, Column 7}.

2.3 National Pension Scheme(NPS) applicable to recruits from 1.1.2004 onwards: The NPS of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004. The employees and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted on monthly basis. However the employees and BIS contribution in respect of those who are yet to be enrolled with the Regulator is kept with BIS under NPS Fund Account and is invested by BIS and the interest equal to GPF interest rate is credited to their accounts. The balance in this NPS Fund with BIS as on 31.3.2014 amounted to Rs. 68,98,566{Schedule 2, Column6}.

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 The total investments of BIS Funds (i.e. Investment against Pension/Gratuity Liability Fund A/C, Investment against NPS Fund and Investment against Corpus/Capital Fund) as on 31.3.2014 amounted to Rs. 1,11,793,99,999. Out of this, the investments of Rs.68,98,566 have been allocated to Investment towards NPS Fund Account (i.e. equal to the amount of NPS Fund) (shown under Item 4(a) (iii) (A) (III) of Schedule 7A) and Rs.9,58,68,07,585 have been allocated to Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/C (i.e. equal to the amount of Pension / Gratuity Liability Fund A/C) [Rs. 11,40,00,000 shown under Item 1.1 of Schedule 5 and Rs. 9,47,28,07,585 shown under Item 4(a)(iii)(A)(IV) of Schedule 7A]. The remaining investments of Rs. 1,58,56,93,848 pertains to 'General Investment towards Corpus/Capital Fund' (shown under Item 4(a) (iii) (B) of Schedule 7A). The details of total investments as on 31st March 2014 are given in Schedule 18.

2.4.2 यू.पी.सी.एस.एम.एफ.एल, निम्नानुसार परिपक्वता तिथियां पर ब्याज तथा मूलधन की अदायगी में चूक की है। मामले की निवेश और स्थिति का विवरण इस प्रकार है:

2.4.2 UPCSMFL defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates. The details of investment and status of the case is as under:

संस्था Institution	ब्याज की दर Rate of interest	निवेश की राशि Amt. of investment	निवेश की तिथि Date of Investment	परिपक्वता की तिथि Date of maturity	तिथि जब से ब्याज की चूक की गई Date since when interest is defaulted	कूपन दर पर चूक की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज Interest from date of default to maturity date at coupon rate
यू.पी. कॉआपरेटिव एण्ड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि.(यू.पी.सी.एस.एम.एफ.एल) U.P. Cooperative and Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)	16%	200.00	17.12.1998	30.4.2003 (33%) 30.10.2003 (33%) 30.04.2004 (34%)	1.5.2000	128.00 (4 years)

भा.मा.ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) के समक्ष मामला (पेटिशन सं. 451/2002) दायर की है, जो निर्णय के लिए लंबित है ।

BIS had filed case (Petition No. 451/2002) before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending for decision.

2.4.3 **मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम.पी. एस.आई.डी.सी.):** भा.मा.ब्यूरो ने एम.पी.एस.आई.डी.सी. बांड में नवम्बर 1999 में भा.मा.ब्यूरो निधि से रू. 300 लाख तथा भा.मा.ब्यूरो कर्मचारियों के सा.भ. निधि से रू. 45 लाख का अर्थात् कुल 345 लाख का निवेश किया था। इन बांडों पर 14.40 प्रतिशत की ब्याज दर देय थी, जो अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 मई तथा 1 नवम्बर को देय थी। भा.मा.ब्यूरो को ब्याज केवल 31.10.2001 तक प्राप्त हुआ, हालांकि वह भी देरी से मिला। 1.11.2001 से इन बांडों पर मूलधन और ब्याज असमाशोधित था। भा.मा.ब्यूरो ने मध्य प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका सं. 19/2003 तथा 2009 में एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष याचिका सं. 84/2007 दायर की। कारपोरेट मामले मंत्रालय (एम.पी.ए.) ने अपने दिनांक 19 मार्च 2012 के आदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 391 तथा 393 के अंतर्गत व्यवस्था, निपटाने तथा कम्प्रोमाइज की योजना अनुमोदित की थी, जो सभी बांड धारकों पर बाध्यकारी थी। योजना के अनुसार, भा.मा.ब्यूरो सहित, बांड धारकों को मूलधन की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाए, जो चार अर्ध–वार्षिक किश्तों में होगा, बशर्ते वाद वापस लेने का वचन पत्र दिया जाए। कार्यकारिणी समिति ने अपनी 107वीं बैठक, जो 12.07.2012 को आयोजित की गई थी, में न्यायालय में मामले को वापस लेने के वचन पत्र को अनुमोदित किया था। इस योजना के अंतर्गत भा.मा.ब्यूरो को पूरे और अग्रिम मामले 2,58,75,000 प्राप्त हो चुके हैं

2.4.3 **Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC):** BIS had made investment of Rs. 300 lakhs from BIS funds and Rs. 45 lakhs from BIS:GP Fund of Employees totaling to Rs. 345 lakhs in MPSIDC bonds in November 1999. The bonds carried interest rate of 14.40% payable half yearly i.e. on 1st May and 1st November of each year, BIS had received interest though belatedly upto 31.10.2001 only. The principal and interest on these bonds was outstanding since 1.11.2001. BIS filed Petition No. 19/2003 before Madhya Pradesh Consumer Disputes Redressal Commission(MP-SCDRC) and Petition No. 84/2007 before NCDRC In 2009. Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its order dated 19 March 2012 had approved a Scheme of Arrangement, Settlement and Compromise under section 391 and 393 of the Companies Act binding on all the bond-holders. As per the Scheme, the Bond-holders including BIS, were paid 75% of the principal amount, in four half yearly installments subject to the Undertaking of withdrawal of litigations. EC in its 107th meeting held on 12.07.2012 approved the undertaking for withdrawal of court case. BIS got Rs. 2,58,75,000 being full and final settlement under the scheme approved by MCA and the remaining amount of Rs. 86,25,000(Rs. 75,00,000 of BIS and Rs. 11,25,000

तथा शेष रू. 86,25,000 (रू. 75,00,000 भा.मा.ब्यूरो को तथा रू. 11,25,000 भा.मा.ब्यूरो सा.म.नि.) 5.02.2014 को हुई ईसी की 117वीं बैठक के अनुमोदन में लेखा पुस्तकों से बट्टे खाते (देखें अनुसूची 15 (मद 8(ज)–बट्टे खाते में डाले लेखे)।

2.5 **नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता (अनुसूची 2, कालम 3)** 31.03.2014 को उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित (रू. 3,32,260 के अग्रिम को खाते में लेने के बाद) रू. 1,01,300 राशि हो गई (अर्थात अनुसूची 2 के अनुसार रू. 4,33,560 का एन.बी.सी.सी. को समायोजित किया जाने वाला घटा कर रू. 3,32,260 है। {अनुसूची 7 (ख) मद 2(क) (iv)}

2.6 **केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजना :** भा.मा.ब्यूरो द्वारा यह योजना खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र दिनांक 8.2.2004–भा.मा.ब्यूरो, दिनांक 30.09.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृत प्रदान की थी। 2013–14 के दौरान मंत्रालय से रू. 1,61,00,000 प्राप्त हुए । 31.03.2013 को इस योजना के अंतर्गत अव्ययित अधिशेष रू. 7,61,872/– थे, जिन्हें वर्ष 2013–14 में डाल दिया गया/(अनुसूची 2, कॉलम 1)

2.7 **भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 'उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना परियोजना' के संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की योजनाएं (अनुसूची 2, कॉलम 2):**

2.7.1 खाद्य उपभोक्ता मामले एवं वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भा.मा.ब्यूरो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्राप्त निधि की स्थिति, 2013–14 में भा.मा.ब्यूरो द्वारा खर्च की गई निधि तथा 31.03.2014 तक खर्च नहीं की गई शेष राशि का विवरण नीचे दिया है:

of BIS:GPF) was written off in the books of accounts of BIS and BIS:GPF with the approval of EC in its 117th meeting held on 5.2.2014(refer Schedule 15,Item 8(h)- Bad Debs written off Account).

2.5 **Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida [Schedule 2, Column 3]:** The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2014 {after taking into account the advances of Rs. 3,32,260} amounted to Rs. 1,01,300[i.e. Rs.4,33,560 as per Schedule 2 less Rs. 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B) Item 2(a)(iv)].

2.6 **Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance:** This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/Assaying Centres in India with central assistance. The funds of Rs. 1,61,00,000 were received from the Government during 2013-14. The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2014 amounted to Rs.7,61,872 which has been carried over to 2014-15. (Schedule 2, Column1)

2.7 **Schemes of Ministry of Consumer Affairs on the project of 'Quality Infrastructure for Consumer Protection' under Five Year Plan of Govt. of India (Schedule 2, Column 2):**

2.7.1 The schemes which are being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India, their position of funds received, funds spent by BIS during 2013-14 and the unspent balance as on 31.3.2014 is given as under:

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क.सं. Sl. No.	विवरण Particulars	राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति Strengthening Standardization at National and International Level	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building	योग Total
(i)	1.4. 2013 को शेष Balance as on 1.4.13	12,835	6,12,47,033	6,12,59,868
(ii)	2013–14 में उ.मा. मंत्रालय से प्राप्त निधियां Funds received from MoCA in 2013-14	19,00,000	--	19,00,000
(iii) (क) (a)	ब्याज योजना खाते में उपार्जित ब्याज नामे Interest earned credited to Scheme A/C	8,327	18,247	26,574
(iii) (ख) (b)	अन्य प्राप्तियां Other Receipts	--	1,30,012	1,30,012
(iv)	कुल {(i) + (ii) + (iii)} Total {(i) + (ii) + (iii)}	19,21,162	6,13,95,292	6,33,16,454
(v)	2013–14 में व्यय Expenditure in 2013-14			
(क)(a)	पूँजी Capital	--	--	--
(ख)(b)	राजस्व Revenue	2,12,29,176	--	2,12,29,176
	2013–14 में कुल व्यय (क)+(ख) Total Expenditure in 2013-14 V{(a)+(b)}	2,12,29,176	--	2,12,29,176
(vi)	**31.3.2014 को शेष {(iv) – (v)} {अनुसूची2, कॉलम 2 के अनुसार} Balance as on 31.3.2014 {(iv) – (v)} {as per Schedule 2,Column 2}**	**-1,93,08,014**	**6,13,95,292**	**4,20,87,278**

2.7.2 मानकीकरण की राष्ट्रीय पद्धति योजना – 12वीं योजनागत योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण को सुदृढ़ करना' यह योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 7/4/2011–बी.आई.एस. (पीटी) दिनांक 14.8.2013 द्वारा रू 2.35 करोड़ की सहायता उद्दिष्ट की थी। तथापि, मंत्रालय के दिनांक 03.01.2014 के पत्र सं. 8/3/2012–बी.आई.एस. द्वारा मिली सूचना के अनुसार वर्ष 2013–14 के लिए अपेक्षित निधि/अनुपूरक मांग में शामिल नहीं की जा सकी। यह निर्णय किया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत भा.मा.ब्यूरो अपनी निधियों से भुगतान करे और बाद में मंत्रालय से प्राप्त निधि के साथ इसकी प्रतिपूर्ति की जाए। अतः अनुसूची 7 क (मद सं. 2 (ग) (ii) में रू 1,93,08,014 डी.ओ.सी.ए. से वसूली योग्य लेखे में दर्शाए गए हैं।

2.7.3 उपभोक्ता शिक्षा, एचआरडी तथा दक्षता निर्माण योजना – राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में अवसंरचना/सुविधाओं के उन्नयन हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. को रू 643.00 लाख का अग्रिम दिया गया है, जो अनुसूची 7ख [मद सं. 2(क)(v), में दर्शाया गया है। अतः मंत्रालय से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि का पूरा उपयोग कर लिया गया है।

2.8 एन.बी.सी.सी. द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र – मानक भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन.बी.सी.सी.) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी.एम.सी.) नियुक्त किया गया। 2006 में यह परियोजना बंद कर दी गई अतः यह निर्णय लिया गया कि एन.बी.सी.सी. को उनकी अन्य परियोजनाओं अर्थात् ज.शा.का. भवन तथ एन. आई.टी.एस. नोएडा के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एन.बी.सी.सी. के साथ लेखों का समायोजन प्रगति पर है। 2008–09 में रू. 86,07,396 का भुगतान किया गया था। स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची (अनुसूची 4) में इस परियोजना को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दर्शाया गया है। कार्यकारी समिति (ई.सी.) की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एन.बी.सी.सी. के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय, दोनों के एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से कराया जाए।

2.9 **भा.मा.ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय** – वर्ष 2013–14 के दौरान (समायोजित अग्रिम तथा पूँजी डब्ल्यू.आई.पी. में परिवर्धन सहित) भामाब्यूरो की निधि निकायों में से किया गया पूंजीगत व्यय 18,93,81,822 निम्नानुसार है (अनुसूची 4 देखें):

2.7.2 Scheme of 'National System for Standardization – Strengthening Standardization at National and International Level' under XII Plan Scheme. The Scheme was approved by Govt. of India and an assistance of Rs. 2.35 crore was earmarked by the Ministry vide its letter No. 7/4/2011-BIS(pt.) dated 14.08.2013. However, the required funds could not be included in the Supplementary Demands for Grant for the year 2013-14 as informed by Ministry vide its letter No. 8/3/2012-BIS dated 03.01.2014. It was decided that the payments under this project may be made by BIS from its own funds and later on recouped from the funds to be received from Ministry. Therefore, Rs. 1,93,08,014 has been reflected as Accounts Recoverable from DoCA under the Schedule 7A[Item No. 2(c) (ii)].

2.7.3 Scheme of Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building – Advance of Rs. 643.00 lakh has been paid to CPWD for Up-gradation of Infrastructure/facilities of NITS, Noida which has been reflected in Schedule 7B[Item No. 2(a)(V)]. Hence the funds received from Ministry under the Scheme have been fully utilized..

2.8 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC - The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhavan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant(PMC) for the project. The project was stopped in June 2006. It was decided that no payment shall be released to NBCC against other projects namely Construction of JBO Building and NITS Noida. The settlement of accounts with NBCC is in progress. The payments of Rs. 86,07,396 made up to 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets[Schedule4]. Executive Committee (EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC and also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhavan and Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD. This Project by CPWD is under execution(refer Note No. 2.1(i).

2.9 **Capital Expenditure out of BIS Funds -** The capital expenditure out of BIS Funds(including adjustment of advances and Additions to Capital WIP) during 2013-14 amounted to Rs. 18,93,81,822 as under.(Refer Schedule 4)

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

अचल सम्पत्तियों में बढ़ोतरी **Addition to Fixed Assets**	**2013-14**
जम्मू में भूमि Land at Jammu	11,03,150
गुवाहाटी में भवन Building at Guwahati	40,58,222
फर्नीचर एवं साजो–समान, कार्यालय उपकरण एवं कंप्यूटर Furniture and Fixtures, Office equipments and Computers	1,63,09,444
प्रयोगशाला उपस्कर–भा.मा.ब्यूरो निधि Laboratory Equipments-BIS Funds	45,37,952
पुस्तकालय पुस्तकें Library Books	3,89,045
वाहन Vehicles	6,69,219
योग Total	**2,70,67,032**
वर्ष के दौरान विभिन्न बनाई जा रही भवन परियोजनाओं में पूँजीगत कार्य में जारी वृद्धि Addition to Capital work in progress during the year in various ongoing Building projects	16,23,14,790
योग TOTAL	**18,93,81,822**

2.10 **अनुसूची 7क (मद 3(ग) (iii) के अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य):** इसमें स्वर्गीय श्री डी.के.चड्डा, उच्च श्रेणी लिपिक तथा कैशियर, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किये गये रू. 5,17,450 शामिल हैं। उन्होंने बैंक में नकद संग्रह में कम राशि जमा कराई और 1997 से 2001 तक बैंक विवरण जाली तैयार किये। चूंकि श्री डी.के. चड्डा की मृत्यु दिसंबर 2001 में हो चुकी है अतः कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से यह राशि बट्टे खाते में डालना अपेक्षित है। श्री डी.के. चड्डा, श्री एस.एस. त्रिपाठी, पूर्व अनुभाग अधिकारी, कानपुर शा.का. को रिपोर्ट कर रहे थे और उनके पर्यवेक्षक अधिकारी थे। सी.सी.एस. नियम, 1990 के नियम 14 के अंतर्गत श्री एस.एस. त्रिपाठी, पूर्व अनुभाग अधिकारी, कानपुर शा.का. के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी। जांच के बाद इन पर नोट सं. एनआरओ/एडमिन/72.1/2012 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा मेजर पेनल्टी अधिरोपित की गई चूंकि 31 अक्टूबर, 2012 में श्री त्रिपाठी भा.मा.ब्यूरो की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः यह राशि वसूली योग्य (अन्य) के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है और बट्टे खाते में डालने के लिए है।

2.11 **अनुसूची 7क (मद 3(ग) (i) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (कर्मचारी)** – श्री मोहन सिंह, भूतपूर्व उ.श्रे.लि. के द्वारा जानबूझकर की गई जालसाजी/गबन के रू 12,000/– शामिल हैं। आई.पी.सी. की धारा 420, 468 तथा 471 के अंतर्गत आई.पी. एस्टेट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 30.01.2003 को एफ.आई.आर. 23/03 पंजीकृत की गई थी। मामले की कार्यवाही तीस हजारी, नई दिल्ली के माननीय मैट्रोपोलिटन न्यायालय में चल रही है।

श्री मोहन सिंह, भूतपूर्व उ.श्रे.लि. के विरूद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी (उप महानिदेशक, मध्य क्षेत्र) द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक जांच अभी भी की जा रही है। भा.मा.ब्यूरो

2.10 **The Accounts recoverable (Others) under schedule 7A(item 2(c)(iii)** - This includes Rs. 5,17,450 embezzled by Late Shri D.K. Chadha, UDC and Cashier, in Kanpur Branch Office by way of short deposit of cash collections in the bank and preparation of fabricated Bank Statement during the period 1997 to 2001. Since Shri D.K. Chadha expired in December 2001 this will require write off with the approval of EC. Shri D.K. Chadha was reporting to and was supervised by Shri S.S. Tripathi, Ex-Section Officer, KPBO. Disciplinary proceedings under Rule 14 of CCS Rules, 1965 were initiated against Shri S.S. Tripathi, Ex-Section Officer, KPBO. After the enquiry, the disciplinary authority had imposed major penalty against Shri S.S. Tripathi, Ex-SO, KPBO vide Note No. NRO/Admn/72.1/2012 dated 25 Oct. 2012. Shri Tripathi has since retired from the services of BIS on 31 October 2012. The amount has been reflected under Accounts Recoverable(Others) pending write off.

2.11 **Accounts Recoverable(Employees) under Schedule 7A(item 2(c)(i):** This includes Rs. 12,000/- towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, Ex-UDC. An FIR No. 23/03 dated 30.01.2003 was registered against Shri Mohan Singh under section 420,468 and 471 of IPC.at IP Estate Police Station, New Delhi. The case proceedings are in progress in the Hon'ble Metropolitan Court of Tis Hazari, Delhi.

The departmental disciplinary enquiry against Sh. Mohan Singh is underway by the disciplinary authority (Dy. Director General, Central Region). Sh. Mohan Singh, UDC had retired on 30.04.2010

की सेवाओं से श्री मोहन सिंह, उ.श्रे.लि. 30.04.2010 को सेवानिवृत्त हो गए थे। चूंकि जांच अभी जारी है अतः श्री मनमोहन सिंह के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए हैं।

2.12 **अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:** अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते में डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी ने रू. 75,98,495/– के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन किया जिसे अनुसूची 15 मद 9 (एच) में दर्शाया गया है।

2.13 **सामान्य भविष्य निधि खातों में घाटा** : 2013–14 के दौरान भा.मा.ब्यूरो कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खातों में रू. 13,09,702 का घाटा (आय से अधिक खर्च) हुआ। इसे ब्यूरो के खर्च के रूप में लिया गया है तथा लेखा नीति {अनुसूची 14 मद (2ग)} के अनुसार आय और व्यय लेखा में प्रभारित कर दिया है।

2.14 **आय कर छूट** : धारा 10(23) (सी) (iv) के अंतर्गत भा.मा. ब्यूरो को निर्धारण वर्ष 2007–08 व उनके बाद से डी.जी. आई.टी (ई) द्वारा उनके आदेश सं. डी.जी.आई.टी. (ई)/10(23सी.)/डब्ल्यू./3/117/2011–12/1834, दिनांक 24.02.2012 द्वारा वापस ले लिया गया था। छूट वापस लेने के आदेश को भा.मा.ब्यूरो ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.09.2012 के आदेश में डी.जी.आई.टी. (ई) के दिनांक 24.02.2012 के छूट वापस लेने के आदेश को रद्द किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डी.जी.आई.टी. (ई) ने दिनांक 04.12.2012 का आदेश (एफ सं. डी.जी.आई.टी. (ई)/10(23सी) (iv)/डब्ल्यू /3/117/2011–12/583) जारी किया जो उनके पहले आदेश सं. 167, दिनांक 30.04.2008 (एफ. सं. डी.जी.आई.टी. (ई)/10(23सी)(iv)/2008/167) को आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी)(एफ. सं. डी.जी. आई.टी. (ई)/10(23सी)(iv) के अंतर्गत छूट को बहाल किया, जो कर निर्धारण वर्ष 2007–08 तथा उसके आगे के वर्षों के लिए हैं। अतः भा.मा.ब्यूरो की आयकर अधिनियम की धारा 10(23)(iv)(सी) के अंतर्गत कर छूट यथावत् बरकरार है।

2.15 भा.मा.ब्यूरो के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.16 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक पाया गया है पुनः समूहबद्ध किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

2.17 अंतिम लेखे में आंकड़े निकटतम रूपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

from the services of BIS. As the enquiry is underway, the retirement benefits of Shri Mohan Singh have been withheld.

2.12 **Provision for Bad and Doubtful Debts:** No provision is made for bad and doubtful debts. The bad debts are charged to Income and Expenditure Account after the same are approved by the competent authority. During 2013-14 bad debts of Rs. 75,98,495 have been charged to Income and Expenditure Account which were approved by the Competent Authority of BIS for write-off. These have been shown under Schedule 15 -Item 9(h).

2.13 **Deficit in General Provident Fund Accounts :** There was a deficit (i.e. excess of expenditure over income) of Rs. 13,09,702 in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2013-14. This has been treated as expense of the Bureau as per the Accounting Policy [Schedule 14 Item 2(c)].

2.14 **Income-tax Exemption:** Income-tax Exemption granted to BIS for Assessment Year 2007-08 and onwards under section 10(23)(c)(iv) was withdrawn by DG:IT(E) vide order No. DGIT(E)/10(23C)/W/3/117/2011-12/1834 dated 24.02.2012 from Assessment Year 2009-10 and onwards. The withdrawal order was challenged by BIS in Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court in its order dated 27.09.2012 had quashed the withdrawal order dated 24.02.2012 of DG:IT(E). In compliance with the order of Hon'ble High Court, DG:IT(E) issued an order dated 04.12.2012 (F.No. DGIT(E)/10(23C)(iv)/W/3/117/2011-12/583) restoring their earlier Order No. 167 dated 30.4.2008(F.No. DGIT(E)/10(23C)(iv)/2008)/167) towards tax exemption under section 10(23C)(iv) of Income-tax Act, 1961 for Assessment Year 2007-08 and onwards. Therefore, the tax exemption of BIS under section 10(23)(c)(iv) of Income Tax Act is intact. The Income Tax Deptt has filed appeal in Hon'ble Supreme Court against the Orders of High Court.

2.15 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.16 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures.

2.17 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2014 तक निवेशों का विवरण DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2014

अनुसूची 18

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

क.सं. Sl. No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Invest-ment at cost	निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य* Indicative Market Value of investment*
1	भामाब्यूरो की निधियों के निवेश **INVESTMENT OF BIS FUNDS**		
1.1	**बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits**		
1.1.1	8.45% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन – एन.सी.डी. – उद्धरित 8.45% Rural Electrification Corporation - NCD-Quoted	940.00	932.95
1.1.2	16% उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ लि. (यूपीसीएसएमएफएल) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd.(UPCSMFL)(see note 2.4.2 of Schedule 17)	200.00	200.00
	कुल TOTAL (1.1)	**1140.00**	**1132.95**
1.2	बैंकों में सावधिक जमा राशियाँ Investment with banks in fixed deposits		
1.2.1	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	1555.00	1555.00
1.2.2	आंध्रा बैंक Andhra Bank,	16690.00	16690.00
1.2.3	केनरा बैंक Canara Bank	8515.00	8515.00
1.2.4	कॉर्पोरेशन बैंक Corporation Bank	19537.50	19537.50
1.2.5	इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया Industrial Development Bank of India	6732.00	6732.00
1.2.6	इंडियन ऑवर्सिअस बैंक Indian Overseas Bank	280.00	280.00
1.2.7	ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स Oriental Bank of Commerce	8212.50	8212.50
1.2.8	पंजाब एंड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank	11092.00	11092.00
1.2.9	पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank	2330.00	2330.00
1.2.10	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर State Bank of Bikaner & Jaipur	950.00	950.00
1.2.11	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad	5195.00	5195.00
1.2.12	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	1780.00	1780.00
1.2.13	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala	15820.00	15820.00
1.2.14	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर State Bank of Travancore	4475.00	4475.00
1.2.15	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India	3500.00	3500.00
1.2.16	विजया बैंक Vijaya Bank	3990.00	3990.00
	कुल TOTAL (1.2)	**110654.00**	**110654.00**
	कुल TOTAL (1)	**111794.00**	**111786.95**
	कुल रू. 111794 लाख का कुल निवेश का आबंटन (अनुसूची 17 का नोट 2.4.1 देखें) **TOTAL INVESTMENT OF RS.111794 LAKHS ALLOCATED TOWARDS FOLLOWING FUNDS: (see Note 2.4.1 of Schedule 17)**		
क)	पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता अनुसूची 5(मद 1.1) के अंतर्गत Pension/Gratuity Liability Fund Account: Under Schedule 5 (Item 1.1)	1140.00	
	अनुसूची 7(क), 4(क), (iii), (ए) (IV) के अंतर्गत Under Schedule 7(A),Item 4(a) (iii) (A) (IV)	94728.08	95868.08
ख)	राष्ट्रीय पेंशन योजना निधि 7(क), मद 4(क) (iii) (ए) (iii) के अंतर्गत National Pension Scheme Fund Under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(A)(III)		68.98
ग)	सामान्य निवेश – कार्पस/पूंजी निधि अनुसूची 7 (क), मद 4(क) (iii) (ख) के अंतर्गत General Investments -Corpus/Capital Fund under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(B)		15856.94
	भामाब्यूरो निधियों का कुल निवेश Total Investments of BIS Funds		**111794.00**

2	**कर्मचारी निधि निवेश INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	**सामान्य भविष्य निधि (अनुसूची 5 देखें)** **General Provident Fund(see Schedule 5)**		
2.1.1	आर.बी.आई. में विषेश जमा Special Deposits with RBI	3127.09	3127.09
2.1.2	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित Government of India Securities - Quoted	2807.32	2572.81
2.1.3	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित State Government Securities - Quoted	2887.47	2800.31
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांड तथा जमा राशियों में निवेश-उद्धरित Debentures and Bonds of PSUs and Financial institutions in Bonds and Deposits Quoted Investment	2412.76	2355.86
	अनुद्धरित निवेश Unquoted Investment -		
	- मनी मार्केट - Money Market	40.76	41.00
2.1.5	अन्य निवेश – बैंकों में सांवधि जमा Other Deposits - Fixed Deposits with Banks	1706.30	1706.30
	कुल TOTAL(2)	**12981.70**	**12603.37**
3	**निवेश – अन्य INVESTMENT-OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक (देखें अनुसूची 7(क) क्र.सं. 4 (क) (ii) (ए) (III) ABO Building Project- Fixed Deposit-Syndicate Bank (See Schedule 7(A)Sl. 4(a)(ii)(a)(III)	13.35	13.35
	कुल योग GRAND TOTAL(1+2+3)	**124789.05**	**124403.67**

टिप्पणी': निवेशों का बाजार मूल्य भा.मा.ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आई.डी.बी.आई. कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभुतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार कोट उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे, वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। निम्नलिखित में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे, एम.पी.ई.बी. बांड, एम.पी.एस.आई.डी.सी. बांड, यू.पी.सी.एफ.एम.एफ.एल. बांड, बिहार जैक 2013 बांड और मनी मार्किट इंस्ट्रमेंट में बाजार कोट उपलब्ध नहीं थे। बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शाई गई है। इसका ब्रेक–अप निम्नानुसार है:

NOTE : Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai . The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of UPCSMFL Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:

सकल उद्धरित निवेश The aggregate quoted investment	9088.31	(बाजार मूल्य Market value 8702.93)
सकल अनुद्धरित निवेश The aggregate unquoted investment	115700.74	
(फिक्स्ड डिपोजिट सहित) (including fixed deposits)		
कुल निवेश **Total Investment**	**124789.05**	

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

वर्ष 2013–14 की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 2013-14

(राशि ₹ में) (Amount in ₹)

प्राप्तियाँ RECEIPTS			भुगतान PAYMENTS		
विवरण PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	विवरण PARTICULARS	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
I. आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष	120,039,719	162,890,137	I. खर्चे Expenses		
			- स्थापना Establishment	1,104,119,464	1,064,819,999
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान Grants received from Govt. of India	18,000,000	6,000,000	- प्रशासन Administration	601,458,203	638,175,782
			II.विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया भुगतान Payments made against Funds for various Projects		
III. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest received on Investments	1,190,272,859	310,346,440	क) हालमार्किंग केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना a) Scheme for setting up of Hall Marking Centres	15,613,483	6,462,988
IV. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया भुगतान Income from Earmarked Endowment	264,859	253,173	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढांचा – ग्यारहवीं योजना b) Quality Infrastructure for Consumer Protection-XIth Plan	1,862,050	43,744
V. उद्दिश्ट/अक्षय निधि से आय Interest received- Saving Bank Accounts	1,531,411	1,530,617	III. किया गया निवेश और जमा (निवल) Investments and Deposits made (Net)	1,928,865,203	797,637,120
VI.उपभोक्ता संरक्षण योजना के लिए गुणता अवसंरचना 11वीं योजना Quality Infrastrucutre for Consumer Protection-XIth Plan	0	35,971	IV. स्थायी परिसम्पत्तियों पर खर्च Expenditure on Fixed Assets	25,366,919	19,294,694
VII. आय–सेवाएँ– बिक्री और विविध Income-Services, Sales and Miscellaneous	3,070,725,549	2,780,591,294	V. पूंजीगत कार्य प्रगति में Capital Work in progress		83,193,676
			VI. अन्य भुगतान Other Payments		
VIII. अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts			क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ वर्तमान देयताएँ तथा अंतर लेखा (निवल) a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	595,752,181	532,996,613
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि a) Pension/Gratuity Liability Fund	469,464,490	368,706,641	ख) पेंशन/ग्रेच्युटी लाभ b) Pension/Gratuity Benefits	469,812,463	367,952,484
ख) परोपकारी निधि b) Benevolent Fund	826,245	862,545	ग) परोपकारी निधि लाभ c) Benevolent Fund Benefits	1,000,600	600,000
			VII रोकड़ शेष Closing Balance		
			- नकद और अग्रदाय - Cash and Imprest	718,454	808,615
			- बैंक - Bank	126,556,112	119,231,103
योग TOTAL	**4,871,125,132**	**3,631,216,818**	**योग TOTAL**	**4,871,125,132**	**3,631,216,818**

ख. भारतीय मानक ब्यूरो : सामान्य भविष्य निधि			B. BUREAU OF INDIAN STANDARDS : GENERAL PROVIDENT FUND		
I. आरंभिक बैंक अधिशेष Opening Bank Balance	4,708,052	6,986,361	I. Withdrawals and Final Payments वापसी एवं अंतिम भुगतान	215,869,131	173,880,460
II. निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Investments	91,651,768	90,070,609	II. कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	2,393,480	1,791,556
III. कर्मचारियों का अंशदान Employees' Subscriptions	191,702,604	199,664,663	III. मृत्यु बीमा Death Linked Insurance	480,000	319,377
IV. अग्रिम की वापसी Refund of advances	3,177,578	4,707,162	IV. किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made(net)	80,790,736	122,731,948
V. अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Other Receipts - Current Assets	14,190,620	2,009,949	V. अन्य भुगतान Other Payments		
			क) वर्तमान देयताएँ a) Current Liabilities		0
			ख) बैंक प्रभार b) Bank Charges	764	7,351
			बैंक रोकड़ शेष VI. Closing Bank Balance	5,896,511	4,708,052
योग TOTAL	**305,430,622**	**303,438,744**	**योग TOTAL**	**305,430,622**	**303,438,744**

दिनांक 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यूरो) के दिनांक 31 मार्च 2014 तक के तुलन–पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चों के लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है। इस वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 23 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय परीक्षण और अंशशोधन केन्द्र व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए भा.मा.ब्यूरो का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट कराना है।

2. इन पृथक् ऑडिट रिपोर्ट (एस ए आर) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्मस इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी भी शामिल है। कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रोप्रायटी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन–देनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियां की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जांचें परीक्षण के आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

Separate Audit Report on the Accounts of Bureau of Indian Standards, New Delhi for the year ended 31 March 2014

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2014, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act. 1986. These financial statements include the accounts of twenty three Branch Offices, Four Regional Offices and the Central Testing and Calibration Centre at Sahibabad and the Training Institute of the BIS. These financial statements are the responsibility of the management of BIS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन–पत्र, आय एवं खर्च, लेखा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट में लिया गया है।

iii) हमारी राय में खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों की समुचित जांच करने के बाद लगता है कि इन्हें भा.मा.ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22 (1) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क.1 परिसम्पत्तियां

क.1.1 स्थिर परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 4) रू.104.70 करोड़ रू 3.79 लाख के छह लेपटॉप अगस्त 2013 में खरीदे गए। इन लेपटॉपों पर रू 2.27 लाख (@ 60%) के बजाय रू 0. 28 लाख (@ 7.5%) का मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों का अधिक विवरण और रू 1.99 लाख के व्यय का न्यून विवरण दिया गया।

क.1.2 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 7) रू 1266.55 करोड़: 11वीं योजनागत परियोजना के अंतर्गत भा.मा.ब्यूरो राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के भवनों के उन्नयन पर के.लो.नि.वि. को रू 6.43 करोड़ दिए गए। दिए गए कुल अग्रिम में से के.लो.नि.वि. द्वारा रू 4.62 करोड़ का उपयोग किया गया, किंतु यह 'कार्य प्रगति पर' के रूप में नहीं दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों का अधिविवरण और रू 4.62 करोड़ के'कार्य प्रगति पर' का न्यून विवरण दिया गया।

क.2 देयताएँ

क.2.1 वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची –3) रू 11. 32 करोड़ भा.मा.ब्यूरो, गुवाहाटी ने रू 2.71 करोड़ की लागत से मैसर्स हाउसफेड से कार्यालय परिसर लिया। भवन पर कब्जा लेने से पूर्व 95 प्रतिशत राशि मैसर्स हाउसफेड में जमा कराई गई थी। लागत की शेष 5 प्रतिशत राशि आबंटित एकमोडेशन को देने, अर्थात् 15.1. 2014 के बाद से लेकर छह माह की दोषों की देयता अवधि समाप्त होने के बाद दी जानी थी। तथापि, रू 13.55 लाख की शेष राशि के भुगतान का प्रावधान 2013–14 के लेखों में नहीं किया गया। अतः रू 13.55 लाख के लिए की गई प्रतिबद्धता की देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय और वर्तमान देयता का न्यून विवरण किया गया है।

ख आय और व्यय लेखा

ख.1 व्यय

ख.1.1 अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 15) रू 61.40 करोड़: विभाग द्वारा व्यय के रूप में प्रदर्शित रू 2.09 लाख का

(ii) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 22(1) of Bureau of Indian Standards Act 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Fixed Assets (Schedule 4) Rs 104.70 crore Six laptops amounting to Rs. 3.79 lakh were purchased in August 2013. Depreciation of Rs. 0.28 lakh (@ 7.5%) was charged on these laptops instead of Rs. 2.27 lakh (@60%). This has resulted in overstatement of assets and understatement of expenditure by Rs. 1.99 lakh.

A.1.2 Current Assets, Loans and Advances (Schedule 7) Rs 1266.55 crore Out of total advance of Rs. 6.43 crore paid to CPWD for upgradation of building of BIS, NITS Noida under XIth Project Plan Scheme, Rs. 4.62 crore was utilized by CPWD but the same was not depicted as work -in-progress. This has resulted in overstatement of advances and understatement of Work-in-progress by Rs. 4.62 crore.

A.2 Liability

A.2.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-3) Rs. 11.32 crore BIS, Guwahati procured an office premises from M/s Housefed at a cost of Rs. 2.71 crore. 95% of the amount was deposited with M/s Housefed before occupation of the building and balance 5% of the cost was to be paid after expiry of the defect liability period of six months from the handling over of the allotted accommodation i.e. 15.1.2014. However, provision for payment of the balance amount of Rs. 13.55 lakh was not made in the accounts of 2013-14. Hence, Non provision of the committed liability of Rs. 13.55 Lakh has resulted in understatement of capital expenditure and current liability by the like amount.

B. Income and Expenditure Account

B.1 Expenditure

B.1.1 Other Administrative Expenditure (Schedule 15) Rs. 61.40 crore Payment of Rs 2.09 lakh shown as

भुगतान एक वर्ष अर्थात् 20.01.2014 से 19.01.2015 के लिए बीमा प्रभार था। इसमें से रू 0.40 लाख का भुगतान 31.03.2014 (70 दिन) की अवधि के लिए है और शेष भुगतान रू 1.69 लाख का शेष भुगतान 2014–15 की अवधि का है। इसके परिणामस्वरूप व्यय का अधिविवरण और वर्तमान परिसम्पत्तियों–अग्रिम का 1.69 लाख रू के व्यय का न्यून विवरण दिया गया।

ग. सहायक अनुदान

भा.मा.ब्यूरो को 2013–14 के दौरान 'हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना' तथा 'उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना' के लिए रू.180.00 लाख का सहायक अनुदान मिला। वर्ष के दौरान इस पर रू.3.79 लाख ''ब्याज़ और अन्य प्राप्तियों'' के रूप में अर्जित हुए और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रू.617.47 लाख था। वर्ष के दौरान रू.801. 26 लाख की कुल राशि में से रू.368.43 लाख की राशि का उपयोग किया गया जिससे वर्ष के अंत में राशि शेष रू. 432.83 लाख थी।

घ. प्रबंधन का पत्र

ऐसी विसंगतियां, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अलग से जारी किये प्रबंधन पत्र में समाधान/सुधारात्मक उपायों के लिए भा.मा.ब्यूरो के नोटिस में लाया गया है :

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का ऑडिट किया गया है, वे लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा संबंधी नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट के उपरोक्त महत्वपूर्ण मामले और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा संबंधी सिद्धांतों के अधीन हैं और इनके अनुरूप सत्य और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैं।

क) अभी तक चूंकि यह भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च, 2014 तक के मामलों के संदर्भ में तुलन पत्र से संबंधित है, और

ख) अभी तक चूंकि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से एवं उनके हेतु

स्थान : नई दिल्ली — ऑडिट के महानिदेशक

दिनांक: 18.11.2014 — (केन्द्रीय व्यय)

expenditure by the department was the Insurance charges made for one year i.e 20.01.2014 to 19.01.2015. Out of this payment of Rs. 0.40 lakh pertained to period up to 31.03.2014 (70 days) and rest of the payment i.e Rs. 1.69 lakh pertained to period 2014-15. This resulted in overstatement of expenditure and understatement of current assets-advances by Rs. 1.69 lakh.

C. Grants-in-aid

During 2013-14, Grants-in-aid of Rs. 180.00 lakh for 'Setting up of Hallmarking Centres' and 'quality infrastructure for consumer protection' was received by BIS. It had Rs. 3.79 lakh as 'interest and other receipts' and unspent balance of Rs. 617.47 lakh of the previous year. Out of total amount of Rs. 801.26 lakh, Rs 368.43 lakh was utilized during the year leaving a balance of Rs 432.83 lakh at the end of the year.

D. Management letter:

Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of the Bureau through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Bureau of Indian Standards as at 31 March 2014; and

b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C and AG of India

Place: New Delhi — **Director General of Audit**

Date: 18.11.2014 — **Central Expenditure**

संलग्नक
Annexure

1.	आंतरिक लेखा पद्धति की पर्याप्तता **Adequacy of internal audit system**	• 31 मार्च 2014 तक का आंतरिक लेखा चार्टिड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया है। • Internal audit has been conducted by Chartered Accountant up to March 2014 and found to be adequate.
2.	आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता **Adequacy of Internal Control System**	• रू 6.07 लाख की राशि का टीडीएस राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा द्वारा काटा गया था, जिसे मैसर्स अमित कुसुम गुप्ता एंड कम्पनी द्वारा भा.मा.ब्यूरो की ओर से आयकर विभाग में जमा कराया गया था और यह राशि उक्त फर्म को वापस कर दी गई। • TDS amounting to Rs. 6.07 lakh deducted by NITS Noida was deposited by M/s Amit Kusum Gupta & Co. with the Income Tax Department on behalf of BIS and the amount was reimbursed to the said firm.
		• भा.मा.ब्यूरो द्वारा अनुमोदन रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। • Sanction Register were not being maintained by BIS.
		• राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा भा.मा.ब्यूरो द्वारा रू 0.50 लाख में खरीदे गए कंप्यूटरों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी । • Computer purchased by NITS, BIS for Rs. 0.50 lakh was not entered in the stock register.
		• भा.मा.ब्यूरो को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उपर्युक्त के लिए सुदृढ़ करना चाहिए। Internal control system of BIS may be strengthened in above.
3.	परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति **System of physical verification of assets**	• मार्च 2014 तक स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। • The physical verification of fixed assets has been conducted upto March 2014.
		• रू 89.82 लाख की राशि की अचल परिसम्पत्तियों की मदें अर्थात् (i) टच स्क्रीन क्यॉस्क (ii) सर्वर (iii)रिसोग्राफ डिजिटल डुप्लीकेटिंग मशीन और (iv) 2 के वी ए; ए पी सी; एस यू आर टी 2000 तथा (v) हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर में की गई, किंतु भौतिक रूप से सत्यापित वस्तुओं की सूची में ये शामिल नहीं पाई गईं । • Items of fixed assets amounting to Rs. 89.82 lakh viz. (i) Touch Screen Koisks, (ii) Servers, (iii) Risograph Digital Duplicating Machine and (iv) 2 KVA APC SURT 2000 and (v) Hardware and Software; were entered in the fixed assets register but were not found included in the list of items physically verified.
4.	इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की पद्धति **System of physical verification of inventory**	मार्च 2014 तक इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई विसंगति नहीं पाई गई। Physical verification of inventory had been conducted upto March 2014 and no discrepancy was noticed.
5.	देयों के भुगतान की नियमितता **Regularity in payment of dues.**	सांविधिक देयों जैसे आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा–शुल्क, सेस, अंशदायी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा का छः माह से अधिक का कोई भुगतान 31.03.2014 को शेष नहीं था। No Payment over six month in respect of statutory dues like Income Tax, Sales Tax, service tax, custom duty, cess, contributory provident fund and employee's state insurance were outstanding as on 31.03.2014.

भा॰ मा॰ ब्यूरो की संरचना
Structure of BIS

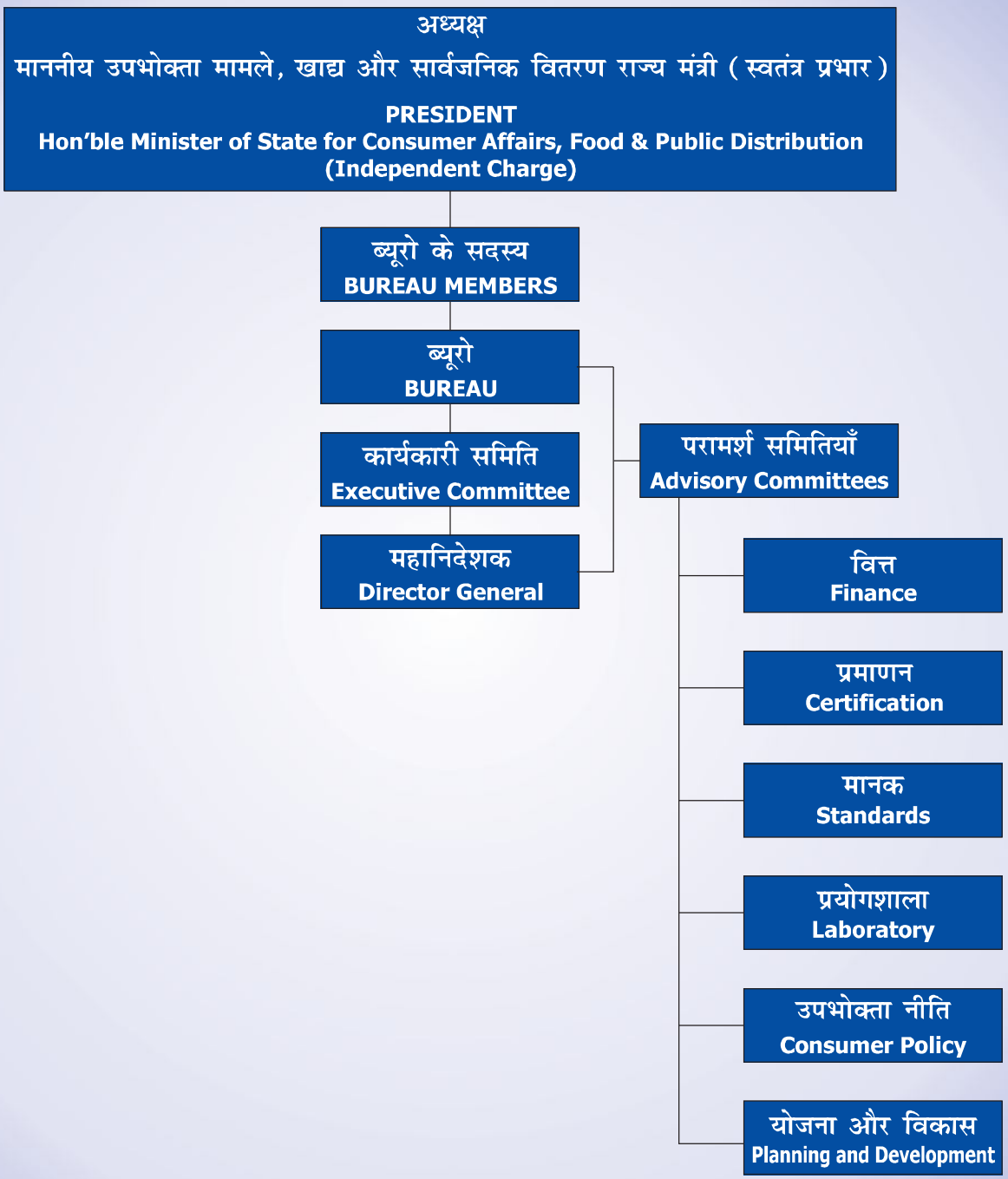

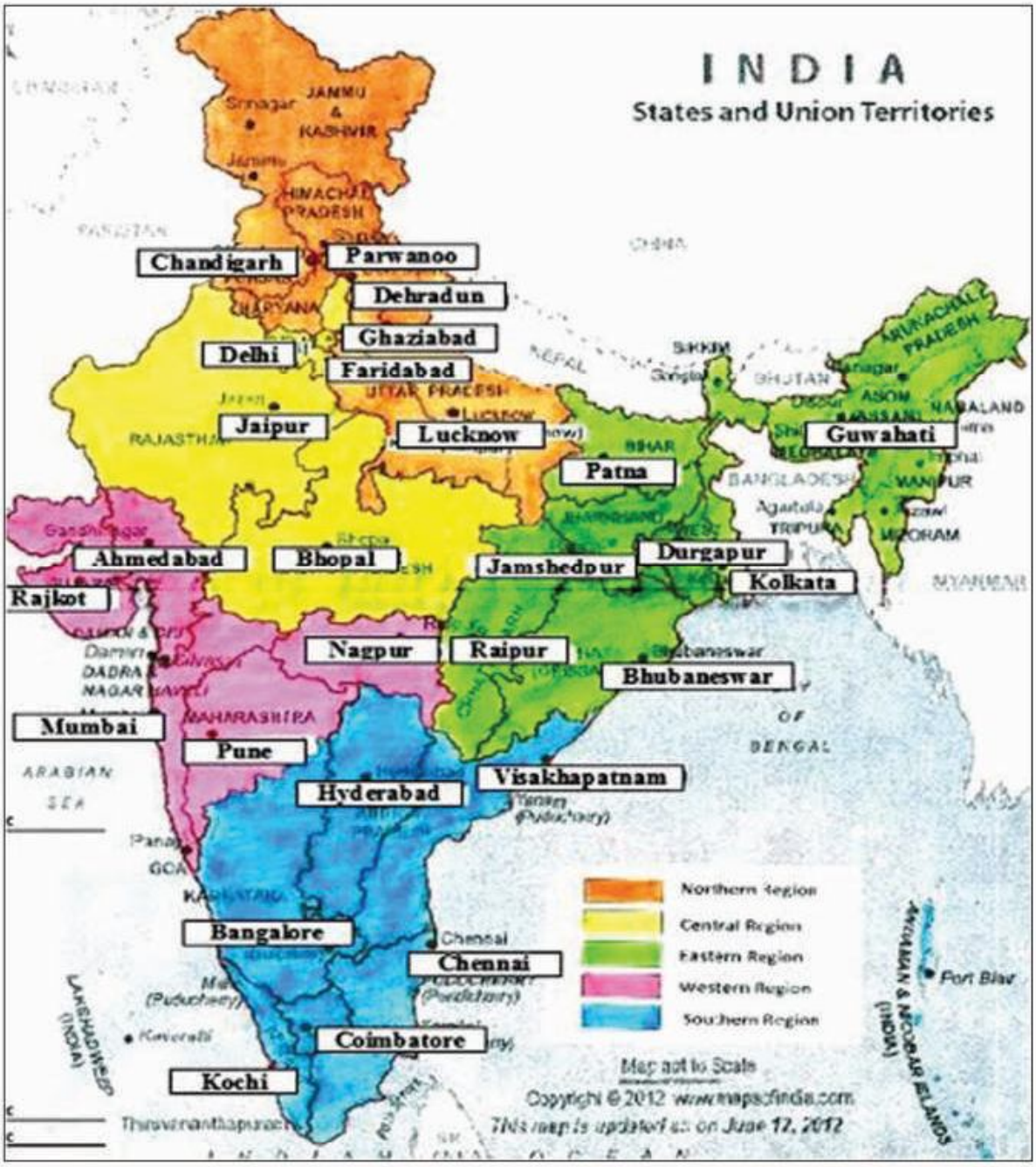

मानक : पथप्रदर्शक :

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइट : www.bis.org.in
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Website : www.bis.org.in